लोकमानस

loksatta@expressindia.com

नियमांची पायमल्ली होतच राहाणार...

आपल्याकडे सार्वजनिक जबाबदारी हा प्रकार अतिशय निम्न पातळीवर उभा आहे. त्यामुळे दणदणाटात नियमांची पायमल्ली होणार याची पूर्ण खात्री होती. यंदा कधी नव्हे तो सर्व बाजूंनी 'डीजे' च्या विरोधात आवाज उठला होता. पण त्याचा काहीही उपयोग झाल्याचे जाणवले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सोयीचे होते ते वक्तव्य केले, पण त्यामध्ये खूप काही जोर नव्हता.

पुण्यामध्ये विद्यानंद बापट यांची खिल्ली उडवली गेली. 'तुम्हाला जे काय समाजकार्य करायचे ते करा, आम्ही सर्व नियम धुडकावून आम्हाला हवे तेच करणार'- असे वागायची हिंमत होते कारण सार्वजनिक गणेश मंडळावर राजकीय नेत्यांचा आशीर्वाद असतो. आदरणीय न्यायालये शासनाकडून होणाऱ्या कितीतरी गोष्टींतील दिरंगाईबद्दल कान उघडणी करीत असतात. पण शासन एका कानाने ऐकून दुसऱ्या कानाने सोडून देते. त्यामुळे 'दणदणाटात नियमांची पायमल्ली' दरवर्षीच्या गणपतीमध्ये होत राहणार आहे. जोपर्यंत शासन आणि नागरिक दोघांना या जबाबदारीची जाणीव होत नाही तोवर हे बदलणार नाही.

■ **नीता शेरे,** दहिसर पूर्व (मुंबई)

पुढल्या वर्षी तरी 'पीओपी' नको!

प्रत्येक वर्षी गणेशोत्सव जवळ आला की पीओपीच्या मूर्तीचा प्रश्न ऐरणीवर आणण्याऐवजी त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची प्रक्रिया आता गणेशोत्सव सरल्यानंतर सुरू व्हायला हवी. यंदाच्या विसर्जनानंतर पुढील वर्षाच्या उत्सवापर्यंतचा कालावधी सरकारकडे आहे. या कलावधीचा उपयोग नियमावली, आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि मूर्तिकारांसाठी संक्रमणाची व्यवस्था उभी करण्यासाठी केला तर पर्यावरण संरक्षणाचा उद्देशही साध्य होईल आणि ऐन उत्सवाच्या तोंडावर निर्माण होणारा संभ्रमही टाळता येईल. आता पीओपीच्या मूर्तीबाबत निर्णय घेण्यासाठी पुढचा उत्सव येण्याची वाट पाहू नये.

■ **बकुल बोरकर,** विलेपार्ले (मुंबई)

कबुलीनंतरही धोका आहेच...

'कार्यपद्धतीतील त्रुटींची निवडणूक आयोगाकडून अप्रत्यक्ष कबुली' या बातमीत (लोकसत्ता - २७ सप्टेंबर) मतदारांच्या 'फॉर्म ६' बरोबर जोडलेले घोषणापत्र सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्याचा उल्लेख आलेला आहे. 'फॉर्म ६' मतदानाचा अधिकार देणारा फॉर्म आहे. त्यात आई-वडील किंवा आजी-आजोबांचे नाव लिहिण्याची बंधन घालणे योग्य नव्हे. अशा अटींद्वारे, राज्यघटनेने दिलेला मतदानाचा हक्क काढून घेण्याचा प्रयत्न चाललेला दिसतो. निवडणूक आयोगाने ऐक्याचे दर्शन केले असले, तरी त्यांनी सत्ताधारी पक्षासाठी 'एसआयआर' (मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी) राबवल्याचे स्पष्टपणे दिसते. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता 'एसआयआर'खेरीज मिळाली असती का? एवढेच नव्हे तर मतदारवाढ किंवा मतदार कमी करणे या सर्वच प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. यातून भारतीय लोकशाही संपविण्याचा कटच निवडणूक आयोगामार्फत राबवला जात असल्याची शंका घेण्यास वाव उरतो. 'एसआयआर' रद्द करणे, एवढेच नव्हे तर शिवसेना/ राष्ट्रवादी काँग्रेस/ तृणमूल काँग्रेस यांबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेले फाटाफुटीचे निर्णयदेखील रद्द होणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाबरोबर सरकारची ही विश्वासार्हता गेलेली दिसते. भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून ही धोक्याची घंटा आहे.

■ **युगानंद गुलाबराव साळवे,** पुणे

ते बालिश, अंधभक्त नव्हेत...

'काय काय झाकणार?' हा अग्रलेख (२५ सप्टें.) व संबंधित बातम्या वाचल्या. मुख्य निवडणूक आयुक्त वा दोन अन्य निवडणूक आयुक्त यांची निवड करण्याचा अधिकार २०२३ पूर्वी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश या तिघांचा समावेश असलेल्या समितीकडे होता, त्याऐवजी २०२३ मध्ये कायदा बदलून, या समितीतून सरन्यायाधीशांना डच्चू दिला गेला आणि त्याऐवजी पंतप्रधानांच्या सहकारी मंत्र्याची नेमणूक करण्याची पद्धत आणली गेली.. त्यामुळे एकंदर निवडणूक आयुक्त व आयोग हे योग्य पद्धतीने काम करू शकत नाहीत कारण त्यांच्या नेमणुकीवरच प्रश्नचिन्ह कशा निर्माण होत आहे. ही बाब नाकारणारे एकतर बालिश म्हणावेत किंवा अंधभक्त, असेच कुणालाही वाटेल. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला असता न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी हेच दाखवून दिले; परंतु याच न्यायपीठातील दुसरे न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी दुमत व्यक्त केले, ही फक्त खेदाची बाब म्हणावी का? भारतीय न्यायपालिकेचा अतीव आदर असल्यामुळेच, संबंधित व्यक्ती बालिश अथवा अंधभक्त नाहीत, अशी स्वतःची समजूत काढणे आता आपल्या हाती आहे.

■ **चंद्रकांत गवलवाड,** पुणे

ही आयोगाची पश्चातबुद्धी

'एसआयआर' प्रक्रियेबाबत आयोगाने दिलेले स्पष्टीकरण हे पश्चात बुद्धीचा नमुना ठरते. सर्व कागदपत्रे देऊनही वडिलांच्या जागी सासऱ्याचे नाव लिहिणे, वय ६ वर्षांनी कमी दाखवणे आदी चुका आमच्या कुटुंबाबत घडल्या आहेत. अशा चुकांची जबाबदारी त्या कर्मचाऱ्याची (बीएलओ) नसून ज्याच्या नावात चूक आहे त्याने आपला कामधंदा सोडून संबंधित कार्यालयात हेलपाटे मारून सदर चूक सुधारून घ्यायची आहे. अतिरिक्त आर्थिक मोबदला न मिळाल्यामुळे हे काम जुलमाचा रामराम म्हणून करावे लागते, त्यामुळेच असे कर्मचारी फक्त पाट्या टाकण्याची कामे करत असावेत. हे अतिरिक्त काम याच सरकारी/ निमसरकारी संस्थातील सक्षम निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून योग्य तो आर्थिक मोबदला देऊन आणि चुका झाल्यास आर्थिक दंड आकारून केले असते तरी काम ठीक झाले असते.

■ **विनोद जोशी,** जोगेश्वरी

सेमीकंडक्टर : बरीच मजल बाकी

'सेमीकंडक्टरच्या स्वप्नाला परिसंस्थेची जोड' हा लेख (रविवार विशेष- २७ सप्टेंबर) वाचला. भारतात अभियांत्रिकीचे पदवीधर (इंजिनीअरिंग ग्रॅज्युएट्स) मोठ्या संख्येने असले तरी प्रोसेस इंजिनीअरिंग, यील्ड इंजिनीअरिंग, पॅकिंग आणि मटेरियल सायन्स यांसारख्या विशेष कौशल्यांची गरज आहे. शिवाय सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी २४ तास, सातही दिवस कायमस्वरूपी स्थिर वीज पुरवठा, मोठ्या प्रमाणात अल्ट्रा प्युअर वॉटर आणि अत्यंत नियंत्रित तापमानाचे वातावरण आवश्यक असणार आहे. सेमीकंडक्टर उद्योगात कच्चा माल आणि पुरवठा साखळीवर प्रगती अवलंबून असणारच. वशेष केमिकल, गॅसेस, सेमीकंडक्टर साधने आणि क्रिटिकल मिनरल्स यासाठी जागतिक पुरवठा साखळीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे भूराजकीय ताणतणाव किंवा निर्यात बंदी मुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तैवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका चीन वजपान यांसारख्या जागतिक तगड्या स्पर्धक देशांशी तंत्रज्ञान, खर्च आणि उत्पादन क्षमतेच्या बाबतीत स्पर्धा करावी लागणारच. सेमीकंडक्टर उत्पादनाची संपूर्ण परिसंस्था उभी करण्यासाठी अजून बरीच मजल मारणे बाकी आहे.

■ **अक्षय अरुण चेके,** बुलढाणा

समारंभांवर खर्च नको...

'बहुतांश राज्य दुष्काळात' ही महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी २६५ तालुके 'अवर्षणग्रस्त' जाहीर झाल्याची बातमी (लोकसत्ता- २७ सप्टेंबर) वाचली. दूष्काळाच्या तीव्र झळा सर्वत्र जाणवू लागल्या आहेत. शेतकऱ्याला तातडीने मदत मिळावी यासाठी सरकारने सत्वर पाऊल उचलले पाहिजे. राज्यात होणारे खर्चिक समारंभ कमी करून हा निधी दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांच्या मदतीसाठी खर्च करावा.असे मला वाटते.

■ **नामदेव गणपत राव,** नवीन पनवेल.

अशाही दिशांनी अभ्यास व्हावा

'लोकसत्ता विश्लेषण मधलं भारतातील प्रजनन दरामध्ये घट का झाली?' हे धर्मेश शिंदे यांचे 'विश्लेषण' (२५ सप्टेंबर) वाचले. त्यांनी त्यात वेगवेगळ्या कारणांचा ऊहापोह केला आहेच, पण माझ्या मते आणखी काही कारणांच्या दिशेने सखोल विचार केला गेला पाहिजे. उदाहरणार्थ बीटी बियाण्याचा वाढता वापर किंवा दुभत्या जनावरांना दिली जाणारी हार्मोन्सची इंजेक्शने! याचा मानवी प्रजननक्षमतेशी काय संबंध असे प्रथमदर्शनी वाटेल, पण जसजशा ह्या दोन गोष्टी वाढत गेल्या, तसतसे थायरॉईड प्रॉब्लेम, पीसीओडी हे शब्द ऐकू येऊ लागले.फर्टिलिटी सेंटर्सच्या जाहिराती आता वाढत चाललेल्या आहेत. या दोन गोष्टी त्याला कारणीभूत आहेतच असे नाही, पण अशा दिशांनीही अभ्यास केला गेला पाहिजे.

■ **प्रमोद पारनाईक,** नाशिक

'माय तरी ऐसी सांगा...'

नदीहक्कांसाठी उभ्या राहिलेल्या चळवळी, त्यातून नद्यांना मिळालेले हक्क, त्यांचं फलित, यांविषयी गणेशोत्सवापूर्वी याच लेखमालेतून चर्चा झालेली आहे. पण मुळात हक्क द्यायचे कशासाठी? हक्क देऊन काय साध्य करायचं? या प्रश्नांची उत्तरं पेरू देशातील कुकाम्मा जमातीच्या महिला कशी शोधतात हे आजच्या लेखात...

चित्ततोष खांडेकर
नदी विषयक संशोधक अभ्यासक
chittatoshresearch@gmail.com

नदीकारण

राज्यशास्त्रातली अत्यंत महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे हक्क! ही संकल्पनाच आधुनिक लोकशाहीचा पाया आहे. या संकल्पनेची बीजं युरोपातील मध्ययुगीन राजकारणात सापडतात. त्याकाळात सगळी सत्ता (पॉवर) ही चर्चच्या आणि राजाच्या हातात एकवटली होती. त्यात राजाही देवपुत्र म्हणून त्याच्याकडे सत्ता होती. त्यामुळे धर्मसत्ता किंवा राजसत्तेच्या विरोधात बोलणं निषिद्ध. कुणी बोललंच तर त्यांना स्वतःच्या स्वातंत्र्याला, प्रसंगी जिवालाही मुकावं लागत होतं. याच सत्तेच्या केंद्रीकरणाला लोक कंटाळल्यानं युरोपात पुनरुत्थान (रेनेसाँ) विचाराला बळ मिळालं. पुनरुत्थान काळातल्या विचारवंतानी सत्तेचं व्याकरणच बदललं. या विचारवंतांच्या अनुसार परमेश्वराची नाही, तर मानवाची या निसर्गावर सत्ता आहे. परमेश्वरसुद्धा मानव-निर्मित संकल्पना आहे. निसर्ग आधीपासून असेलही, पण समकालीन जग आपल्याला हवं तसं मानवानं बनवलं. त्यामुळेच निसर्गातला सर्वात श्रेष्ठ जीव मानव आणि त्यामुळेच त्याचा निसर्गावर अधिकार आहे. हा अधिकार देवानं दिला नसून आपल्या कर्तृत्वानं मिळवत त्यानं जगावर आपली सत्ता स्थापन केली. थोडक्यात, परमेश्वराचं नाव घेत चर्च आणि राजाच्या हातात एकवटलेल्या सत्तेचे विकेंद्रीकरणच या विचारवंतानी करून टाकलं. पण जर मानवाकडे इतकी अमर्याद सत्ता असेल तर त्याला मग धोका कोणाचा? या प्रश्नाचे उत्तरही हॉब्स या विचारवंतानं दिलं. मानवाला धोका दुसऱ्या मानवाचाच! सत्तेनं आणि सत्तेच्या हव्यासानं मानवजातीचा घात केला, असं हॉब्सचं थोडक्यात मत.

मानव पृथ्वीवर आल्यापासूनच सर्वाधिक सत्तेची स्पर्धा मानवांमध्ये सुरू झाली, आणि या युद्धात केवळ अनागोंदी माजली, असं हॉब्सला वाटे. हा संघर्ष रक्तरंजित झाला आणि शांतता लोप पावली. सत्तेचे हे दुष्परिणाम ओळखून मानवानं कायदा बनवला- ज्यातून प्रत्येक मानवाच्या सत्तेचे नियंत्रण होईल. सर्वशक्तिमान होण्याची रक्तरंजित स्पर्धा थांबेल. त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मग राज्यसंस्थेचा (स्टेट) जन्म झाला. म्हणजेच सत्तेच्या रक्तरंजित स्पर्धेनं मानवजातीचा घात करू नये, म्हणून राज्यसंस्थेत मानवजातीची सगळी सत्ता केंद्रित करण्यात आली. पण राज्यसंस्थेनंच सत्तेचा गैरवापर केला तर? तसं होऊ नये, म्हणून सगळ्या मानवांना हक्क देण्यात आले. हे हक्क खरं तर सर्व मानवांच्या हातातली मर्यादित सत्ता आहेत. हे हक्क सगळ्या लोकांना दिल्यामुळे राज्यसंस्था आपल्या सत्तेचा, सैन्याचा गैरवापर करू शकत नाही, तसंच मानवाच्या हातात मर्यादित सत्ताच असल्यामुळे तोही दुसऱ्या कुणाचा घात करू शकत नाही. प्रयत्न केलाच तर राज्यसत्ता त्याच्यावर कायद्याचा बडगा उगारणार. थोडक्यात हक्क हे सत्तेचं विकेंद्रीकरण करतात. 'राज्यव्यवस्थेमुळे लोक नाहीत, तर लोकांमुळे राज्यव्यवस्था आहे' ही जाणीव हक्कांमुळे येते. या हक्कांच्या संकल्पनेनं धर्मसत्ता आणि राजेशाही तर संपवलीच; पण सामान्य माणसांनाच राजेपदी बसवून लोकशाहीची स्थापनाही केली.

पण प्रत्यक्षात घडत गेलं ते असं की, या विचारवंतांनी मानवजातीच्या हातात सत्तेचे केंद्रीकरण करून निसर्गातील इतर सर्व सजीव-निर्जीवांचे हक्क काढून घेतले. या अमर्याद सत्तेचा वापर करून मानवानं निसर्गाची आणि त्यातही नदीची प्रचंड हानी केली. ती पुढे होऊ नये म्हणून नद्यांना हक्क द्या, सत्ता द्या ही मांडणी आता होते आहे. पण जसं धर्मसत्तेचे हक्क काढून मानवाकडे दिल्यानं निसर्गाचं नुकसान झालं, तसेच नदीला हक्क दिल्यानं ५०० वर्षांनी मानवाचंही नुकसान झालं तर? 'नदीला त्रास नाही द्यायचा' असं म्हणत, उद्या नदीचं पाणीही प्यायचे हक्क माणसाला उरले नाहीत तर?

ही शंका हास्यास्पद वाटत असली तरी अशक्य नाही. जसं मानवाच्या हाती सगळी सत्ता केंद्रित केल्यामुळे निसर्गाचा एवढा ऱ्हास होऊ शकतो, हे पुनरुत्थान काळातल्या विचारवंताना कळलं नाही, तसंच निसर्गाला सत्ता दिल्यानं मानवसमूहाला काय धोके संभवू शकतात हे आज आपल्याला कळू शकणार नाही. त्याला अनेक शतकं जावी लागतील. यात दोष हक्कांचा नाही. तर ज्या संकल्पनेतून हक्कांचा उगम झाला त्या 'सत्तेचा' आहे. हक्कांची ही सत्ता-केंद्री भाषा, पेरू या दक्षिण अमेरिकी देशातल्या कुकाम्मा जमातीच्या महिलांना कधी मान्यच नव्हती.

पेरूमधला कुकाम्मा समाज हाही पुरुषसत्ताक संस्कृतीचाच पाठीराखा. जगातल्या इतर पुरुषसत्ताक समाजांप्रमाणेच, याही समाजातल्या निर्णय प्रक्रियेत, राज्यकारभारात महिलांना कोणतेही अधिकार देण्यात येत नव्हते. मॅरानॉन नदीच्या काठी शेती करून आणि अमेझॉन खोऱ्यातील जंगलातलं मौल्यवान लाकूड विकून हा समूह वर्षानुवर्षं शांततेनं जगत होता. पण १९७०च्या सुरुवातीला, हा समाज राहत असलेल्या लोरेटो प्रांतात तेलाचा शोध लागला. मग १९७८ पासून इथं मोठ्या प्रमाणात तेलाचं खाणकाम सुरू झालं. या खाणकामापायी प्रचंड जंगलतोड झाली. जड धातूंमुळे आणि विषारी रसायनांनी नदी प्रदूषित झाली. नदीकाठच्या मातीतही हे धातू मिसळल्यानं पीकसुद्धा विषारी झालं. यातून पिण्याच्या पाण्याचं दुर्भिक्ष्य झालं. याविरोधात पुरुष

नेत्यांनी दंड थोपटले, आंदोलनं केली पण काही मिळालं नाही. कुकाम्मा महिलांची भूमिकाच थोडी वेगळी होती. कुकाम्मा महिला निसर्गालाच परमेश्वर मानतात. पण त्यांच्यासाठी परमेश्वर म्हणजे जगाचा शासक नाही. ज्याच्या हाती सगळी सत्ता आहे, असा सर्वशक्तिमानही नाही. मुळात परमेश्वर त्यांच्यासाठी 'तो' नाही... परमेश्वर ही माऊली आहे. या विश्वाची जननी आहे. निसर्गरूपी परमेश्वराशी माणसाचं नातं माय-लेकराचं आहे. हाच विचार तुकाराम महाराजांच्या अभंगामध्ये दिसतो,

'पुरविली आळी। जे जे केली ते ते काळीं ।।
माय तरी ऐसी सांगा । कृपाळूवा पांडुरंगा ।।'

माझ्या सगळ्या इच्छा पुरवणारी, हवं ते, हवं तेव्हा देणारी पांडुरंगासारखी दुसरी आई कुठली?

कुकाम्मा महिला परमेश्वराला वसुंधरा या अर्थानं, 'पुरवा' म्हणतात. या 'पुरवा आई'च्या उदरांतून सगळ्या सृष्टीची - अगदी नदीचीही - निर्मिती झाली. ती पुरवाच मॅरानॉन नदीचीही माय आहे. नदी, जंगल, पर्वत, पठार ही सारी पुरवाचीच लेकरं. या प्रत्येक अपत्यानं मानवाच्या एका-एका कुळाला जन्म दिला. आजही कुकाम्मा लोक स्वतःला निसर्गातल्या वेगवेगळ्या रचनांचे वंशज मानतात. ज्याप्रमाणे भारतात सूर्यवंशी आणि चंद्रवंशी समाज आहेत, तसंच कुकाम्मांमध्ये नदीवंशी, जंगलवंशी, पर्वतवंशी समाज आहेत. अगदी तशी आडनावंही ते लावतात. त्यामुळं संपूर्ण मानवजातीची जननीच पुरवा- आई आणि तिच्या अनेक मॅरानॉन नदीसारख्या कन्या आहेत. ती आपली काळजी घेते, सत्ता गाजवत नाही. पण जशी आई मुलांची काळजी घेते, तशीच मुलांनाही आईची काळजी घ्यावीच लागते. काळजी नाही घेतली तर काय होईल? आई आजारी पडेल, आणि नदीरूपी आईच आजारी पडली, तर तिच्यावर अवलंबून असणारी मुलं जगणार कशी? तेव्हा मॅरानॉन आईला वाचवायलाच हवं. ती जशी आपल्या शेकडो पिढ्यांची काळजी घेते, तशी येणाऱ्या असंख्य पिढ्याही तिची काळजी घेतच आहेत की. त्यामुळे तिची काळजी घेण्यासाठी तिला हक्क द्यायला हवे. त्यासाठीच आम्ही कुकाम्मा महिला नदीच्या राखणदार बनू आणि नदीला धक्का पोहोचवेल असे तेलाचं खाणकाम आम्ही कुणालाही करू देणार नाही- अशी भूमिका कुकाम्मा महिला संघटनांनी घेतली. पण नदीला हक्क देण्याची कोणतीही तरतूद, पेरूच्या संविधानात नव्हती, मग हक्क देणार कुठून?

यावर कुकाम्मा महिलांनी वेगळाच युक्तिवाद केला. पेरूच्या संविधानात चांगल्या पर्यावरणाचा मूलभूत अधिकार आहे. पण चांगलं पर्यावरण राखायचं तर, पर्यावरणाची काळजी घेण्याचं कर्तव्य नागरिकांवर येतं. तेव्हा पर्यावरण चांगलं ठेवण्याचं कर्तव्य पार पाडण्यासाठी आणि चांगल्या पर्यावरणाचा मूलभूत अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी मॅरानॉन नदीला हक्क देणं गरजेचं आहे. तसं केलं तरच तेल-उत्खननाला चाप बसेल. हा युक्तिवाद तिथल्या न्यायालयानं मान्य केला आणि मॅरानॉन नदीची काळजी घेण्यासाठी तिला जगण्याचा हक्क दिला, कुकाम्मा समाजाच्या प्रतिनिधींना तिचे राखणदार बनवलं. या निकालानं नदीहक्कांची काळजी आणि कर्तव्यमूलक अशी नवी चौकटच उभी केली.

'नदीहक्कांची भाषा ही सत्तामूलक नाही, तर काळजीमूलक असावी'- हा संदेश कुकाम्मा महिलांची ही कथा देते. हक्कांची आणि राजकारणाची भाषाच सत्ताकेंद्री (पॉवर-सेंट्रिक) नाही तर काळजीकेंद्री (केअर-सेंट्रिक) असावी या स्त्रीवादी (फेमिनिस्ट) विचाराशी कुकाम्मा महिलांची भावना साधर्म्य साधते. पण त्याहीपुढे जाऊन नदीच आणि आपलं नातं हे आई-मुलाचं नातं आहे, तेव्हा नदीची काळजी घेणं हे आपलं संविधानिक कर्तव्य आहे, हे या कुकाम्मा महिला कायद्याच्या भाषेत ठसवतात.

पण जिथं नदीला कायम माता म्हणून पुजलं गेलं, त्या भारतात नदीहक्कांची स्थिती काय? या प्रश्नाची काही उत्तरं पुढच्या लेखांतून समजून घेऊ.

कुतूहल

गाडीची बॅटरी कशी काम करते?

गाडीचं इंजिन सुरू होतं, दिवे लागतात, हॉर्न वाजतो. या सगळ्यामागे काम करणारा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे गाडीची बॅटरी. गाडीच्या कार्यात बॅटरी आवश्यक आहे. पण ती नेमकी कशी काम करते आणि काही वर्षांनी ती का बदलावी लागते, याचा विचार आपण क्वचितच करतो. चला, गाडीच्या बॅटरीचं जीवनचक्र समजून घेऊया.

बहुतेक गाड्यांमध्ये लेड-ॲसिड बॅटरी वापरली जाते. तिच्यामध्ये शिशाच्या आणि लेड डायऑक्साइडच्या प्लेट्स असतात. या प्लेट्स सल्फ्युरिक आम्ल आणि पाण्याच्या द्रावणात बुडालेल्या असतात. या द्रावणाला 'इलेक्ट्रोलाइट' म्हणतात.

गाडी सुरू करताना बॅटरीमध्ये रासायनिक प्रक्रिया सुरू होते. या प्रक्रियेत शिशाच्या प्लेट्समधून इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतात आणि तारांमधून वाहू लागतात. इलेक्ट्रॉनच्या या प्रवाहालाच विद्युतप्रवाह म्हणतात. हाच प्रवाह स्टार्टर मोटरला मिळून इंजिन सुरू होतं. इंजिन सुरू होऊन गाडी चालू लागल्यावर अल्टरनेटर कार्यरत होतो. तो वीज निर्माण करून बॅटरी पुन्हा चार्ज करतो. त्यामुळे रासायनिक प्रक्रिया उलट दिशेने घडते आणि वापरलेली ऊर्जा पुन्हा बॅटरीमध्ये साठवली जाते. अशा प्रकारे बॅटरी सतत डिस्चार्ज आणि चार्ज होत राहाते.

बॅटरीचं चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंगचं चक्र हजारो वेळा चालतं. मात्र प्रत्येक वेळी प्लेट्सवर लेड सल्फेटचा थोडासा थर तयार होतो. चार्जिंगदरम्यान त्यातील बहुतांश थर निघून जातो; पण काही भाग कायम राहतो. कालांतरानं हा थर जाड होत जातो. त्यामुळे रासायनिक प्रक्रिया मंदावते आणि बॅटरीची वीज साठवण्याची क्षमता कमी होते. यालाच 'सल्फेशन' म्हणतात.

याशिवाय गाडीच्या धक्क्यांमुळे आतल्या प्लेट्स झिजतात आणि त्यांचे सूक्ष्म कण तळाशी साचतात. हे कण वाढल्यास शॉर्टसर्किट होण्याचा धोका निर्माण होतो. तसंच इंजिनच्या उष्णतेमुळे इलेक्ट्रोलाइटमधलं पाणी कमी होतं. त्यामुळे प्लेट्स उघड्या पडून त्यांवर गंज चढतो. गाडी दीर्घकाळ न वापरणं किंवा चार्जिंग यंत्रणेत बिघाड असणं यामुळेही बॅटरीचं आयुष्य कमी होतं.

बॅटरी खराब होण्यापूर्वी काही संकेत दिसू लागतात. गाडी सुरू होण्यासाठी जास्त वेळ लागतो, स्टार्टर मंद फिरतो किंवा हॉर्नचा आवाज मंदावतो. योग्य देखभाल, नियमित वापर आणि चार्जिंग यंत्रणा व्यवस्थित असल्यास गाडीची बॅटरी साधारण दोन ते तीन वर्षं टिकते. त्यानंतर तिची कार्यक्षमता कमी होत जाते आणि अखेरीस ती बदलावी लागते.

थोडक्यात, गाडीच्या बॅटरीच्या आत सतत रासायनिक प्रक्रिया सुरू असतात. या प्रक्रियांची हजारो चक्रं पूर्ण झाल्यानंतर तिची कार्यक्षमता कमी होते आणि अखेरीस नवीन बॅटरीची गरज भासते.

– गिरीश घाटे
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

डॉ. जी. विजयराघवन

गल्लोगल्ली नाही तरी गावोगावी आणि शहरांच्या विविध भागांत आता 'टू-डी इको'ची सोय असते... कुठे महाग तर कुठे तुलनेने स्वस्त इतकाच फरक! पण हृदयक्रियेच्या तपासणीची ही पद्धत युरोप-अमेरिकेत १९५० ते १९७२ या काळात धीम्या गतीने विकसित होत राहिली, ती भारतात पहिल्यांदा आणण्याचे श्रेय डॉ. जी. विजयराघवन यांना दिले जाते. हृदयविकारांवरील संशोधनासाठी नावाजलेले आणि वैद्यकीय सेवेसाठी २००९ मध्ये 'पद्मश्री' मिळवणारे डॉ. विजयराघवन गेल्या रविवारी (२० सप्टेंबर) वारले.

पाश्चात्त्य देशांत १९७५ पर्यंत सर्रास उपलब्ध असलेले 'टू-डी इकोकार्डिओग्राफी यंत्र-संच' भारतातही उपलब्ध व्हावेत, यासाठी अमेरिकेची 'ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी लॅबोरेटरी' (एटीएल) आणि भारतातली 'इंडकेम लॅबोरेटरीज' यांच्यात करार होण्यापासून प्रत्येक टप्प्यावरला पाठपुरावा आणीबाणीनंतरच्या 'जनता पार्टी सरकार'च्या काळात डॉ. विजयराघवन यांनी केला, त्यामुळे तिरुवनंतपुरमच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात पहिले 'टू-डी इको' यंत्र आले आणि लगोलग मुंबईच्या पोर्ट ट्रस्ट रुग्णालय, केईएम यांसह अनेक महत्त्वाच्या रुग्णालयांतही पोहोचले. पण हे यंत्र आणणे एवढेच काही डॉ. विजयराघवन यांचे साध्य नव्हते. प्रतिबंधात्मक हृदयरोगशास्त्र ही शाखा प्रगत व्हावी, हृदयविकारांचे निदान आणि उपचार अधिकाधिक अचूक व्हावेत, या जणू ध्येयानेच केरळमधील या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात ते कार्यरत होते. 'टू-डी इको'च्या आधी, १९७६ मध्ये त्यांनी तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज आणि लंडनमधील ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल यांच्या सहकार्याने त्यांनी 'एंडोमायोकार्डियल फायब्रोसिस' - म्हणजे हृदयातील 'भिंतीं'ना आतून येणारी सूज किंवा होणारे छेद- या विषयावर संशोधन केले होते. रुग्णांमधील ही स्थिती शोधण्यासाठी 'टू- डी इको' उपयुक्त ठरेल, हे त्यांच्या लक्षात तेव्हा आले. याहीनंतर 'डॉप्लर' तंत्र विकसित झाले; तेव्हा त्याचा अभ्यास करून डॉ. विजयराघवन यांनी त्यावर पाठ्यपुस्तक लिहिले. एव्हाना- १९८४ पासून- केरळ विद्यापीठात हृद्रोगांशी संबंधित पीएच.डी. संशोधन करणाऱ्या अनेक डॉक्टरांचे 'गाइड' म्हणूनही ते काम करत होते.

वैद्यकीय क्षेत्रात प्रतिष्ठेचे मानले जाणारे अनेक मानसन्मान त्यांना मिळाले. ब्रिटनचे 'रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स' आणि ह्यअमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डिओलॉजी' यांचे ते मानद फेलो होते, तर 'इंडियन ॲकॅडमी ऑफ इकोकार्डिओग्राफी', 'इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डिओलॉजी' आणि 'कार्डिओलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया' या तीन्ही महत्त्वाच्या संस्थांनी त्यांना जीवनगौरव पुरस्कार दिले होते. तिरुवनंतपुरमच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून १९९८ मध्ये हृदयरोग विभागाचे प्रमुख या पदावरून निवृत्ती घेऊन त्यांनी कुवेत युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलमध्ये प्राध्यापक आणि दुबईतील वेलकेअर हॉस्पिटलमध्ये हृदयरोग विभाग प्रमुख म्हणूनही काम केले.

डॉ. विजयराघवन यांनी अनेक विद्यार्थी तयार केले. त्यांना ८४ व्या वाढदिवसानंतर तिसऱ्याच दिवशी मृत्यूने गाठले.

राजवाडे विचारविश्व

तंजावरच्या मंदिरातील अतिविस्तृत शिलालेख

चौर्यांयशीच्या शिलालेखाबद्दल व त्या निमित्ताने इतरही काही संबंधित बाबींबद्दल वि. का. राजवाडे यांनी जसे संपादकीय भाष्य केले होते, तसे त्यांनी 'तंजावर येथील शिलालेखा'बाबत मात्र केले नाही आणि तरीही त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे. धुळे येथून प्रसिद्ध होणाऱ्या 'प्रभात' या मासिकातून १९०६ साली त्यांनी तो प्रसिद्ध केला; पुढे तोच मजकूर त्यांनी 'मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने', खंड ९वा म्हणून कोल्हापूरहूनही प्रकाशित केला. 'हा शिलालेख म्हणजे एक बखरच आहे', हे आपले मत त्यांनी 'राधामाधवविलासचंपू'ला लिहिलेल्या प्रस्तावनेत नोंदवले होते. 'शिवदिग्विजय, शिवप्रताप या दोन बखरींच्याच वर्गात हा बृहदीश्वर शिलालेख पडतो. तो मूलतः बखरच आहे, इतकेच की, याला दगडावर कोरिला जाण्याचा मान मिळाला आहे'.

हा शिलालेख कोरताना रचनाकाराला काही अस्सल दस्तऐवज उपलब्ध झालेले असावेत, कारण तंजावरला भोसल्यांची गादी होती - अशी शक्यता जरी त्यांनी व्यक्त केली होती, तरी त्या शिलालेखातील मजकुराच्या ऐतिहासिक सत्यासत्यतेविषयी विश्वासार्ह पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांनी त्याबद्दलचे भाष्य टाळले होते. त्यांनी लिहिले होते, 'ह्या (तिन्ही) बखरींमध्ये आधुनिक परंपरागत कर्णोपकर्णी ऐकलेली व कागदपत्रांवरून काढिलेली जी माहिती दिली आहे, तिला प्रत्यंतर पुरावा दुसर्या कोणत्याहि मराठी बाह्य ग्रंथाचा नाही. परंतु लढायांसंबंधाने जी काही माहिती धरसोडीने दिली आहे, तिला मुसलमानी तवारिखांतील पुराव्याचा पडताळा देऊन पारखिता येते. साधनांची ऐतिहासिक किंमत ही अशी आहे. त्यातून विश्वसनीय भाग निवडून काढून तो कालानुक्रमाने शिस्तवार मांडण्याचा उद्योग येथे करावयाचा आहे. कालान्तराने समकालीन कागदपत्रांचा अस्सल पुरावा जेव्हा बाहेर येईल तेव्हा प्रस्तुतच्या मांडणीत फेरबदल, वाढ किंवा छाट करणे सहजच भाग पडेल...'

राजवाड्यांनी जरी तंजावरच्या त्या शिलालेखाबद्दल सविस्तर संपादकीय भाष्य केलेले नसले, तरीही त्यांनी बृहदीश्वर देवालयात जाऊन तो मिळवला, ही घटनाच मुळी दखलपात्र ठरली. याचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्या इतिहासाशी संबंधित एवढा मोठा शिलालेख अन्यत्र पाहण्यात नाही. तो किती मोठा आहे, याची कल्पना यावी म्हणून एकच तपशील पुरेसा आहे. समग्र राजवाडे साहित्यसंचाच्या ज्या चौथ्या खंडात तो शेवटी समाविष्ट करण्यात आला आहे, त्या खंडाची तब्बल ५९ छापील पाने त्या शिलालेखाच्या मजकुराने व्यापलेली आहेत. तंजावरच्या राजघराण्यातील कर्त्याधर्त्या पुरुषांच्या आज्ञेवरून कोरल्या गेलेल्या त्या शिलालेखाचे मराठ्यांच्या इतिहासाच्या संदर्भात असणारे वादातीत महत्त्व ओळखून राजवाड्यांनी चिकाटीने तो शिलालेख उतरवून घेतला आणि इकडे येऊन तो अभ्यासकांच्या सोयीसाठी प्रकाशितही केला. त्या शिलालेखाची अपूर्वता स्पष्ट करणारा विस्तृत समीक्षालेख डॉ. ब्रह्मानंद देशपांडे यांनी (त्याच खंडात प्रत्यक्ष शिलालेखापूर्वी समाविष्ट) लिहिला असून जिज्ञासू अभ्यासकांनी तो अवश्य वाचावा.

या शिलालेखासंबंधी राजवाड्यांनी संपादकीय भाष्य केले नसले आणि त्या मजकुराच्या ऐतिहासिक सत्यतेबाबत सावधगिरीची भूमिका घेतली असली, तरी 'राधामाधवविलासचंपू'वरील प्रदीर्घ प्रस्तावनेत मात्र त्यांनी किमान दहा वेळा तरी आपल्या मतांच्या वा निष्कर्षांच्या पुष्टीसाठी याच शिलालेखाचा आधार घेतला आहे, हे डॉ. देशपांडे यांनी त्या लेखात स्पष्ट केले आहे : 'लखूजी जाधवरावाने भोसल्यांशी विवाहसंबंधांना नकार देताच मालोजीने शहाजीचे पहिले लग्न मोहित्यांची कन्या उमाबाईशी लावले... मालोजी युद्धात मरण पावल्यानंतर त्याची जहागीर व सैन्य यांचे आधिपत्य शहाजीस मिळाले... भातवडीच्या लढाईत पराक्रम गाजवल्यानंतर शहाने वजीर मलिक अंबरपेक्षाही अधिक बहुमान शहाजीराजाचा केला... वगैरे घटनांची तसेच अनेक संबंधित व्यक्तींची नावनिशीवार नोंद करताना राजवाड्यांनी या शिलालेखाचाच आधार घेतला आहे, हे विशेषत्वाने लक्षात घेण्यासारखे आहे.'

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

निमंत्रणाचा नेम!

युद्धसमाप्ती, तैवान, ‘चिप्स’साठी दुर्मीळ खनिजे, ‘एआय’वर नियंत्रण... यापैकी एकही विषय अमेरिकी अध्यक्षांनी चिनी अध्यक्षांपुढे धसास लावला नाही...

आत्ममग्न नेत्यांस मिरवणे आवडते. त्यात आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ असेल तर उत्तम. आणि ज्यास जागतिक पातळीवर मुत्सद्दी म्हणून मिरवावयाचे असेल त्यास देखावा हा धर्मच. हे सर्व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांस लागू होते. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची ताजी अमेरिकाभेट ट्रम्प यांनी या देखावा दर्शनासाठी पुरेपूर वापरली. ते त्यांच्या शैलीनुसार आणि त्यांच्या विषयीच्या अपेक्षेनुसार झालेले असले तरी जिनपिंग यांस बरेच काही दाखवताना आपले बरेच काही उघडे पडते आहे याचे भान ट्रम्प यांस राहिले नाही. ट्रम्प जे दाखवू इच्छित होते ते सर्वांनीच पाहिले. पण ट्रम्प यांस काय झाकता आले नाही याची चर्चा प्रस्तुत संपादकीयात.

जिनपिंग अमेरिकेच्या भूमीवर पाऊल ठेवते झाले तेव्हा संयुक्त राष्ट्राचे महाअधिवेशन सुरू होते. देशोदेशीचे प्रमुख या अधिवेशनात सहभागी होण्यास संयुक्त राष्ट्राच्या न्यूयॉर्क येथील मुख्यालयात जमत असताना जिनपिंग हे न्यूयॉर्कला फिरकलेदेखील नाहीत. ते थेट वॉशिंग्टन येथे गेले. असे करून त्यांनी संयुक्त राष्ट्राचे महत्त्व कमी केलेच; आपण या संघटनेच्या वर आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्याआधी ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत हजेरी लावून आपल्या शैलीनुसार अद्वातद्वा भाषण केले. जिनपिंग यांनी तसे केले नाही. काही प्रसंग असे असतात की ज्यात काहींच्या उपस्थितीपेक्षाही अन्य काहींची अनुपस्थिती अधिक लक्षणीय असते. जिनपिंग यांनी असा एक प्रसंग या कृतीतून घडवला. वास्तविक गेल्या काही वर्षांत चीनने संयुक्त राष्ट्रासाठी आपले आर्थिक योगदान वाढवलेले आहे. तरीही जिनपिंग तेथे फिरकले नाहीत. दुसरा मुद्दा ट्रम्प आणि माध्यम संबंधांचा. जिनपिंग अमेरिकेत येत असताना ‘सीएनएन’ आदी वृत्तवाहिन्यांवर ट्रम्प यांनी ‘व्हाइट हाउस’ प्रवेशबंदीची घोषणा केली. ती करून माध्यम स्वातंत्र्याबाबत जिनपिंग यांच्याशी त्यांनी बरोबरी साधली. तथापि स्थानिक न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे ट्रम्प यांना काही काळासाठी का असेना; पण हा माध्यमबंदीचा निर्णय स्थगित करावा लागला. ट्रम्प यांचा ‘सीएनएन’वर जुना राग. या वृत्तवाहिनीचे निर्भीड सत्यकथा प्रदर्शन ट्रम्प यांस मंजूर नाही. त्यामुळे या आणि अशा माध्यमांस देशद्रोही ठरवण्याचा ते सातत्याने प्रयत्न करतात. ‘मी म्हणजेच देश’ असा ज्या नेत्यांचा समज असतो त्यांच्याकडून अन्य काही अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ. त्यामुळे ट्रम्प यांचे वर्तन अपेक्षापूर्ती करणारे असले तरी जिनपिंग यांच्या अमेरिकाभेटीत ते दिसून आल्याने अमेरिकेचा एक नैतिक अधिकार ट्रम्प यांनी गमावला. अमेरिकेस जगास लोकशाही मूल्यांवर प्रवचन देणे आवडते. त्यातूनच एके काळी उत्तर कोरिया, चीन आदी देशांतील दडपशाहीवर अमेरिकी अध्यक्ष बोलत. ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा हा नैतिक अधिकार गमावला.

जग सध्या रशिया-युक्रेन, इराण-अमेरिका आदी युद्धांनी त्रस्त आहे. ही युद्धे थांबवण्यासाठी अमेरिका– विशेषतः ट्रम्प– प्रयत्नशील आहेत. या त्यांच्या प्रयत्नांना साग्रसंगीत खीळ घालण्याचा राजरोस उद्योग चीनकडून सुरू आहे. चीन हा युक्रेनविरोधात रशियाचा राखणदार आणि अमेरिकेविरोधात इराणचा इमानदार साथी. जिनपिंग यांच्या अमेरिका दौऱ्यात अपेक्षा ही होती की ट्रम्प या युद्धाचा मुद्दा चर्चेत काढतील आणि युद्ध समाप्ती जरी नाही तरी निदान शस्त्रसंधीच्या प्रयत्नांस गती येईल. पण ट्रम्प यांनी या युद्धात चीनच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करणे बाजूलाच राहिले; उलट एक शब्दही काढला नाही. जिनपिंग अमेरिकेत येण्याआधीच ट्रम्प यांनी रशियास मदत करणाऱ्या देशांस १०० टक्के आयातशुल्काची शिक्षा करण्याचा निर्णय जाहीर केला. ही शिक्षा सहन करावी लागेल असे दोन संभाव्य देश म्हणजे चीन आणि भारत. पण जिनपिंग यांनी या संभाव्य शिक्षेच्या मुद्द्यास एका पैचीही किंमत दिली नाही. चिनी अध्यक्ष आपल्या देशात असताना ट्रम्प यांनी याबाबत काही भूमिका घेणे अपेक्षित होते. पण यांनी हा मुद्दा टाळला. त्यामागील वास्तव केवळ इराण वा युक्रेन यांच्या भवितव्यासाठी महत्त्वाचे आहे असे नाही. ट्रम्प यांच्या या मौनामागे चीनचे तैवान अंग आहे. शेजारी तैवानचे स्वातंत्र्य चीनला मंजूर नाही. तंत्रदृष्ट्या सामर्थ्यवान, जागतिक बाजारपेठेचे महत्त्वाचे अंग असलेला हा देश गिळंकृत करणे हे चीनचे सुप्त ध्येय आहे. हे रोखणे केवळ आणि केवळ अमेरिकेच्या हाती आहे. पण या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर मूग गिळून ट्रम्प यांनी आपल्या सामर्थ्याच्या मर्यादाच उघड्या पाडल्या.

> ... व्हाइट हाउसमध्ये ‘सीएनएन’च्या प्रतिनिधींस या ऐन भेटीवेळी प्रवेशबंदी, जिनपिंग यांच्या सन्मानार्थ मेजवानी देतानाही अपेक्षित विषय टाळून नव्या बॉलरूमचे कौतुक, यांतून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आज कुठल्या पातळीला आहेत हेही दिसलेच...

आधुनिक तंत्रज्ञानात अत्यावश्यक असलेले दुर्मीळ खनिज घटक चीनच्या भूमीत आढळतात. अतिजलद संगणक, कृत्रिम प्रज्ञा अशा गुंतागुंतीच्या तंत्रप्रक्रियांतील संगणकीय ‘चिप्स’ बनवण्यासाठी ही स्कँडियम, सेरियम, होल्मियम अशी १७ संयुगे आवश्यक असतात. त्यातील बहुतांश चिनी मातीत आढळतात. त्यामुळे त्यावर एक प्रकारे चीनची मक्तेदारी आहे. यांचा पुरवठा रोखून चीन अन्य देशांच्या नाड्या आवळू पहातो. जिनपिंग यांच्या ताज्या अमेरिका भेटीत ट्रम्प हा मुद्दा धसास लावतील ही अपेक्षा होती. ती अन्य काही मुद्द्यांप्रमाणे व्यर्थ ठरली. हा मुद्दा ट्रम्प यांनी रेटला नाही. उलट चीनने अमेरिकी धान्योत्पादनांस, दुग्धजन्य पदार्थांस बाजारपेठ खुली करावी अशी अपेक्षा ट्रम्प यांनी व्यक्त केली. नेहमीप्रमाणे जिनपिंग यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यावर काही भाष्य केले नाही. त्याचवेळी अमेरिकेने चिनी उत्पादनांस अधिक मुक्तद्वार द्यावे वगैरे काहीही मागण्या ट्रम्प यांच्याकडे केल्या नाहीत. चीनला त्याची गरज नाही. कारण अमेरिकी असो वा युरोपीय असो वा भारतीय. सर्वच बाजारपेठांत चिनी उत्पादने ठासून भरलेली असतात. त्यामुळे या मुद्द्यावर बचावात्मक वाटेल असा पवित्रा घेण्याची वेळ ट्रम्प यांच्यावर आली. बोलघेवडे ट्रम्प वचावचा करत असताना जिनपिंग यांनी मात्र मुत्सद्दीमौन पाळण्याचा शहाणपणा दाखवला.

पुढील मुद्दा जिनपिंग यांच्या सन्मानार्थ ट्रम्प यांनी आयोजित केलेल्या बड्या खान्याचा. ॲपल, ॲमेझॉन, एन्व्हिडिया आदी बलाढ्य कंपन्यांचे प्रमुख या मेजवानीस उपस्थित होते. या अनौपचारिक चर्चेत कृत्रिम प्रज्ञेच्या (एआय) वाढत्या आव्हानावर चर्चा होईल अशी अपेक्षा होती. या मुद्द्यावर अमेरिका आणि चीन अशी स्पर्धा सुरू आहे. पण ट्रम्प यांनी त्या मुद्द्यास काही हात घातला नाही. या बड्या खान्यातील भाषणात ट्रम्प बोलून बोलले कशाबद्दल? तर ‘व्हाइट हाउस’चा एक कक्ष पाडून तेथे ते उभारत असलेल्या नव्या ‘बॉलरूम’ विषयी ! तेवढेच बोलून थांबतील तर ते ट्रम्प कसले ! त्यांनी उपस्थित मान्यवरांना या नव्याने आकारास येत असलेल्या कक्षास भेट देण्याची विनंती केली. ‘‘या कक्षाचे दर्शन घेणारे तुम्ही पहिले असाल’’, हे ट्रम्प यांचे उद्गार. ते ऐकून प्रबुद्ध अमेरिकनांस धन्य धन्य झाले असेल. त्याहीपेक्षा इतिहासाची बदललेली पावले दिसून त्यांना चिंता वाटली असेल. इतिहासाचा हा बदलता प्रवास जिनपिंग यांनी दाखवून दिला. आपल्या भाषणात त्यांनी एक लाख अमेरिकी विद्यार्थ्यांना चीनमधे येऊन चिनी प्रगती जाणून घेण्याचे निमंत्रण दिले. ही बाब धक्कादायक अशासाठी की साधारण साडेतीन दशकांपूर्वी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी त्यावेळी एक लाख चिनी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत येऊन ‘मोकळा श्वास’ घेण्याचा आनंद कसा असतो ते अनुभवण्याचे आवाहन केले होते. आज चीनचे अध्यक्ष अमेरिकी विद्यार्थ्यांस असे निमंत्रण देतात. हा निमंत्रणाचा नेम बदलत्या जगाचे वास्तव दाखवून देतो. त्याची नोंद आपणासाठीही आवश्यक.

‘जंतर-मंतर २.०’च्या रेट्याची प्रतीक्षा...

लाल किल्ला

महेश सरलष्कर
mahesh.sarlashkar
@expressindia.com

> जनमताचा रेटा हेच धारदार आयुध आहे, त्याचा वापर केल्याशिवाय निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास परत येऊ शकत नाही, हे विरोधी पक्षांना आणि लोकांनाही समजले आहे. तसे नसते तर शुक्रवारी दिल्लीत ‘जंतर-मंतर २.०’ची झलक पाहायलाच मिळाली नसती; पण या आंदोलनाचे खरे स्वरूप मुंबईतून दिसणार आहे...

दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्रात मतदार याद्यांमध्ये फेरफार केला जात असल्याचा आणि हे सगळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आशीर्वादाने होत असल्याचा आरोप केला होता. विधानसभा २०१९ ते लोकसभा २०२४ या निवडणुकांदरम्यानच्या सुमारे पाच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्राच्या मतदार यादीत सुमारे ३२ लाख मतदारांची वाढ झाली. मात्र, लोकसभा २०२४ ते विधानसभा २०२४ या अवघ्या पाच महिन्यांच्या काळात राज्यात ३९ लाख नवीन मतदारांची भर पडली. म्हणजे पाच वर्षांत झालेल्या वाढीपेक्षा पाच महिन्यांत झालेली वाढ अधिक होती. भाजप केंद्रीय निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून मतदार याद्यांमध्ये आपल्याला हवे ते बदल करून घेत आहे आणि निवडणुका जिंकत आहे, हा राहुल गांधींनी त्या वेळी केलेला आरोप देशातील निवडणूक प्रक्रियेमध्ये कुठे तरी पाणी मुरत असल्याचे दर्शवत होता. त्या वेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार किंवा केंद्रातील मोदी सरकार यांना आपल्या पायाखालची वाळू सरकू लागल्याचा अंदाज आला नव्हता. त्याची सुरुवात महाराष्ट्रापासून झाली, आता ‘जंतर-मंतर २.०’ देखील महाराष्ट्रातूनच होणार आहे. त्याचा वणवा देशभर पसरू शकतो हे न समजण्याइतके मोदी सरकार दूधखुळे नाही!

उत्तर प्रदेशाचा प्रश्न

खरे तर मोदी सरकारची अग्निपरीक्षा उत्तर प्रदेशात होणार आहे. इथल्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला तरी लोकांचा त्यावर विश्वास बसेलच असे नाही. समजा, योगी सरकार तिसऱ्यांदा जिंकले तरी निवडणुका पार पाडणारे महोदय ज्ञानेश कुमार हेच असतील. त्यांच्या कर्तृत्वाचा पाढा लोक आता वाचू लागले आहेत. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ‘एक्स्पोजे’मधून दाखवण्यात आलेल्या त्रुटींची अप्रत्यक्ष कबुली ज्ञानेश कुमार यांनीच शनिवारी निवेदन प्रसिद्ध करून दिली आहे. हे निवेदन म्हणजे ज्ञानेश कुमार यांचा कबुलीनामाच म्हटला पाहिजे. कॉक्रोच जनता पार्टीने ज्ञानेश कुमारांना पायउतार होण्यासाठी ४८ तासांची मुदत दिली होती, ती संपली. म्हणजे ज्ञानेश कुमार राजीनामा देणार नाहीत, तेच उत्तर प्रदेशची निवडणूक करणार. ज्या आयुक्तांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह आहे, त्यांच्या देखरेखीखाली होणाऱ्या निवडणुकीचे निकाल तरी कसे विश्वासार्ह मानता येतील, असा प्रश्न आहे. समजा, भाजप या निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने जिंकला तर देशाने मोदींच्या बाजूने कौल दिला असे भाजप म्हणू शकेल पण, लोकांचा त्यावर विश्वास किती बसेल, याचा भाजपने विचार करायला हवा. खरेतर भाजपचा पराभव झाला तर निदान भाजपला म्हणता तरी येईल की, बघा, उत्तर प्रदेश आम्ही हरलो. निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्षपणे राबवली गेली आहे. पण, भाजपची कोंडी अशी की, उत्तर प्रदेशमध्ये पराभव झाला तर पक्षांतर्गत मतभेदच चव्हाट्यावर येऊ लागतील. शिवाय, केंद्रातील मोदी सरकारला प्रचंड हादरा बसेल. ही २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची नांदी तर नव्हे, अशी चर्चा होऊ लागेल. हे प्रतिकूल वातावरण मोदी आणि भाजपच्या इकोसिस्टीमसाठी घातक असेल. ज्ञानेश कुमार यांचे कर्तृत्व जगजाहीर झाल्यामुळे बारा वर्षांत मोदी सरकारचे आणि भाजपचे कधी नव्हे इतके नुकसान झालेले आहे, हे मान्य करायला हवे!

आता मोदींच्या लोकप्रियतेच्या बळावर, हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणावर, ‘घुसके मारेंगे’च्या कथित डंक्याच्या जिवावर भाजपला निवडणुका जिंकता येणार नाहीत. शिवाय, भाजप केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा कसा गैरवापर करू शकतो हेही एव्हाना उघड झालेले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारकडून निष्पक्षतेची अपेक्षा नाही असे लोकांना वाटू लागले आहे. निदान जेन-झींना तरी तसे वाटते. जंतर-मंतर १.० दिल्लीत झाले तेव्हा मुद्दा जेन-झींशी म्हणजे तरुणांशी संबंधित होता, नीट आणि शिक्षणव्यवस्थेमध्ये सुधारणांची मागणी त्यांनी केली होती. धर्मेंद्र प्रधानांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हादेखील हे प्रकरण निवळेल, जेन-झींशी संवाद साधू, सगळे काही आलबेल होईल असे भाजपला वाटले होते. निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार हे काही जेन-झींचे

विषय नाहीत, त्यांना जेन-झींचा प्रतिसाद मिळणार नाही, हे प्रकरण कसेही हाताळता येईल असेही भाजपला वाटले होते. पण, सीजेपीने आंदोलनाची हाक दिली आणि दुसऱ्याच दिवशी जेन-झी दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरले. या लढाईत आता फक्त सीजेपी नाही, डावे आहेत, काँग्रेस आहे. मोदी सरकारविरोधी लढाई तीव्र होत जाईल यात कुठलीही शंका राहिलेली नाही. मोदी सरकारवर घोंघावत असलेले वादळ सहजी विरून जाईल असे नव्हे. याची जाणीव भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना झालेली आहे म्हणून तर ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्यासाठी कोणीही पुढे आलेले नाही. ‘आमच्या सरकारमध्ये राजीनामे होत नाहीत’, असे या वेळी तरी कोणी ‘बाणेदार’पणे बोलायला धजावलेले नाही.

महाभियोग अशक्यच?

केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार मंत्री नाहीत आणि त्यांना दिलेले सुरक्षाकवच पाहता त्यांना पदावरून हटवणेही कठीण आहे. महाभियोग संमत होणे अशक्य आहे, प्रस्ताव स्वीकारला जाईल की नाही याबाबतही शंका आहे. न्यायालयात जाऊन फार हाती लागत नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अख्खा पक्ष ‘परजीवीं’च्या हाती दिला असताना चार वर्षे झाली तरी न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. हे पाहता, जनमताचा रेटा हेच धारदार आयुध आहे, त्याचा वापर केल्याशिवाय निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास परत येऊ शकत नाही, हे विरोधी पक्षांना आणि लोकांनाही समजले आहे. तसे नसते तर शुक्रवारी दिल्लीत ‘जंतर-मंतर २.०’ची झलक पाहायलाच मिळाली नसती. राहुल गांधींनी कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमधील पत्रकार परिषदेपासून जनमत तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असे म्हणता येईल. घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण होत असेल तर जनमत तयार करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही असे राहुल गांधींचे म्हणणे आहे. त्यानंतर राहुल गांधींनी सातत्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर हल्लाबोल केला. महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश अशा सगळ्या राज्यांमध्ये मतदार याद्यांमध्ये कसे घोळ झाले हे मांडण्याचा प्रयत्न केला. बिहारमधील निवडणुकीत मतचोरीचा मुद्दा प्रभावी ठरला नाही. पण, पश्चिम बंगालमध्ये मतदार वगळण्याच्या प्रक्रिया वादात सापडली आणि तिथून खऱ्या अर्थाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे कारनामे चव्हाट्यावर येऊ लागले. त्यावर कडी केली ती ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या विशेष वृत्ताने. निवडणूक आयोग मतांची चोरी कशी करतो, हे अचूकपणे या वृत्तातून दाखवले आहे.

जेन-झींच्या आंदोलनाने विरोधी पक्ष आणि जनचळवळींना बळ दिले. डावे पक्ष आणि त्यांच्या चळवळी संपल्यात जमा होत्या. त्यांना नवी उभारी मिळालेली आहे. काँग्रेस हळूहळू का होईना रस्त्यावर उतरू लागलेला आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षांमध्ये राहुल गांधींनी दोन गोष्टी प्रकर्षाने केल्या असे म्हणता येतील. एक, भाजप, केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांनी संगनमताने देशातील निवडणूक प्रक्रिया ताब्यात घेतल्याचा आरोप ते सातत्याने करत आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असताना ती केंद्र सरकारच्या अधीन कशी झाली हे उघड करताना इतर घटनात्मक संस्थांवर मोदी-शहांनी कसा कब्जा मिळवला हेही राहुल गांधी बोलून दाखवत आहेत. जंतर-मंतरच्या आंदोलनानंतर जेन-झींचा राहुल गांधींना मिळालेला प्रतिसाद अभूतपूर्व म्हणता येऊ शकेल. त्यातून भाजप आणि मोदी सरकारविरोधात जनआंदोलन उभे करण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. या प्रयत्नांना आत्ता थोडे फार यश येऊ लागल्याचे दिसते. संसदेच्या स्तरावर विरोधी पक्ष म्हणून सभागृहामध्ये आवाज उठवण्याचे प्रयत्न केले जातात; पण कामकाजाची सूत्रे सत्ताधाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याने आपल्याला बोलू दिले जात नाही हेही कळलेले आहे. त्यामुळे सगळा संघर्ष रस्त्यावर उतरूनच करावा लागेल हे लक्षात घेऊनच राहुल गांधी पावले टाकत असल्याचे दिसते. लोकसभा निवडणूक २०२९ मध्ये असल्याने मध्ये अडीच वर्षांचा काळ जाणे बाकी आहे. त्यामुळे राहुल गांधी आत्ता करत असलेला सगळा संघर्ष ही केवळ सुरुवात आहे असे म्हणता येईल. त्याची तीव्रता किती टिकते यावर जनमताचा रेट्याचा प्रभावही अवलंबून आहे.

पण, तरीही आत्ता सगळे लक्ष मुंबईतील ‘जंतर-मंतर २.०’कडे लागलेले आहे. ब्रिटिशांविरोधात ‘चले जाव’ची चळवळ मुंबईतून झाली होती, त्याच मुंबईतून ‘ज्ञानेश कुमार चले जाव’चा नारा दिला जात आहे. निवडणूक आयुक्तांची बैठक घेऊन, तिघेही आयुक्त एकत्र असल्याचे दाखवून हा केवळ आयोगातील तांत्रिक मतभेदाचा मामला आहे, अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न लोकांना पटेलच असे नव्हे. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलन थांबण्याची शक्यता नाही. मुंबईत २ ऑक्टोबरपासून आंदोलनाची हाक ‘सीजेपी’ने दिलेली आहे. हे आंदोलन देशव्यापी झाले तर कुऱ्हाड कोणाच्या मानेवर पडेल याची भीती दिल्लीत अनेकांना असेल.

अन्वयार्थ

भाजपचा स्वायत्तताविरोधी चेहरा उघड...

जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत शुक्रवारी झालेल्या प्रकारावरून या केंद्रशासित प्रदेशाला लवकर स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळण्याची शक्यता फारच कमी दिसते. ऑगस्ट २०१९ मध्ये घटनेतील ‘अनुच्छेद ३७०’ निष्प्रभ करतानाच जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. यापैकी जम्मू-काश्मीरला ‘योग्य वेळी पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल’, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही, अनुच्छेद ३७० बाबतचा सरकारचा निर्णय वैध ठरवताना ‘राज्याचा दर्जा विनाविलंब द्यावा’ असे म्हटले होते आणि केंद्र सरकारनेही न्यायालयात तसे मान्य केले होते. ‘मतदारसंघांची पुनर्रचना, निवडणुका झाल्यावर राज्याचा दर्जा बहाल करू’, असे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते. यापैकी मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, निवडणुका पार पाडून दोन वर्षे लोटली तरी राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे नाव केंद्र सरकार काढत नाही. यामुळेच जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा ठराव मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी मांडला. तेव्हा भाजपच्या आमदारांनी या ठरावाच्या प्रती फाडल्या, अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन घोषणाबाजी केली. यापुढे जाऊन ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बरखास्त करून नायब राज्यपालांकडे सर्व अधिकार सोपवावे, अशी मागणी या गोंधळी आमदारांनी केली. आमदारांच्या या आकांडतांडवाने भाजपचा खरा चेहरा उघड झाला.

केंद्रशासित प्रदेशात पोलीस यंत्रणा, नोकरशहा हे सारे नायब राज्यपालांच्या आदेशाने काम करतात. मुख्यमंत्र्यांना फार मर्यादित अधिकार असतात. या केंद्रीकरणाचा फायदा सध्या भाजपलाच होतो. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री होत नाही तोपर्यंत राज्याचा दर्जा मिळणे कठीण, असे उघडपणे बोलले जाते. भाजप आमदारांच्या पवित्र्यावरून यात तथ्यही वाटते. पण मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी मांडलेल्या ताज्या ठरावात यापूर्वीच्या २६ जून २००० आणि ६ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या ठरावांचा उल्लेख होता, हे भाजपच्या विरोधाचे तांत्रिक कारण. यापैकी जून २००० मधला ठराव संपूर्ण राज्याचा दर्जा असताना तेव्हाचे मुख्यमंत्री डॉ. फारुक अब्दुल्ला यांनी मंजूर करवून घेतला, तो वादग्रस्त ठरला होता. कारण त्यात ‘जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १९५३ पूर्वीची परिस्थिती पूर्ववत करावी,’ अशी मागणी होती. वर, जम्मू व काश्मीरसाठी ‘वझीर - ए- आझम’ म्हणजे पंतप्रधान तसेच ‘सद्र - ए- रियासत’ म्हणजेच राष्ट्रप्रमुख या पदांची पुन्हा निर्मिती करावी, अशीही तरतूद ओमर यांचे वडील फारुख यांनी मांडलेल्या त्या ठरावात होती. तत्कालीन वाजपेयी सरकारने तो ठराव फेटाळला होता. मग, जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीनंतर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा ठराव नोव्हेंबर २०२४ मध्ये करण्यात आला. तेव्हाही भाजपने विरोधी भूमिका घेतली होती. जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्ततेवर आम्ही मागे हटलो अशी टीका करण्याची संधी अन्य पक्षांना- विशेषतः पीडीपी नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांना- मिळू नये म्हणूनच २०००च्या ठरावाचा उल्लेख केल्याचे ओमर यांनी नमूद केले.

स्वायत्ततेची मागणी जम्मू- काश्मीर तसेच लडाख या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांतून वारंवार केली जाते. जम्मू-काश्मीरमध्ये किमान विधानसभा अस्तित्वात आहे. लडाखमध्ये तीही नाही. लडाखलाही संपूर्ण राज्याचा दर्जा तसेच सहाव्या परिशिष्टात समावेश होण्याच्या मागण्या केल्या जातात. केंद्र सरकार दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांच्या मागण्यांकडे साफ दुर्लक्ष करत असल्यानेच लडाखमध्ये गेल्या वर्षी हिंसक आंदोलन झाले. त्यात चौघांचा मृत्यू झाला. अलीकडेच लडाखसाठी लोकप्रतिनिधींची राजवट आणण्याची तयारी केंद्राने दाखवली असली तरी सारे अधिकार नायब राज्यपालांच्या हातीच राहतील.

वास्तविक पहलगामचा हल्ला वगळता २०१९ पासून जम्मू -काश्मीर हा प्रदेश तसा शांत आहे. मतदारसंघाची पुनर्रचना व निवडणुका पार पडल्यावर राज्याचा दर्जा हे केंद्राने आश्वासन खरे तर आता पाळायला हवे. तसे न करण्यातून भाजपची आमूलाग्र सत्ताकांक्षाच दिसते. आरोग्य, वीजपुरवठा यांचेही अधिकार जम्मू-काश्मीरला नसल्याचे ओमर म्हणतात, यातून भाजपला काय हवे आहे? भाजप आमदारांचा थयथयाट पाहाता, काश्मीरमधील राजकारण्यांनी कितीही ओरड केली तरी स्वायत्तता आणि राज्याचा दर्जा हे लवकर अमलात येण्याची शक्यता धूसरच दिसते.

सौरविजेचे गणित बदलणार; ग्राहकांच्या बचतीवर किती परिणाम?

विश्लेषण

महेश बोकडे
mahesh.bokade@expressindia.com

> महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या प्रस्तावित नियमांमुळे तीन किलोवॅटपेक्षा अधिक एकत्रित करारबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता असलेल्या ग्राहकांच्या शिल्लक विजेचा हिशेब वर्षाऐवजी दरमहा होईल. यामुळे काय फरक पडेल?

शिल्लक सौरवीज ग्राहकाला कशी उपयोगी पडते?

सौरप्रकल्पातून तयार झालेली वीज आधी घरात किंवा उद्योगात वापरली जाते. उरलेली वीज वितरण कंपनीच्या जाळ्यात जाते आणि तिची नोंद ग्राहकाच्या खात्यात होते. नंतर जाळ्यातून घेतलेल्या विजेशी ही शिल्लक समायोजित झाल्यास देयक कमी होते. म्हणून प्रकल्प वर्षभरात किती वीज तयार करतो, एवढेच बचतीसाठी महत्त्वाचे नसते. अतिरिक्त वीज वापरण्यासाठी ग्राहकाला किती मुदत मिळते, यावरही लाभ अवलंबून असतो. दिवसा घरात कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकासाठी ही मुदत विशेष महत्त्वाची ठरू शकते.

तीन किलोवॅटच्या मर्यादेनंतर नेमके काय बदलणार?

तीन किलोवॅटपर्यंत एकत्रित करारबद्ध अक्षय्य ऊर्जा क्षमता असलेल्या ग्राहकांच्या शिल्लक विजेचा वार्षिक हिशेब होईल. वर्षाअखेरीस उरलेली वीज वितरण कंपनी खरेदी करेल. आयोग सौरवीज निर्मितीच्या वेळेतील बाजारभावावरून तिचा दर दरवर्षी ठरवेल. तीन किलोवॅटपेक्षा अधिक क्षमतेचा हिशेब मात्र दरमहा होईल. महिनाअखेरीस न वापरलेली शिल्लक पुढे नेता येणार नाही. मसुद्यात अशी वीज ‘व्यपगत’ (लॅप्स) मानली आहे. तिच्या प्रमाणात अक्षय्य ऊर्जा प्रमाणपत्राचा उल्लेख असला, तरी त्याचा सामान्य ग्राहकाला प्रत्यक्ष लाभ कसा मिळेल, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. या गटातील शिल्लक विजेला देयकात थेट मोबदला देण्याची तरतूदही दिसत नाही.

प्रत्येक ग्राहकाला नवे शुल्क भरावे लागेल?

प्रस्तावित साठवणूक शुल्क तीन किलोवॅटपर्यंतच्या ग्राहकांना लागू नाही. तीनपेक्षा अधिक ते दहा किलोवॅट गटाचा हिशेब मासिक होईल; पण मसुद्यातील तक्त्यानुसार त्यांनाही स्थिर किंवा बदलते साठवणूक शुल्क लागू होणार असल्याची नोंद नाही. दहा किलोवॅटपेक्षा मोठ्या गटांसाठी ही शुल्के प्रस्तावित आहेत. अतिरिक्त वीज नोंदवून ठेवण्यासाठी स्थिर शुल्क, तर एका कालखंडातील वीज दुसऱ्यात वापरण्यासाठी विजेच्या प्रमाणानुसार शुल्क लागू होऊ शकते. दर अजून ठरलेले नाहीत. ते प्रत्यक्ष खर्चाचा अभ्यास आणि सार्वजनिक चर्चेनंतर मर्यादेसह ठरवावेत; सध्याचे ‘जीएससी’ शुल्क राहणार का, हेही स्पष्ट करावे, अशी वीजतज्ज्ञ सुधीर बुधे यांची मागणी आहे.

गृहनिर्माण संस्थेनेच प्रकल्प उभारला तर?

संस्थेतील सदस्यांना एकत्र येऊन अन्य जागेवर सौरप्रकल्प उभारण्याचा पर्याय आहे; मात्र प्रकल्प किमान १०० किलोवॅटचा असावा लागेल. सहभागी ग्राहक एकाच वितरण कंपनीच्या क्षेत्रातील आणि एकाच प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. हा पर्याय स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पाणीपुरवठा मंडळांनाही प्रस्तावित आहे. विजेचा लाभ मोजताना वहन शुल्क आणि वीजहानीही विचारात घेतली जाईल. त्यामुळे किमान मर्यादा आणि प्रत्यक्ष खर्च लहान संस्थांना परवडेल का, हा प्रश्न आहे.

मोठ्या प्रकल्पांसाठी विजेची वेळ आणि बॅटरी का महत्त्वाची ठरणार?

दहा किलोवॅटच्या पुढील क्षमतेनुसार दिवसाचे चार, आठ, बारा किंवा २४ कालखंड करून विजेचा हिशेब मांडला जाईल. त्यामुळे उद्योगाने एका वेळेत जाळ्यात दिलेली वीज दुसऱ्या वेळेत वापरल्यास शुल्काचा परिणाम होऊ शकतो. छतावरील प्रकल्पाबरोबर अन्य मार्गांनी घेतलेली अक्षय्य ऊर्जाही एकत्र मोजली जाईल. नेमक्या १०० किलोवॅटच्या प्रकल्पाबाबतही स्पष्टता सध्या नाही, पण शिवाय १०० किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या नव्या प्रकल्पांसाठी बॅटरी साठवणूक यंत्रणा प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाच्या ५० टक्के क्षमतेइतकी दोन तास किंवा २५ टक्के क्षमतेइतकी चार तास साठवणूक अपेक्षित आहे. तिचा खर्च लक्षात घेऊन वीजवाहिनी, रोहित्र आणि उद्योगांची गरज तपासावी, अशी बुधे यांची मागणी आहे.

हरकती कधीपर्यंत नोंदवता येतील?

विद्यमान करार मुदत संपेपर्यंत जुन्या नियमांनुसार चालतील. मात्र प्रकल्पाची क्षमता किंवा रचना बदलल्यास, अथवा मोजणीची पद्धत बदलल्यास नवे नियम लागू होऊ शकतात. जुन्या प्रकल्पांचे लाभ सुरक्षित ठेवून नवे नियम केवळ वाढीव क्षमतेला लागू करावेत, असे बुधे यांचे म्हणणे आहे. वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांच्या मते, लाभ कमी झाल्यास नव्या ग्राहकांच्या प्रकल्प उभारण्याच्या निर्णयावर परिणाम होऊ शकतो. आयोगाने १२ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत हरकती मागवल्या आहेत. अंतिम नियम आणि शुल्कांचे दर ठरल्यानंतरच देयकावरील नेमका परिणाम स्पष्ट होईल.

दैनिक जागरण

मोह सदैव मोक्ष की राह में बाधक बनता है

सदैव प्रेरित करने वाले विराट व्यक्तित्व

नरेन्द्र मोदी

अशोक सिंहल जी ने हर क्षण इस महान राष्ट्र के उत्कर्ष का ही स्वप्न देखा था। हम उनके सपनों को साकार करने के संकल्प को फिर दोहराएं

एक बहुत सुंदर सुभाषित है, 'वृक्ष कबहुं नहिं फल भखै, नदी न संचै नीर। परमारथ के कारने, साधुन धरा शरीर।' इसका मतलब है कि पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल अपने पास नहीं रखती। इसी तरह, संत स्वभाव के लोग भी स्वयं को प्राथमिकता ना देते हुए, सदैव दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। सदियों से हमारे ऋषियों ने हमें यही सिखाया है कि मानवता के कल्याण के लिए समर्पित जीवन का महत्व व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक होता है। श्रद्धेय अशोक सिंहल जी का जीवन इस भावना का पुण्य उदाहरण है। 27 सितंबर से हम स्वर्गीय अशोक सिंहल जी का जन्म-शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। यह एक महान विभूति के सम्मान का सुअवसर है। उन्होंने आध्यात्मिक साधना, सांस्कृतिक जागरण और दशकों तक समर्पित भाव से समाज एवं संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाया।

यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे स्वर्गीय अशोक जी के साथ लंबे समय तक कार्य करने, उनसे सीखने, उनसे संवाद करने और उनका स्नेह प्राप्त करने का अवसर मिला। मुझे 1981 का एक प्रसंग याद आता है। उस समय मैं एक युवा कार्यकर्ता के तौर पर संगठन की ओर से मिली जिम्मेदारियां निभा रहा था। तब मुझे अशोक जी का हाथ से लिखा एक पत्र मिला। उन्होंने पत्र में एक महत्वपूर्ण आगामी कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी और मुझे कुछ जिम्मेदारियां सौंपी थीं। उस समय अशोक सिंहल जी से पत्र पाना, मेरे लिए बहुत विशेष और यादगार क्षण बन गया था। मैंने उन्हें कई दशकों तक दिन-रात काम करते देखा। वे देश के दूर-दराज के क्षेत्रों की लंबी और कई बार कठिन यात्राएं किया करते थे। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में जाना उन्हें विशेष रूप से प्रिय था। वे लगातार इस पर चिंतन करते थे कि समाज के वंचित और अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए और क्या किया जा सकता है। जब भी देश में कहीं प्राकृतिक आपदा आती, तो अशोक सिंहल जी सबसे पहले वहां पहुंचने वालों में होते या फिर प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते। वर्ष 2001 में कच्छ में आए भूकंप के बाद उनके साथ का मेरा अनुभव अविस्मरणीय बन गया। दूसरों के लिए जीने की यही ललक ही उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ले आई। उनको जो भी जिम्मेदारी मिली, उसे उन्होंने पूरे उत्साह, अनुशासन और कर्तव्यभाव से निभाया। अपने निरंतर प्रयास और अथक परिश्रम से उन्होंने अनेक संस्थाओं और आंदोलनों को मजबूत किया। अपने ओजस्वी विचारों से वे पूरी सभा को मंत्रमुग्ध कर देते थे। अपने साथी कार्यकर्ताओं के प्रति वे अत्यधिक स्नेह रखते थे। जो भी उनके संपर्क में आता, वह उनकी सादगी से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। संत समाज के साथ उनके संबंध बहुत प्रगाढ़ थे।

राष्ट्र-समाज पर गहरी छाप छोड़ने वाला रहा अशोक सिंहल जी का योगदान। फाइल

मेरी स्मृति में ऐसी दो घटनाएं उभर रही हैं, जिनसे अशोक जी के विराट व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। पहली घटना 1993 की है। विश्व हिंदू परिषद ने स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो संबोधन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमेरिका में एक सम्मेलन आयोजित किया था। विदेश में ऐसे भव्य सम्मेलन का विजन, उसकी प्लानिंग और विभिन्न समूहों को एक मंच पर लाने का भगीरथ प्रयास अशोक जी के अद्वितीय संगठनात्मक कौशल का परिचायक था। दूसरी घटना वर्ष 2000 की है, जब त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट आफ स्पेन में विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तब मैं भी वहीं था। मैंने देखा कि अशोक सिंहल जी की उपस्थिति ने अन्य प्रतिनिधियों में कितना उत्साह भर दिया था। मेरे संबोधन के बाद उन्होंने जिस तरह मेरी सराहना की, वो मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला अनुभव था। मैंने एक बार फिर अनुभव किया कि उनका प्रोत्साहन किस तरह हर कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता था।

रामजन्मभूमि आंदोलन में अशोक सिंहल जी की ऐतिहासिक भूमिका का स्मरण किए बिना उनका कोई भी उल्लेख अधूरा है। वर्ष 1991 की बोट क्लब रैली में दिए गए उनके ओजस्वी संबोधन को कौन भूल सकता है? या आंदोलन के चरम पर लहूलुहान और घायल अवस्था में अशोक जी की वह ऐतिहासिक तस्वीर भला किसकी स्मृति से मिट सकती है? आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर है, तो इसके पीछे अशोक जी जैसी विभूतियों का निस्वार्थ समर्पण है, जिन्होंने इसे संभव बनाने के प्रयास में स्वयं को पूरी तरह खपा दिया। आज यदि अशोक जी हमारे बीच होते तो अयोध्या में राम मंदिर को देखकर वे सबसे अधिक भावुक एवं प्रसन्न होते।

स्वर्गीय अशोक सिंहल जी के विचार बहुत सुलझे हुए थे। वे स्पष्ट रूप से मानते थे कि समाज में समरसता के साथ ही भाईचारे का संदेश मजबूत होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक एकता और समानता के लिए निरंतर कार्य किया। उनका साफ मत था कि समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समान गरिमा एवं सम्मान का अधिकारी है। यही वजह थी कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने को लेकर अपने विचार को स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने ही कहा था कि यह पुनीत कार्य बिहार के बीएचपी कार्यकर्ता और वंचित वर्ग से आने वाले श्री कामेश्वर चौपाल जी के हाथों से हो। काशी में एक धर्म संसद के दौरान उन्होंने डोम राजा को सम्मानित करने का फैसला किया और कई सामुदायिक अभियानों में उनके साथ मिलकर काम किया।

राष्ट्र-निर्माण के साथ ही अशोक सिंहल जी के दो ऐसे प्रिय क्षेत्र थे, जो उनके हृदय के अत्यंत निकट थे। शिक्षा विशेषकर वैदिक शिक्षा और संगीत, इन दोनों से उनका गहरा लगाव था। वाराणसी के सांसद के रूप में मुझे इस बात पर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उस शाश्वत काशी ने अशोक सिंहल जी के जीवन में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बीएचयू से शिक्षा प्राप्त की थी और वे एक मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे। वे एकल विद्यालय की पहल से भी गहराई से जुड़े थे, जिसने दूर-दराज के गांवों, खासकर जनजातीय समुदायों तक बुनियादी शिक्षा पहुंचाने का कार्य किया। वे जितने गहरे अध्येता व उत्साही पाठक थे, उतने ही अच्छे श्रोता भी थे। वे युवा कार्यकर्ताओं को सदैव पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे।

अशोक सिंहल जी ने अपने जीवन में हर क्षण इस महान राष्ट्र के उत्कर्ष का ही स्वप्न देखा था। उनके आदर्शों से आज भी हमें ये प्रेरणा मिलती है। उनकी जन्मशती के इस पावन अवसर पर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक से अधिक युवा उनके विराट व्यक्तित्व और महानता से परिचित हों। आइए, हम अपने राष्ट्र और देशवासियों के लिए अशोक सिंहल जी के सपनों को साकार करने के संकल्प को एक बार फिर दोहराएं।

response@jagran.com

अस्थिर मौसम की चुनौती

बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात अर्नब और उससे उपजे प्रभाव के चलते उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत देश के एक दर्जन से अधिक राज्यों में जो भारी बारिश हुई, उसने आम लोगों के समक्ष तो समस्याएं पैदा ही कीं, फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। कुछ राज्यों में लोगों की जान भी गई। अत्यधिक बारिश के कारण नदियां उफना गईं और इसके चलते बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। मौसम में यकायक यह अप्रत्याशित तब्दीली इसलिए भी आई, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातीय सिस्टम से मिल गया। यह पहली बार नहीं है जब देश के कुछ हिस्सों में कम समय में अत्यधिक बारिश हुई हो और उसके चलते जनजीवन में बाधा पड़ी हो। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा रह-रहकर होने लगा है। इसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है। वैसे तो जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभावों को लेकर एक लंबे समय से चिंता जताई जा रही है, लेकिन समस्या यह है कि विश्व समुदाय इस चुनौती का सामना करने के लिए अपेक्षित एकजुटता दिखाने के लिए तैयार नहीं। यह स्थिति तब है, जब यह माना जा रहा है कि वायुमंडल के बढ़ते तापमान को रोकने का लक्ष्य पीछे छूटता चला जा रहा है।

कहना कठिन है कि विश्व समुदाय जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कब कमर कसेगा? जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक केंद्र और राज्य सरकारों को जलवायु परिवर्तन के रूप में अत्यधिक बारिश जैसी आपदाओं का जो सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए पर्याप्त तैयारी रखने के प्रबंध करने होंगे। विशेष रूप से राज्य सरकारों को, क्योंकि अक्सर यह देखने में आता है कि वे आपदाओं से निपटने में अपनी तैयारी या पर्याप्त प्रबंध के बजाय केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद की ओर ही अधिक ताकती रहती हैं। यह देखने में आ रहा है कि अत्यधिक बारिश और उसके चलते बाढ़ के कारण जान-माल को जो नुकसान होता है, वह कई बार बुनियादी ढांचे की कमजोरी के चलते भी होता है। अब जब इसकी आशंका बढ़ती जा रही है कि मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलते रहेंगे, तब फिर अत्यधिक बारिश से निपटने के ठोस उपाय करने के अलावा और कोई चारा नहीं। अतिवृष्टि के साथ ही अल्पवृष्टि से भी निपटने के उपाय करने होंगे, क्योंकि एक ओर जहां देश के अनेक राज्यों को भारी वर्षा का सामना करना पड़ रहा है, वहीं देश के कुछ हिस्सों और विशेष रूप से महाराष्ट्र में सूखे का संकट उभर रहा है। यह ध्यान रहे कि चाहे अतिवृष्टि हो या अल्पवृष्टि, दोनों ही खाद्य सुरक्षा को संकट में डालने का काम करती हैं और खाद्य सुरक्षा के समक्ष संकट पैदा होने से अर्थव्यवस्था की चुनौतियां बढ़ती हैं।

कृषि संगठन

हरियाणा में किसान उत्पादक संगठनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया एफपीओ मिशन कृषि को संगठित आर्थिक गतिविधि के रूप में देखने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। छोटे और सीमांत किसान अपनी उपज तो पैदा करते हैं, लेकिन बाजार तक पहुंच, भंडारण, प्रसंस्करण, वित्त और बेहतर मूल्य हासिल करने की क्षमता अक्सर सीमित रहती है। एफपीओ इसी बिखराव को सामूहिक शक्ति में बदलने का माध्यम बन सकते हैं। किसान संगठन के जरिये अपनी उपज, संसाधन और कारोबार को जोड़ने से खेती केवल उत्पादन नहीं रह जाती, बल्कि यह एक आर्थिक उद्यम का रूप ले लेती है। एफपीओ के माध्यम से अपनी उपज का बेहतर विपणन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, खरीदारों तक सीधी पहुंच तथा वित्तीय संस्थानों से बेहतर संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इससे एफपीओ ऐसी आर्थिक इकाई बन सकते हैं जो समय के साथ बाहरी सहारे पर निर्भर न रहे। इस मिशन में कृषि से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और किसानों के प्रतिनिधियों को जोड़ने की व्यवस्था की गई है, जो इस व्यापक सोच को जमीन पर उतारने में सहायक हो सकती है। इस प्रकार, एफपीओ मिशन न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में एक नई दिशा भी प्रदान करेगा।

> किसान अपनी उपज, संसाधन और कारोबार को जोड़ता है तो खेती आर्थिक उद्यम का रूप लेने लगती है

बच्चों को मिले गलती सुधारने का अवसर

संरक्षण गृह एक ऐसी जगह होनी चाहिए, जो बच्चे को उसके कठिन अतीत से निकालकर एक बेहतर भविष्य तक पहुंचाए

डा. कुमार आशीष

पिछले दिनों मुझे एक संरक्षण गृह में रह रहे उन बच्चों से संवाद करने का अवसर मिला, जो किसी न किसी कारण से कानून की जद में आए थे और फिलहाल अपने सामान्य सामाजिक परिवेश से अलग रह रहे हैं। उन बच्चों को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल उठा, जो केवल पुलिस व्यवस्था या किशोर न्याय तक सीमित नहीं है। जब ये बच्चे एक दिन इस संरक्षण गृह से बाहर निकलेंगे, तब हम उन्हें कैसा देखना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि वे जीवन भर अपने अतीत और अपनी गलतियों का बोझ ढोते रहें? या हम चाहते हैं कि वे एक दिन आत्मविश्वासी, कुशल, स्वावलंबी और जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज में लौटें? मेरे लिए इसका उत्तर स्पष्ट है-किसी बच्चे की एक गलती को उसकी पहचान का हिस्सा नहीं बनने दिया जा सकता। उसे अपनी गलती समझने, उससे सीखने और जीवन को नई दिशा देने का अवसर मिलना चाहिए। कानून की जद में आए बच्चों के प्रति हमारा दृष्टिकोण केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक और पुनर्वासपरक होना चाहिए।

यही सोच तब महत्वपूर्ण हो जाता है, जब हम बच्चों में बढ़ते नशे के खतरे की बात करते हैं। नशे का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि वह अक्सर दुश्मन बनकर नहीं, दोस्त बनकर जीवन में प्रवेश करता है। जब तक उसके दुष्परिणाम दिखाई देते हैं, तब तक वह शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, आर्थिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता पर असर डाल चुका होता है। कई मामलों में नशे पर निर्भरता व्यक्ति को चोरी, हिंसा, तस्करी या दूसरे अपराधों की ओर भी धकेल सकती है। इसलिए नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल पुलिस या कानून की लड़ाई नहीं हो सकती। इसकी शुरुआत परिवार, विद्यालय और समुदाय से होनी चाहिए। बच्चों को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि 'नशा मत करो', बल्कि हमें उन्हें यह भी सिखाना होगा कि वे नशे के प्रस्ताव को कैसे

संवेदनाओं के साथ हो कानूनी प्रक्रिया का पालन। फाइल

ठुकराएं, साथियों के दबाव से कैसे निपटें और संकट में मदद कैसे मांगें। यदि कोई बच्चा पहले से नशे की गिरफ्त में है तो उसके लिए सबसे जरूरी संदेश यह है कि उसका जीवन समाप्त नहीं हुआ है। उसे दुनिया से छिपने की नहीं, सहायता लेने की जरूरत है।

संरक्षण गृह एक ऐसी जगह होनी चाहिए, जो बच्चे को उसके कठिन अतीत से निकालकर एक बेहतर भविष्य तक पहुंचाए। इसके लिए पुनर्वास की एक सुविचारित और बहुआयामी व्यवस्था आवश्यक है। इस व्यवस्था के केंद्र में शिक्षा होनी चाहिए। जिस बच्चे की पढ़ाई छूट गई है, उसे यथासंभव पुनः शिक्षा से जोड़ना होगा। जिन बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा कठिन है, उनके लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण के रास्ते खोलने होंगे। कौशल केवल रोजगार का माध्यम नहीं है। यह आत्मसम्मान और गरिमा का माध्यम भी है। जब किसी युवा को यह विश्वास होता है कि वह अपने श्रम और कौशल से सम्मानपूर्वक जीवन जी सकता है तो गलत लोगों और गलत रास्तों पर उसकी निर्भरता कम होती है। कई बार अपराध किसी सुनियोजित योजना का परिणाम नहीं होता। वह कुछ क्षणों के अनियंत्रित आवेग का परिणाम होता है। क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। इसलिए बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकें, परिस्थिति से थोड़ी दूरी बनाएं, गहरी सांस लें, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें और स्वयं से पूछें-'मैं अभी जो करने जा रहा हूं, क्या वह मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा?'

आधुनिक पुलिसिंग केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने का नाम नहीं है। उसका उद्देश्य अपराध की रोकथाम, समुदाय के साथ विश्वास का निर्माण और सुरक्षित परिवेश तैयार करना भी है। हमारी वास्तविक सफलता तब होगी, जब हम यह कह सकें कि कितने बच्चों को हमने नशे से बचाया, शिक्षा से जोड़ा, कौशल दिया, आत्मनिर्भर बनाया और कितनों को एक सम्मानजनक जीवन में वापस पहुंचाया। एक बच्चा जब संरक्षण गृह से निकले तो उसके हाथ में शिक्षा, कौशल और रोजगार, स्वस्थ संबंधों, नशे और नकारात्मक संगति से दूर रहने की योजना होनी चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने का विश्वास होना चाहिए। जब एक युवा नशे की जगह सपनों, क्रोध की जगह अनुशासन, निर्भरता की जगह कौशल और अपराध की जगह जिम्मेदारी को चुनता है तो समाज केवल एक सुधरा हुआ व्यक्ति प्राप्त नहीं करता, उसे एक नया नागरिक मिलता है। यही वह दूसरा अवसर है, जो किसी एक बच्चे का जीवन बदलने से आगे बढ़कर पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य बदल सकता है।

(लेखक कोसी रेंज सहरसा में पुलिस उप महानिरीक्षक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मनोबल

मनुष्य की सफलता में धन, बाहुबल, बुद्धिबल और अन्य साधनों की अपनी भूमिका है, किंतु मनोबल ही वह शक्ति है, जो कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होने देती। दृढ़ निश्चय जब किसी श्रेष्ठ उद्देश्य से जुड़ता है, तब वही संकल्प बन जाता है। इसे निरंतर अभ्यास और छोटे-छोटे संकल्पों को पूरा करके विकसित किया जा सकता है। किसी छोटे कार्य को हाथ में लेकर उसे पूरी निष्ठा से पूर्ण करना और उसके बाद अगले कार्य की ओर बढ़ना आत्मविश्वास को मजबूत करता है। प्रत्येक पूर्ण कार्य मन में यह विश्वास पैदा करता है कि कठिनाइयों के बावजूद लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। धीरे-धीरे यही विश्वास मनोबल में परिवर्तित हो जाता है।

इसके विपरीत अनिश्चय मनुष्य की शक्ति को कुंद करता है। कभी एक काम शुरू करना, फिर उसे अधूरा छोड़ दूसरे काम में लग जाना और फिर तीसरे की ओर बढ़ जाना-यह मन की अस्थिरता का संकेत है।

मनोबल का एक अर्थ उत्साह और रुचि भी है। जिस कार्य को व्यक्ति पूरे मन से करता है, उसमें सृजनात्मकता और उत्कृष्टता स्वतः आने लगती है। इसके विपरीत अनिच्छा से किया गया कार्य केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। अंततः मनोबल वह आंतरिक दीपक है, जो साधनों के अभाव में भी रास्ता दिखाता है और साधनों की अधिकता में भी दिशा बनाए रखता है। दृढ़ संकल्प, स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर अभ्यास और पूरे मन से किया गया कर्म-इन्हीं से मनोबल विकसित होता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को साध लिया, उसने सफलता की सबसे बड़ी कुंजी प्राप्त कर ली।

मुकेश ऋषि

चारे की समस्या का समाधान आवश्यक

रवि शंकर

संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को चरागाह और पशुचारक वर्ष घोषित किया है। वैश्विक स्तर पर चरागाह भूमियां संकट में हैं और इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भूमि उपयोग में बदलाव के कारण इनका क्षेत्रफल घट रहा है। अति दोहन और खरपतवारों के कारण इनकी उपजाऊ क्षमता में कमी आ रही है। वैश्विक स्तर पर 54 प्रतिशत भूभाग किसी न किसी प्रकार की चरागाह भूमियों में शामिल है। ये भूमियां न केवल पोषक तत्व प्रदान करती हैं, बल्कि कार्बन प्रदूषण, ईको टूरिज्म और मनोरंजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में चरागाह भूमियों का क्षेत्रफल 1210 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 1000 लाख हेक्टेयर अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके कारण पशुचारक समुदाय हाशिये पर आ रहा है।

भारत में लगभग 13 मिलियन पशुपालक हैं, जो 46 समूहों में विभाजित हैं। देश में लगभग ढाई करोड़ लोग पूर्णतः पशुपालन पर निर्भर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे भू-मालिकों की दो तिहाई आबादी को पशुपालन से 16 प्रतिशत आजीविका का आधार मिलता है। भारत में कुल पशु संख्या 53 करोड़ से अधिक है। चरागाह भूमियों के उपयोग में बदलाव, भूमि कटाव और खरपतवारों के आक्रमण से इनकी उत्पादकता में कमी आई है। खरपतवार चरागाहों की उत्पादकता को नष्ट कर देते हैं। भारतीय घास-चारा अनुसंधान परिषद के अध्ययन में पाया गया है कि हरे चारे और सूखे चारे की उपलब्धता में कमी आ रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे अनियमित वर्षा, लंबे सूखे और बढ़ते तापमान ने चारा फसलों की वृद्धि और पोषण मूल्य को बाधित किया है, कारण लोग पशुपालन से मुंह मोड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण विश्व की करीब आधी चरागाह भूमि क्षीण हो गई है।

> भारत का पशुधन चारे की कमी और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा है

चरागाह प्रबंधन केवल चारे के उत्पादन से संबंधित नहीं है, बल्कि यह पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए भी आवश्यक है। यह एक नियमित योजना और निगरानी की प्रक्रिया है, जिससे किसान कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भारत की बढ़ती जनसंख्या भूमि संसाधनों पर दबाव डाल रही है। जो भूमि कभी चरागाह के लिए उपलब्ध थी, उसे अब कृषि या विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा रहा है।

कुल मिलाकर, भारत का पशुधन क्षेत्र आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जो चारे की कमी, पर्यावरण क्षरण और जलवायु भेद्यता की चुनौतियों का सामना कर रहा है। गुणवत्तापूर्ण चारे की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर पशुधन उत्पादकता, किसानों की आय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालता है। इस अंतर को पाटने के लिए एक समग्र और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रहार

संजय गुप्त के आलेख 'चुनाव आयोग के विवाद पर विराम' के संदर्भ में स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सरल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के आयोग के प्रयासों के बीच विवादों की यह गूंज नई नहीं है। पूर्व में भी ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे। शीर्षस्थ अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद भी आयोग द्वारा बार-बार ईवीएम में खामियां निकालने के लिए खुली चुनौती दी गई थी। ईवीएम से शुरू हुए ये आरोप मतदाता सूची और एसआइआर से होते हुए अब आयोग की नीतिगत कार्यशैली पर लगाए गए हैं। सर्वोच्च अदालत से वैध ठहराए जाने और आयोग के स्पष्टीकरण के बावजूद कई राजनीतिक दल और उनका इकोसिस्टम नित नए झूठे नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। देश की जनता अब समझ चुकी है कि यह हार की हताशा के अलावा कुछ भी नहीं है। निर्वाचन आयोग भारत के लोकतंत्र की आधारशिला मतदाता सूची में से गैर-भारतीय, घुसपैठियों, बोगस और गैर-मौजूद नामों को हटाकर इसे शुद्ध और पवित्र कर रहा है। इस प्रक्रिया में तकनीकी या अन्य मानवीय कारणों से मतदाता सूची में समावेशन से वंचित रहे योग्य मतदाताओं के लिए भी प्रयासरत है। वास्तव में इस तरह के प्रयास संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के एक सुनियोजित उद्देश्य से किए जा रहे हैं और जनता अपने वोट के माध्यम से इन्हें जबाव दे रही है। इसलिए यह विवाद अंतिम नहीं है, आगे भी ऐसे प्रहार किए जाएंगे।

डा. राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, जयपुर

मेलबाक्स

बस सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी

उत्तर प्रदेश के नोएडा से आगरा जा रही बस में आग लगने से नौ लोगों की मौत ने एक बार फिर बसों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में ऐसे हादसे के बाद देशभर में सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई थी, लेकिन लंबे रूट पर चलने वाली बसों में अक्सर अनियमितता देखने को मिलती है। बस हादसे आम आदमी के लिए डरावना करने वाले होते हैं। ऐसे हादसों में यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। भरी बस के यात्रियों के लिए आपात स्थिति में इमरजेंसी गेट से इतने कम समय में निकलना मुमकिन नहीं होता। इसलिए बसों में सुरक्षा के तय मानकों का पालन होना बेहद जरूरी है। स्लीपर कोच में मोडिफिकेशन के नाम पर तय से अधिक सीट लगाना, आपात खिड़की को छोटा करना जैसी लापरवाही जानलेवा होती है। यहां तक कि बस के शीशे को लेकर भी नियम बने होते हैं। नियमों का पालन नहीं होना हादसे को न्योता देता है, जिसमें मोटा किराया देने के बावजूद जान गंवानी पड़ती है। जाहिर है कि स्लीपर कोच में मोडिफिकेशन के नाम पर तय मानकों को ताक पर रखना जायज नहीं है। एग्जिट गेट जैसी सुविधाएं नियमों से बचने के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। सड़क पर दौड़ती बस ड्राइवर के साथ सिस्टम पर भी भरोसा होती है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आम आदमी को सुरक्षा मानकों की जानकारी नहीं होती, लेकिन उसके सामने कोई सुरक्षित विकल्प नहीं होता। मजबूरी में नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों में यात्रा करने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल बस संचालक की नहीं, बल्कि व्यवस्था की भी बनती है। हादसे के तुरंत बाद बिना परमिट दौड़ने वाली बसों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली बसों पर कार्रवाई होती है। सवाल यह है कि क्या हम ऐसे अभियानों को नियमित रूप से जारी नहीं रख सकते? आखिर हादसों के बाद ही प्रशासन को पता क्यों लगता है कि बस का बीमा नहीं था, वैध परमिट नहीं था, आपात खिड़की नहीं थी या तय से अधिक सवारी ले जा रहे थे? यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नियमों की नियमित जांच हो, ताकि हादसे के बाद कार्रवाई के बजाय हादसे को रोकने पर ध्यान दिया जा सके।

महेश कुमार, सिद्धमुख (राजस्थान)

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com. R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

15 हजार करोड़ से 20 हजार करोड़ मूल्य के चेक क्लियरेंस अवरुद्ध होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हड़ताल से प्रतिदिन औसतन, आरबीआइ और उद्योग संगठनों के संबंधित आंकड़ों के अनुसार।

बैंक हड़ताल

नियोक्ता व कर्मचारी के बीच का विवाद

देश भर में सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन की हड़ताल पर नहीं रहेंगे। यह हड़ताल यूनाइटेड फार्म आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने बुलाई थी। यूएफबीयू बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की सात यूनियनों का साझा मंच है जो 90 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे 'बैंकों की हड़ताल' केवल नियोक्ता-कर्मचारी विवाद नहीं है, यह सामाजिक सुरक्षा, राज्य के दायित्व, वित्तीय समावेशन, कारपोरेट दक्षता और श्रमिक अधिकारों के बीच टकराव का भी जटिल मंच है

राहुल लाल
आर्थिक मामलों के जानकार

अपनी लंबित मांगों के समर्थन में तीन दिन की हड़ताल पर सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारी। फाइल

आधुनिक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्थान, विशेषकर बैंक केवल मुद्रा के लेन-देन के केंद्र नहीं हैं, आर्थिक तंत्र की धमनियों के समान हैं। जब इन धमनियों में नीतिगत गतिरोध या कर्मचारियों के असंतोष के चलते प्रवाह अवरुद्ध होता है, तो उसका असर चेक क्लीयरेंस या नकद निकासी सीमाओं को लांघकर राष्ट्र के समष्टिगत आर्थिक सेहत व उत्पादकता पर पड़ता है।

12वें द्विपक्षीय वेतन समझौते के दौरान उभरे "पांच दिवसीय कार्य-सप्ताह" और पेंशन अपडेशन के संवेदनशील मुद्दों ने आज इसी भारतीय वित्तीय तंत्र को एक अभूतपूर्व त्रिकोणीय गतिरोध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। जहां एक ओर बैंक यूनियनों का दावा है कि दैनिक कार्य-अवधि में 40-45 मिनट के विस्तार के बदले सभी शनिवार के अवकाश पर प्रबंधन स्तर पर सहमति बनी थी, वहीं केंद्र सरकार ने इस प्रकार की किसी भी बाध्यकारी या औपचारिक सहमति को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए इसे केवल 'विचाराधीन' प्रस्ताव माना है। सरकार के इस दो 'टूक रुख', वर्षों से लंबित पेंशन विसंगतियों और शाखा स्तर पर बढ़ते असामान्य कार्यभार ने कर्मचारियों के असंतोष को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के संकल्प में बदल दिया है। 24 घंटे सक्रिय डिजिटल और यूपीआइ लेन-देन के दौर में यह गतिरोध केवल छुट्टियों या भत्तों का साधारण विवाद नहीं है, बल्कि भारतीय बैंकिंग के दोहरे चरित्र का गहरा नीतिगत संकट है- जहां एक ही व्यवस्था से कारपोरेट मुनाफे के साथ-साथ गैर लाभकारी वित्तीय समावेशन की अपेक्षा की जाती है।

बैंक हड़ताल से नुकसान : आरबीआइ, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम तथा उद्योग संगठनों के संकलित आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हड़ताल से प्रतिदिन औसतन 15 हजार करोड़ से 20 हजार करोड़ मूल्य के चेक क्लियरेंस अवरुद्ध होते हैं। तीन दिनों में लगभग 60 लाख चेक अटक जाते हैं, जिनका कुल मूल्य 50 हजार करोड़ से 60 हजार करोड़ रुपये के आसपास होता है। इसके अतिरिक्त, कार्यशील पूंजी के अवरोध, आयात-निर्यात से जुड़े साख पत्रों के रुकने और बंदरगाहों पर लगने वाले डेमरेज शुल्क के चलते अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन एक हजार करोड़ से डेढ़ हजार करोड़ रुपये का अपूरणीय नुकसान होता है। करेंसी चेस्ट बंद होने से हड़ताल के तीसरे दिन तक कस्बों व ग्रामीण अंचलों के लगभग 40 प्रतिशत से अधिक एटीएम नकदी-विहीन (ड्राई) हो जाते हैं, जिससे असंगठित क्षेत्र की तरलता प्रभावित होती है।

पांच दिवसीय कार्य सप्ताह : कर्मचारियों का सबसे प्रमुख और लंबित मुद्दा प्रति सप्ताह पांच कार्य दिवस का है। कर्मचारियों का तर्क है कि कारपोरेट क्षेत्र, साफ्टवेयर उद्योग, आरबीआइ, भारतीय जीवन बीमा निगम और अधिकांश केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में शनिवार और रविवार का अवकाश होता है। इसी तरह उनका भी पांच दिवसीय कार्य सप्ताह हो। बैंकों में वर्तमान व्यवस्था के तहत दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश मिलता है, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें (जिस माह पांचवां आता हो) शनिवार को पूर्ण कार्य दिवस होता है। कर्मचारियों का तर्क है कि डिजिटल बैंकिंग 24 घंटे सक्रिय रहती है, अतः शाखा स्तर पर शनिवार को सार्वजनिक लेन-देन बंद करने से जनजीवन प्रभावित नहीं होगा।

सरकार और बैंक प्रबंधन का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र, छोटे कारोबारी, किसान और ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी भौतिक शाखाओं पर निर्भर है। लगातार दो दिन (शनिवार और रविवार) शाखाएं बंद रहने से नकद लेन-देन, चेक क्लीयरेंस और व्यापारिक गतिविधियों में व्यवधान आ सकता है। बैंक प्रबंधकों के अनुसार व्यापारियों का नकद जमा और प्राथमिक कृषि ऋण वितरण जैसे काम शनिवार को अधिक होते हैं। शनिवार की बंदी से ग्राहक निजी बैंकों या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक बैंक के चालू और बचत खाते का अनुपात गिर सकता है।

कार्यभार का दवाव : बैंक यूनियनों का कहना है कि बीते दशक में जन-धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि जैसी दर्जनों सामाजिक योजनाओं का क्रियान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कंधों पर डाला गया। इन कल्याणकारी योजनाओं ने कार्यभार कई गुना बढ़ा दिया, किंतु उस अनुपात में लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों की नई भर्तियां नहीं हुईं। बैंक कर्मचारियों के संगठन यूएफबीयू के अनुसार, वर्ष 2012-13 में बैंक कर्मचारियों की संख्या 8.86 लाख थी, जो मार्च 2025 तक घटकर 7.58 लाख रह गई।

बैंक यूनियनों के अनुसार, बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों पर थर्ड-पार्टी वित्तीय उत्पाद (बीमा पालिसियां, म्यूचुअल फंड आदि) बेचने का दबाव रहता है। इंटरनेट मीडिया और आंतरिक मंचों पर आए दिन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कनिष्ठों से अभद्र व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना की घटनाएं सामने आती हैं। यूनियन का तर्क है कि 'बैंकर' को 'सेल्समैन' बना दिया गया है, जिससे उनका मूल काम प्रभावित होता है।

पेंशन अपडेशन : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पेंशन अपडेशन का मुद्दा दशकों से अटका है। पिछले सदी के अंतिम दशक में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की बुनियादी पेंशन आज के जीवन-यापन खर्च के मुकाबले बेहद नगण्य है। इसके अतिरिक्त, 2010 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से हटाकर पुरानी परिभाषित लाभ पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल करने की मांग भी हड़तालों का मुख्य एजेंडा रहती है।

बैंकों में वेतन संशोधन हर पांच वर्ष में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनियनों की बातचीत से तय होता है। यह प्रक्रिया अक्सर दो से तीन साल विलंब होती है। कर्मचारियों का मानना है कि केंद्रीय वेतन आयोग के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों और समान शैक्षणिक योग्यता वाले निजी वित्तीय कर्मियों की तुलना में उनका शुरुआती और मध्य-स्तरीय पारिश्रमिक काफी कम है। सार्वजनिक बैंकों में कारपोरेट दक्षता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था को आगे बढ़ाया था।

फिलहाल इस समस्या का समाधान टकराव में नहीं, बल्कि संवाद के लोकतांत्रीकरण में है। समय की मांग है कि बैंक प्रबंधन अपनी संवेदनशीलता बढ़ाए, कर्मचारी संगठन उत्पादकता और ग्राहक संतोष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं और सरकार बैंकों को विशुद्ध 'नीति-वितरण के औजार' के बजाय एक स्वतंत्र, पेशेवर और मानवीय कार्य-संस्कृति वाले संस्थान के रूप में विकसित होने दे। केवल इसी त्रिपक्षीय सामंजस्य से एक स्थिर, न्यायसंगत और विकसित भारत की बैंकिंग नींव सुदृढ़ रह सकती है।

हड़ताल पर बैंक प्रबंधन और सरकार का पक्ष

बैंक प्रबंधन का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए) और विभिन्न बैंकों के प्रबंध निदेशकों द्वारा किया जाता है। प्रबंधन का मानना है कि वेतन वृद्धि या पेंशन अपडेशन केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, इसका सीधा प्रभाव बैंक के परिचालन लाभ और प्रोविजनिंग पर पड़ता है। बैंकों को शुद्ध ब्याज मार्जिन के संकुचन का डर रहता है। पेंशन फंड के लिए हजारों करोड़ रुपये की एकमुश्त अतिरिक्त प्रोविजनिंग करने से बैंकों की बैलेंस शीट कमजोर हो सकती है, जिसका असर उनकी ऋण देने की क्षमता पर पड़ता है। प्रबंधन का कहना है कि बैंकिंग केवल नियमित कार्यालय का काम नहीं है, यह सार्वजनिक धन की ट्रस्टीशिप है। अगर क्रेडिट अप्रूवल, मानिटरिंग और रिकवरी में जरा भी ढिलाई बरती जाए, तो एनपीए बढ़ने का खतरा रहता है। आंतरिक लक्ष्यों का निर्धारण बैंक को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

केंद्र सरकार का पक्ष : बैंक हड़ताल को लेकर केंद्र सरकार का आधिकारिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से राजकोषीय अनुशासन, बैंकिंग क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्तीय सुदृढ़ता और जनहित की रक्षा पर आधारित है। सरकार का मानना है कि सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन को आरबीआइ की तर्ज पर अद्यतन करने या पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से बैंकों पर भारी एकमुश्त देनदारी आ जाएगी। इससे बैंकों की बैलेंस शीट कमजोर होगी और पूंजी पर्याप्तता अनुपात गिरने से उनकी ऋण देने की क्षमता प्रभावित होगी, जिसका भार अंततः करदाताओं पर पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि उसने 12वें द्विपक्षीय समझौते में 17 प्रतिशत वेतन वृद्धि, फैमिली पेंशन को बिना सीमा 30 प्रतिशत करने और इस्तीफा दे चुके पात्र कर्मियों को पेंशन विकल्प देने जैसी प्रमुख मांगों को पहले ही स्वीकृति दी है। सरकार बैंकों को वित्तीय समावेशन और डीबीटी का संवाहक मानती है। अतः सरकार हड़ताल को आर्थिक प्रगति व गरीब तबके के अधिकारों में अवरोधक मानकर मुख्य श्रम आयुक्त के जरिये द्विपक्षीय वार्ता को ही एकमात्र समाधान मानती है।

निष्कर्ष : बैंक हड़ताल किसी एक पक्ष की जीत या हार का विषय नहीं है, यह हमारे वित्तीय लोकतंत्र के भीतर चल रहे तनावों का थर्मामीटर है। कर्मचारी कोई असामाजिक तत्व नहीं हैं, वे इसी राष्ट्र के नागरिक हैं जिन्होंने कोविड के भयावह दौर में भी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर देश के वित्तीय चक्र को थमने नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर, प्रबंधन और सरकार की यह चिंता भी पूरी तरह जायज है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में बैंकिंग प्रणाली की प्रतिस्पर्धी क्षमता और जनता के विश्वास को किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगाया जा सकता। (राहुल लाल)

खरी-खरी

आधा भीगा, आधा सूखा

निर्मल गुप्त

हमारा शहर बड़ा समझदार हो गया है। शायद थोड़ा बहुत सेक्युलर भी। आधे शहर में बारिश हो रही है, आधे में धूप खिली है। बिल्कुल सरकार की योजनाओं की तरह आधी- अधूरी जगह पहुंचती है, आधी जगह फाइलों में लगे कागजों और नोटशीट पर रह जाती है। नगर निगम खुश है। कह रहे हैं कि जलभराव तो होगा, पर आधा ही होगा। आधी जनता ही गाली देगी। काम आधा कम हो गया। जिधर बारिश हो रही है, उधर के बच्चे कागजी नाविक बने हुए हैं। उनकी नावें चल रही हैं। नाली से सड़क तक, सड़क से घर तक। उनके लिए ये बाढ़ में तिरती महज नाव नहीं, क्रूज है। वो उसके कैप्टन हैं। और जिधर बारिश नहीं हो रही, उधर के बच्चे कल्पना में रेन डांस कर रहे हैं। बिना पानी के भीगे हुए। क्योंकि रील में तो पानी आ ही जाता है। असली बारिश न सही, फिल्टर वाली तो है। बारिश भले न हो, पर जनता को लगे तो कि बारिश हो रही है।

वैसे हमारा मोहल्ला तो और महान है। हमारी गली में एक तरफ छाता लगा है, जिसके नीचे मोची जी की जूता गांठने की दुकान पिछली सदी से सजी है। दूसरी तरफ एक घर की चारदीवारी पर गमछा सूख रहा है। एक ही चाय की दुकान पर दो तरह के कस्टमर हैं- एक कह रहा है, भैया, जल्दी चाय दो, भीग जाऊंगा। दूसरा कह रहा है, धीरे-धीरे बनाओ, तनिक मौसम का मजा लेने दो।

अब जब बात मौसम की आ ही गई तो थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले लोग मौसम देख कर पकौड़े बनाते थे। अब पकौड़े देख कर मौसम का अंदाजा लगाते हैं। और सच यह भी अंदाजे कभी-कभी गलत साबित हो जाते हैं। सोचो तो- बेसन और प्याज का क्या कसूर? वो तो तैयार बैठे हैं, अपना धर्म निभाने को। इंसान ही कंफ्यूज है। उसे बारिश चाहिए भी और नहीं भी। भीगना भी है और सूखा भी रहना है। पकौड़ा खाना भी है और तेल से बचना भी है।

ये आधा-आधा वाला शहर असल में हम ही हैं। आधे कागज की नाव चलाते हुए, आधे कल्पना में नाचते हुए। और बीच में बेसन-प्याज लिए बैठे हुए कि इस बार की बारिश क्या गुल खिलाएगी।

पोस्ट

अगर आप दूसरे लोगों के साथ धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीति और उनके निजी जीवन पर चर्चा नहीं करते तो पाएंगे कि आपके जीवन में शांति का भाव कहीं अधिक बढ़ जाएगा।
हर्ष गोयनका@hvgoenka

जिनको एक गैर-सरकारी आयोजन में पीएम मोदी के भजन-कीर्तन से समस्या है, वे राष्ट्रपति भवन में सरकारी खर्च से इफ्तार पार्टियां कराते थे। अब ये सब बंद है।
दिलीप मंडल@Profdilipmandal

एक ओर सुरक्षा की बातें तो दूसरी ओर आतंक को बढ़ावा, पाकिस्तान का यही दोहरा चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने है। भारत का संदेश स्पष्ट है आतंकवाद को संरक्षण देने वालों की जवाबदेही पूरी तरह से स्पष्ट होगी।
रोहन गुप्ता@rohanrgupta

हाल के घटनाक्रम ने निर्वाचन आयोग की साख को लेकर जनभावनाओं एवं चिंताओं को बढ़ाया है। तीनों चुनाव आयुक्तों को पारदर्शी, सामूहिक भाव और कानून के दायरे में रहकर काम करना ही होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की वैधता के लिए चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा अपरिहार्य है।
अशोक खेमका@AshokKhemka_IAS

उत्तर प्रदेश डायरी

अजय शुक्ला
ajay.shukla@lko.jagran.com

'माननीयों' का मिजाज बताएगा हवा का रुख

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने बीते सप्ताह मतदान की तिथि घोषित कर दी है। मंगलवार से इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 16 अक्टूबर को मतदान के साथ ही परिणाम भी आ जाएगा। ये चुनाव भाजपा के सात सदस्यों- केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, संगठन में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल, महिला कोटे की सदस्य सीमा द्विवेदी व गीता शाक्य का नियमित कार्यकाल समाप्त होने और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का उप राज्यपाल बनाए गए डा. दिनेश शर्मा के त्यागपत्र से सीट रिक्त होने के कारण हो रहे हैं। एक सीट सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव व एक बसपा के रामजी गौतम का कार्यकाल समाप्त होने से रिक्त हो रही है।

बसपा के एकमात्र विधायक रहे उमाशंकर सिंह का निधन हो चुका है और अब उसकी सदस्य संख्या विधानसभा में शून्य है। ऐसे में उसकी कोई दावेदारी इस चुनाव में नहीं बनती। 403 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा व उसके सहयोगी दलों की प्रभावी संख्या इस समय 290 और सपा-कांग्रेस की 103 है। तीन निर्दलीय व असंबद्ध सदस्य हैं। सात सीटें रिक्त हैं। ऐसे में सपा रामगोपाल की सीट बरकरार रखते हुए एक अतिरिक्त सदस्य आसानी से जितवा लेगी। इसी तरह भाजपा की सात सीटों पर उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे। एक उम्मीदवार पर जोर आजमाइश होगी। यही इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू साबित होने वाला है।

याद करें कि जब दो साल पहले 10 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, तब सपा के सात विधायकों ने बगावत कर दी थी। सपा की सहयोगी अपना दल (कमेरावादी) की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने भी भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ का समर्थन किया था। सपा के लिए यह बड़ा झटका था, क्योंकि सुभासपा व रालोद के बाद उसका तीसरा व अंतिम सहयोगी दल भी सत्तापक्ष के करीब पहुंच गया था। यह अब तक प्रश्न है कि पल्लवी पटेल सपा के पाले में हैं भी या नहीं। सपा के जिन अपने विधायकों ने पालाबदल किया, उनमें दल के मुख्य सचेतक रहे और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री मनोज पांडेय भी थे। सपा इस चोट को अब तक सहला रही है। यदि इस बार भी वह तीसरा उम्मीदवार खड़ा करती है तो जो भी परिणाम आएगा, वह अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के पालाबदल और पक्ष-विपक्ष के रणनीतिक कौशल में आए बदलाव का भी संकेत देगा।

राज्यसभा की 10 सीटों के लिए अगले माह मतदान करेंगे प्रदेश विधानसभा के सदस्य। फाइल

कांग्रेस और सपा का साथ : समाजवादी पार्टी व कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे- इस रट्टा जवाब के बावजूद सपा और प्रदेश स्तरीय कांग्रेस नेताओं के गाहे-बगाहे ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे यह सवाल उठ खड़ा होता है कि विपक्षी गठबंधन कितनी दूर तक चलेगा और इसकी सीमाएं क्या हैं। गुरुवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना पीडीए रथ सबसे पहले रायबरेली में घुमाकर चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो इसके संकेत पढ़े जाने लगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय और जवाब में आए शिवपाल यादव के बयान से 'कितनी दूर साथ-साथ' का प्रश्न फिर सतह पर आ गया।

अजय राय ने कहा कि 'कोई भी चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के हक में माहौल बनाने के उद्देश्य से कहीं भी जा सकता है। अखिलेश यादव रायबरेली या अमेठी जा सकते हैं और इसी तरह कांग्रेस के नेता भी कन्नौज, इटावा या सैफई जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारी कर रहे हैं।' जिस तरह अखिलेश का रायबरेली जाना कांग्रेस को अखरा, उसी तरह कन्नौज और सैफई का जिक्र सपा को अखर गया। जवाब में सपा महासचिव शिवपाल बोले, 'कांग्रेस को जसवंतनगर व सैफई से कोई वोट नहीं मिलेगा। उन्हें आना चाहिए, उनका स्वागत है।' हाल ही में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सीट बंटवारे के सवाल पर कहा था कि 'बिना कांग्रेस और राहुल गांधी के भाजपा को नहीं हराया जा सकता है,' तो इसका जवाब सपा सांसद इकरा हसन ने यह कहकर दिया कि 'उप्र में यदि भाजपा को कोई हरा सकता है तो वह अखिलेश यादव ही हैं। कांग्रेस अपने दम पर उप्र में कुछ नहीं कर पाएगी।'

प्रत्यक्ष तौर पर दोनों के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन इनमें छिपा तंज और आशंका साफ उभर आती है। दोनों पार्टियां जान रही हैं कि अकेले विधानसभा चुनाव लड़ना बड़ा जुआ है, लेकिन यह भी जानती हैं कि कांग्रेस यदि उत्तर प्रदेश में कुछ हासिल कर सकती है तो वह भाजपा-बसपा से अधिक सपा की कीमत पर ही करेगी। कांग्रेस का वोट बैंक सबसे ज्यादा सपा ने ही हड़पा भी है। ऐसे में फिलहाल तो साथ-साथ हैं, लेकिन कितनी दूर तक? यह पहेली विधानसभा चुनाव के बाद ही सुलझना शुरू हो सकेगी।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआइ जैसी योजना देश में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक बनी है?

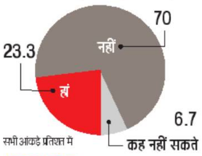

आज का सवाल

निर्वाचन आयोग की बैठक यह दर्शाने वाली रही कि आयोग में सब कुछ ठीकठाक है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

ममता दी को 'एकता' बहुत आ रही याद,
घूम घूमकर कर रहीं लोगों से फरियाद।
लोगों से फरियाद साथ में उनके आओ,
खतरे में अस्तित्व दिख रहा, उसे बचाओ।
जब सत्ता हो हाथ साथ सबका न जमता,
अब सबको ले साथ चाहतीं लड़ना ममता!
-ओम प्रकाश तिवारी

छत्तीसगढ़ डायरी

डा. सुनील गुप्ता
संपादकीय प्रभारी, बिलासपुर

रेल परियोजना विस्तार से दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच आसान

दल्लीराजहरा-रावघाट रेल परियोजना के अंतिम रेलखंड के तैयार होने को दक्षिण छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर अंचल की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा रहा है। प्रदेश में रावघाट तक रेल पटरी पहुंचना केवल रेल कनेक्टिविटी का विस्तार ही नहीं है, बल्कि दूरस्थ अंचलों में विकास और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। यह परियोजना बस्तर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

वस्तुतः छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। दल्लीराजहरा-रावघाट परियोजना का अंतिम 17.5 किलोमीटर लंबा रेलखंड तैयार हो गया है। ताड़ोकी से रावघाट के बीच इस अंतिम हिस्से में रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य पूरा होने के साथ ही 95 किलोमीटर लंबी परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस परियोजना के पूरा होने से दक्षिण छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों को देश के व्यापक रेल नेटवर्क से जोड़ने का रास्ता तैयार हुआ है, या यूं कहें कि दक्षिण छत्तीसगढ़ के विकास, उन्नति और प्रगति का नया रास्ता बनकर तैयार हो गया है। इससे इस पूरे इलाके की आर्थिकी की गति बढ़ सकती है।

इस परियोजना के तहत अलग-अलग चरणों में रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया है। अब ताड़ोकी और रावघाट के बीच बचे हुए 17.5 किलोमीटर हिस्से में भी ट्रैक बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। साथ ही परियोजना का निर्माण संबंधी एक महत्वपूर्ण चरण समाप्त हो गया है। अंतिम रेलखंड के तैयार होने से रेलमार्ग को रावघाट तक पहुंचाने का लक्ष्य हासिल हुआ है।

दूरस्थ इलाकों तक ट्रेन पहुंचने से सभी के लिए यात्रा में होगी सुगमता। फाइल

लंबे अरसे से माओवादी गतिविधियों के केंद्र रहे बस्तर ने अब विकास की नई गाथा लिखना शुरू कर दिया है। माओवाद से मुक्त बस्तर में अब विकास की गतिविधियां भी तेजी के साथ नजर आने लगी हैं। औद्योगिकीकरण की गति तेज होने से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। जैसे-जैसे औद्योगिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी उसी अंदाज में बस्तर का विकास भी नजर आएगा। खासकर दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले ग्रामीणों के बच्चों के शिक्षा का बेहतर इंतजाम होगा और पढ़ लिखकर बेहतर भविष्य गढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।

अब हम यह भरोसे के साथ कह सकते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब बस्तर का नाम छत्तीसगढ़ के साथ ही देश और दुनिया में चमकेगा। आदिवासी बच्चे पढ़-लिखकर कदम से कदम मिलाएंगे और राज्य व देश की उन्नति और प्रगति में सहभागी बनेंगे। रावघाट तक रेल पटरी पहुंचना केवल रेल कनेक्टिविटी का विस्तार नहीं है, बल्कि दूरस्थ अंचलों में विकास और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

बस्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधाओं का विकास लंबे समय से महत्वपूर्ण आवश्यकता रहा है। रेल कनेक्टिविटी बढ़ने से इन क्षेत्रों का संपर्क अन्य शहरों और बड़े बाजारों से मजबूत हो सकता है। इससे स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचाने और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार में सहायता मिलने की संभावना है। साथ ही, भविष्य में रेल सेवाएं शुरू होने पर यात्रियों को भी आवागमन के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि दक्षिण छत्तीसगढ़ और बस्तर अंचल में भविष्य की परिवहन सुविधाओं तथा आर्थिक गतिविधियों के विकास की संभावनाएं मजबूत होंगी।

प्रदेश के उत्तरी इलाके में भी रेल नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। बिलासपुर-झारसुगुड़ा चौथी रेल लाइन परियोजना के तहत 206 किलोमीटर में से 180 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह छत्तीसगढ़ और ओडिशा को कवर करती है। सारागांव देवरी-बाराद्वार-जेठा-सक्ती के बीच 22.2 किमी का नया खंड पूरा होने के बाद सीआरएस (कमिशनर आफ रेलवे सेफ्टी) की मंजूरी मिल चुकी है। इसका उद्देश्य हावड़ा-मुंबई व्यस्त मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही को सुधारना और मालगाड़ी व यात्री गाड़ियों के संचालन को तेज करना है।

इसी तरह बिलासपुर से पेंड्रा रोड के बीच 87 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन परियोजना को सितंबर 2026 में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने बरवाडीह-गढ़वा रोड-रामानुजगंज-अंबिकापुर नई रेल लाइन को झारखंड और छत्तीसगढ़ में विशेष रेल परियोजना घोषित किया है। इससे छत्तीसगढ़ से झारखंड की कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी।

2030 तक तीन लाख करोड़ का होगा ड्यूरेबल्स बाजार

नई दिल्ली: बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) और उद्योग संगठन सीआइआइ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाजार में जबरदस्त बढ़ोतरी होने और इसके 3-3.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे मटीरियल और उपकरण मैन्यूफैक्चरिंग में घरेलू स्तर पर वैल्यू एडिशन के लिए 40-50 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे। (प्रेट्र)

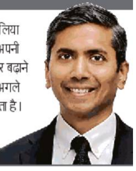

कच्चे माल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को देखते हुए हम अपनी एसयूवी रेंज की कीमतें एक बार फिर बढ़ाने पर विचार कर रही है और इस पर अगले कुछ हफ्तों में फैसला लिया जा सकता है।
– नलिनिकांत गोल्लागुंटा, सीईओ, आटोमोटिव डिवीजन, महिंद्रा समूह

बीते सप्ताह भारतीय शेयरों में शुद्ध निवेशक रहे एफपीआइ

जेएनएन, नई दिल्ली: अमेरिका बांड यील्ड में वृद्धि और तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद बीते सप्ताह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआइ) घरेलू शेयर बाजारों में शुद्ध निवेशक रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के डाटा के अनुसार, 21-25 सितंबर के दौरान एफपीआइ ने शुद्ध रूप से 3,842.83 करोड़ रुपये के शेयरों की खरीद की है।

डाटा के अनुसार, इस ताजा खरीदारी के साथ सितंबर में एफपीआइ की कुल बिकवाली घटकर 17,131 करोड़ रुपये पर आ गई है। इससे पिछले सप्ताह के अंत में यह बिकवाली 20.974 करोड़ रुपये थी। एफपीआइ ने इससे पहले अगस्त में 29,630 करोड़ और जुलाई में 20,200 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था। 2026 में अब तक एफपीआइ भारतीय शेयरों से 2,41,572 करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं।

3,842 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की बीते सप्ताह

2.41 लाख करोड़ पर पहुंची विदेशी निवेशकों की कुल निकासी 2026 में अब तक

सप्ताह के दौरान स्थिति	
21 सितंबर	4,386.51
22 सितंबर	-648.25
23 सितंबर	-2,593.45
24 सितंबर	7219.93
25 सितंबर	-4521.96

ज्यादा राशि के लिए ज्वाइंट होम लोन बेहतर विकल्प

हर आदमी अपना सपनों का घर लेना चाहता है। इसके लिए कई बार लोन का सहारा भी लिया जाता है। लेकिन कई बार नौकरीपेशा लोगों को उनकी आय के आधार पर घर खरीदने के लिए उपयुक्त लोन नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में ज्यादा राशि का लोन लेने के लिए ज्वाइंट (संयुक्त) होम लोन एक बेहतर विकल्प है। यदि पति और पत्नी दोनों कामकाजी हैं या तो उनको आसानी से उनकी योग्यता के अनुसार ज्यादा राशि का होम लोन मिल सकता है। ज्वाइंट होम लोन के लिए जरूरी योग्यता और अन्य लाभ बता रहे हैं **मनोज कुमार**

ज्वाइंट होम लोन के फायदे

- दोनों आवेदकों की आय जुड़ने से ज्यादा राशि का लोन मिल जाता है।
- लोन की किस्त चुकाने की जिम्मेदारी दोनों व्यक्तियों पर होती है। इससे किसी एक व्यक्ति पर बोझ नहीं पड़ता।
- होम लोन लेने वाले दोनों व्यक्ति अपनी आय से किस्त चुका रहे हैं तो दोनों अलग-अलग कर छूट का दावा कर सकते हैं।

इन आधार पर लोन देते हैं बैंक

- दोनों आवेदकों की अलग-अलग और कुल आय कितनी है
- दोनों आवेदकों की क्रेडिट हिस्ट्री और लोन चुकाने का रिकार्ड और सिबिल स्कोर कैसा है
- मौजूदा लोन, क्रेडिट कार्ड बिल और अन्य देनदारियां
- नौकरी या कारोबार कितना सुरक्षित और स्थायी है।

महिला के सह-मालिक होने पर अतिरिक्त लाभ

ज्वाइंट होम लोन में एक महिला आवेदक होने पर कई अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं। महिला आवेदकों को बैंक ब्याज दर में छूट देते हैं। इसके अलावा, सह-मालिक बनाने पर संपत्ति के स्टांप शुल्क में भी एक से दो प्रतिशत तक की छूट मिलती है।

क्या होता है ज्वाइंट होम लोन

जब कोई दो लोग मिलकर होम लोन के लिए आवेदन करते हैं तो इसको ज्वाइंट होम लोन कहा जाता है। ऐसे मामलों में बैंक दोनों आवेदकों की आय और उनकी चुकाने की क्षमता के आधार पर लोन देते हैं। इन दो लोगों में पति-पत्नी, बेटा-मां, बेटा-पिता जैसे आपसी संबंधी हो सकते हैं। इसका लाभ यह होता है कि एक व्यक्ति के वेतन के आधार पर 35 लाख का लोन मिल रहा है, तो दोनों की आय के आधार पर 60 से 70 लाख रुपये तक का भी होम लोन मिल सकता है।

आवेदकों की योग्यता

ज्वाइंट होम लोन लेने के लिए दोनों आवेदकों का संपत्ति के कागजात में नाम होना चाहिए। दोनों आवेदकों की अलग-अलग आय होनी चाहिए। दोनों आवेदक नौकरी पेशा या एक आवेदक नौकरीपेशा और दूसरा पेशेवर या बिजनेस करने वाला या दोनों आवेदक पेशेवर या कारोबार करने वाले हो सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

पता के लिए: आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर कार्य या किसी वैधानिक प्राधिकरण से कोई अन्य प्रमाण पत्र।

उम्र के लिए: पैन कार्ड, पासपोर्ट या किसी वैधानिक प्राधिकरण से कई अन्य प्रमाण पत्र।

आय के लिए: नौकरीपेशा की स्थिति में पिछले तीन महीने की सैलरी स्लिप, बीते दो वर्षों का फार्म-16 और छह महीने का बैंक विवरण।

पेशेवर या स्व :रोजगार की स्थिति में कारोबार और आयकर रिटर्न से जुड़ी चीजें जैसे- बिजनेस होने का सबूत, पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न, अकाउंटेंट से सत्यापित बैलेंस शीट और पिछले 12 महीनों का बैंक खाते का विवरण।

खास बातें

- किसी भी कारण से किस्त बाउंस होने पर दोनों सह-मालिकों के सिबिल स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
- किसी अप्रिय घटना की स्थिति में परिवार की सुरक्षा के लिए सही जीवन बीमा या होम लोन सुरक्षा योजना या होम लोन का बीमा जरूर कराएं।

(**नोट:** यह लेख केवल जानकारी के लिए। लोन लेने से पहले बैंक से पूरी जानकारी लें।) जागरण इन्फो

आठ प्रतिशत तक महंगे होंगे एसी, फ्रिज व टीवी

एक अक्टूबर से लागू होगी नई कीमत, कापर, स्टील और दूसरे उत्पादों के मूल्य में तेजी का असर

नई दिल्ली, प्रेट्र: एक अक्टूबर से एसी, फ्रिज, टीवी और वाशिंग मशीन सहित दूसरे उत्पाद महंगे हो जाएंगे। कापर, स्टील और दूसरे उत्पादों की कीमतों में तेजी और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते मुद्रा में उतार-चढ़ाव से कंपनियां इन उत्पादों की कीमतें पांच से आठ प्रतिशत तक बढ़ाने जा रही हैं। कैलेंडर वर्ष 2026 में यह तीसरी बार है जब कंपनियां कीमतें बढ़ाने जा रही हैं।

कंपनियां एयर-कंडीशनर की कीमतें पांच से आठ प्रतिशत बढ़ाने वाली हैं जबकि अन्य कंपनियों ने वाशिंग मशीन, रेफ्रिजेटर और एलईडी की कीमतों में 3-4 प्रतिशत वृद्धि करने का फैसला किया है। हालांकि, कुछ कंपनियों को डर है कि इस वृद्धि से त्योहारों की मांग पर असर पड़ सकता है, वहीं कुछ अन्य कंपनियों का मानना है कि कीमतों में वृद्धि का असर बिक्री पर बहुत मामूली होगा, क्योंकि डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटरों ने अगस्त और सितंबर में पहले से बुकिंग के जरिये पुरानी कीमतों पर खरीदी गई इन्वेंट्री पहले ही स्टाक कर ली है।

ब्लू स्टार, गोदरेज अप्लायंसेज, हायर, डाइकिन और सुपर प्लास्ट्रोनिक्स ने पहले ही अलग-अलग श्रेणी में चार से दस प्रतिशत तक कीमतों में वृद्धि का एलान कर दिया है। हालांकि, पैनासोनिक ने कहा है कि वह किसी भी बढ़ोतरी पर फैसला करने से पहले सभी स्थितियों का मूल्यांकन कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक, एलजी और बाश होम कंफर्ट (इसके पास हिताची ब्रांडेड एयर कंडीशनर का मालिकाना हक है) ने भी एसी की कीमतों में लगभग पांच प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।

- कैलेंडर वर्ष 2026 में तीसरी बार उत्पादों की कीमत में वृद्धि करने जा रही कंपनियां
- कुछ कंपनियों को इस मूल्य वृद्धि से त्योहारी मांग पर असर पड़ने का डर

40 प्रतिशत तक बिक्री होती है त्योहारी सीजन में अप्लायंस बनाने वालों की

एक एयर कंडीशनर में 3-4 किलो कापर की जरूरत

हायर इंडिया के प्रेसिडेंट एनएस सतीश ने कहा कि कापर की कीमतें पिछले साल 8,000-9,000 डालर प्रति मीट्रिक टन थीं, लेकिन अब यह 14,500 डालर मीट्रिक टन तक पहुंच गई हैं और इनके बढ़ते रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि एक एयर-कंडीशनर के लिए तीन से चार किलो कापर की जरूरत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इनपुट लागत इसी तरह बढ़ती रही तो दिवाली के बाद और जनवरी में फिर से कीमतें बढ़ सकती हैं।

युद्ध के कारण सभी कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही हैं। कापर, स्टील और प्लास्टिक सभी महंगे हो गए हैं। इस साल कंपनी द्वारा की गई यह तीसरी कीमत बढ़ोतरी है। पिछले साल के फेस्टिव सीजन से कीमतों की तुलना करें तो लागत 15 प्रतिशत बढ़ गई है, लेकिन अब ग्राहक को लगभग 10 प्रतिशत का जीएसटी लाभ मिल रहा है, जिससे खरीदारों पर कुल असर लगभग पांच प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा होगा।
-बी. त्यागराजन, प्रबंध निदेशक, ब्लू स्टार

कमोडिटी की कीमतों में 8-10% की बढ़ोतरी के बाद उद्योग कीमतों में बढ़ोतरी का एक और दौर जरूरी हो गया है। समय अलग-अलग ब्रांड के हिसाब से अलग हो सकता है। कुछ इसे अक्टूबर से लागू करेंगे और कुछ नवंबर से, लेकिन यह जरूरी है। ग्राहक के पास त्योहारी सीजन के दौरान मौजूदा कीमतों पर उत्पाद खरीदने का मौका रहेगा क्योंकि वृद्धि से पहले खरीदा गया स्टाक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में उपलब्ध रहेगा।
-कमल नंदी, अप्लायंसेज बिजनेस के प्रमुख, गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

आइपीओ के लिए नौ कंपनियों ने जमा किए प्रारंभिक दस्तावेज

नई दिल्ली, प्रेट्र: टांस एसीएनआर साल्यूशंस और महाराष्ट्र आयल एक्सट्रैक्शंस समेत कुल नौ कंपनियों ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) लाने के लिए मार्केट रेग्युलेटर सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए हैं। यह कंपनियां कारोबार विस्तार, कर्ज निपटान और अन्य कारपोरेट आवश्यकताओं के लिए पूंजी जुटाने के उद्देश्य से शेयर बिक्री प्रस्ताव ला रही हैं।

प्रारंभिक दस्तावेज जमा करने वाली अन्य कंपनियों में जगतजीत एग्री इंजीनियरिंग, जय पार्वती फोर्ज, कूलकिंग इंडस्ट्रीज इंडिया, साई इन्फिनियम, एसजी एनकान, माउंट एवरेस्ट ब्रेवरीज और अल्ट्रावाइब्रेंट इंटीग्रेटेड एनर्जी शामिल हैं। इन सभी कंपनियों ने 21-26 सितंबर के बीच प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए हैं। कई कंपनियों ने गोपनीय प्री-फाइलिंग प्रणाली के तहत दस्तावेज जमा किए हैं। ऐसे दस्तावेज तुरंत सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा, 11 कंपनियों ने भी पिछले कुछ दिनों में प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए हैं।

अप्रैल-जुलाई में एनआरआइ जमा में सात गुना की वृद्धि

- वार्षिक आधार पर 678.2 प्रतिशत बढ़कर 36.24 अरब डालर पर पहुंची जमा
- विदेशी मुद्रा आकर्षित करने के लिए आरबीआइ ने जून में लांच की थी विशेष योजना

नई दिल्ली, प्रेट्र: चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) की जमा योजना में निवेश तेजी से बढ़ा। इसकी मुख्य वजह आरबीआइ के एक खास नीतिगत उपाय के बाद विदेशी जमा योजना में मजबूती वृद्धि थी।

आरबीआइ के मुताबिक, अप्रैल-जुलाई के दौरान एनआरआइ जमा साल-दर-साल 678.2 प्रतिशत बढ़कर 36.24 अरब डालर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 4.66 अरब डालर था। यह वृद्धि मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा जमा योजना की वजह से हुई। इस योजना से बैंकों को 31 अगस्त तक लगभग 133 अरब डालर जुटाने में मदद मिली है।

एफसीएनआर (बी) अकाउंट अनिवासी भारतीयों को एक से पांच साल की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में जमा रखने की अनुमति देते हैं। इससे जमाकर्ताओं को डिपाजिट अवधि के दौरान एक्सचेंज मूल्य में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। कुल मिलाकर, जुलाई 2026 तक कुल एनआरआइ जमा बढ़कर 200.89 अरब डालर हो गया, जो जुलाई, 2025 में 167.86 अरब डालर और जून 2026 में 168.51 अरब डालर था।

एनआरआइ जमा में एफसीएनआर (बी), नान रेसिडेंट एक्सटर्नल (एनआरई) डिपाजिट और नान रेसिडेंट आर्डिनरी (एनआरओ) जमा शामिल हैं। अप्रैल से जुलाई के दौरान एनआरई जमा में 20.7 करोड़ डालर का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया गया जबकि पिछले साल इसी समय में यह 2.42 अरब डालर था।

राष्ट्रीय फलक

उत्तराखंड में एमबीबीएस फर्जीवाड़े की जांच में 50 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों पर सवाल

जागरण संवाददाता, देहरादून

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे के प्रमाण पत्रों की जांच के बीच नए दावे से बढ़ा मामला
- एसआइटी ने एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया, बैंकिंग व डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच

एमबीबीएस दाखिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे के कथित फर्जी प्रमाण पत्रों का मामला अब स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच तक पहुंच गया है। इस प्रकरण को उजागर करने वाले दून निवासी प्रदीप बहुगुणा ने दावा किया है कि एसडीएम सदर देहरादून कार्यालय से हाल के महीनों में जारी करीब 50 स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी हैं। उनका कहना है कि इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र तैयार कर मेडिकल दाखिले में लाभ लेने का प्रयास किया गया।

बहुगुणा के अनुसार, संदिग्ध प्रमाण पत्र अगस्त से लेकर एमबीबीएस सीट आवंटन से ठीक पहले तक जारी किए गए। उन्होंने इनमें से 14 प्रमाण पत्रों की सूची मुख्यमंत्री को सौंपने का दावा किया है। उनका कहना है कि संबंधित अभ्यर्थियों ने हाल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र भी बनवाए हैं। इनमें कुछ अभ्यर्थी दूसरे राज्यों से संबंधित हैं। ऐसे में जांच का दायरा केवल एमबीबीएस दाखिले तक सीमित न रखकर स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की वैधता तक बढ़ाया जाना चाहिए।

देहरादून निवासी प्रदीप बहुगुणा। जागरण

इधर, एमबीबीएस दाखिला फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआइटी ने गिरोह से जुड़े एक और सदस्य को हिरासत में लिया है। उससे दस्तावेज तैयार करने में उसकी भूमिका को लेकर पूछताछ की जा रही है। रविवार को एसआइटी ने विभिन्न बैंकों से लेनदेन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकार्ड भी जुटाए। इनका मिलान आरोपितों के बयानों और अन्य साक्ष्यों से किया जा रहा है। जांच में मोबाइल फोन, चैट, काल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है। वहीं, बहुगुणा ने हल्द्वानी मेडिकल कालेज में दाखिला लेने वाली एलिस तोमर के प्रमाण पत्रों पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार, बागपत से संबंधित होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। जांच के बाद संबंधित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने का दावा किया गया है।

चपरासी का वेतन 3500, खाते से 1.71 करोड़ रुपये का लेनदेन

जासं, संतकबीरनगर: अस्पताल में चपरासी के पद पर 3,500 रुपये मासिक वेतन पर काम करने वाले प्रमोद कुमार के केनरा बैंक खाते से 1.71 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हो गया। इसमें 86.20 लाख रुपये जमा और 84.92 लाख की निकासी हुई है। पुलिस ने खाताधारक व अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले में नाथनगर स्थित सीएसआर अस्पताल में चपरासी प्रमोद ने पुलिस पूछताछ में बताया कि अमित सिंह नामक व्यक्ति ने बैंक खाता खुलवाया था। 26 जून, 2024 को खाते में पहली बार पांच हजार रुपये जमा हुए, जिसमें से 4,800 रुपये निकाले गए। इसके बाद यूपीआइ समेत अन्य माध्यमों से लेनदेन होता रहा। एक जुलाई, 2024 को 80,500, 23 जुलाई को दो लाख तथा 2.40 लाख रुपये समेत कई बड़ी धनराशियां खाते में जमा हुईं। पुलिस खाते का वास्तविक संचालन करने वाले व्यक्ति, साइबर धोखाधड़ी में शामिल लोगों की जांच कर रही है।

महादेव सट्टा: देश के तीसरे बड़े घोटाले पर शिकंजा ढीला, 28 में सिर्फ दो जेल में

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • रायपुर

छत्तीसगढ़ में सामने आया महादेव सट्टा एप प्रकरण देश के तीन बड़े आर्थिक घोटालों में गिना जा रहा है। ईडी ने सट्टा एप से जुड़े कथित लेन-देन नेटवर्क का दायरा करीब एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का दावा किया है। यूपीए शासनकाल में कोयला ब्लाक आवंटन और टूजी स्पेक्ट्रम से जुड़े बड़े घोटाले सामने आए थे, जिसमें एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी के आरोप लगे थे।

इस प्रकरण में जांच एजेंसियों ने अब तक कुल 114 आरोपितों को नामजद किया है, पर गिरफ्तारी मात्र 28 की ही हो पाई है। इनमें से 26 को न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। केवल अभिषेक कुमार सिंह व दिल्ली के कारोबारी विकास गर्ग रायपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं। एप के प्रमोटर समेत 86 आरोपित गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में प्रकरण में जांच की गति व आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में महादेव एप सट्टेबाजी का प्रकरण सामने आया था। इसकी जांच गत चार वर्षों से ईडी व सीबीआइ कर रही है। जांच का दायरा सिर्फ सट्टेबाजी के आनलाइन नेटवर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि हवाला, मनी लांड्रिंग, फर्जी बैंक खातों और देश-विदेश में फैले वित्तीय नेटवर्क तक पहुंच चुका है।

आरोपित विकास गर्ग। फाइल

मोहित साहू, साइबर एक्सपर्ट।

अभिषेक कुमार सिंह

मुख्य सरगना अब भी पकड़ से दूर : मामले में एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी का नाम प्रमुखता से सामने आया है। इंटरपोल रेड कार्नर नोटिस, गैर-जमानती वारंट व ओमान-दुबई में ट्रैक किए जाने के बावजूद अब तक तीनों को भारत नहीं लाया जा सका है। जांच एजेंसियों ने 3,800 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्ती के साथ ही बैंक खातों तथा अन्य वित्तीय लेन-देन से जुड़े सुराग तलाशे हैं।

प्रमोटर के चाचा सहित कई प्रमुख आरोपित जमानत पर बाहर: महादेव सट्टा मामले में मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के चाचा सतीश चंद्राकर को भी गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में सतीश, निलंबित एएसआइ चंद्रभूषण वर्मा, भीम सिंह यादव, हवाला कारोबारी सुनील दम्मानी व उसका भाई अनिल दम्मानी समेत 26 आरोपित जमानत पर बाहर हैं।

स्टार्टअप को पिच से फंडिंग तक का मंच देगा आइआइटी कानपुर

जागरण संवाददाता, कानपुर

- अपस्टार्ट-2026 में चार शहरों में होगी स्क्रीनिंग, संचालकों को मिलेगी विशेषज्ञों से मेंटरशिप

शुरुआती चरण के स्टार्टअप को निवेश, इनक्यूबेशन और उद्योग जगत से जोड़ने के लिए आइआइटी का प्रतिष्ठित मंच अपस्टार्ट-26 तैयार है। संस्थान के एंटरप्रेन्योरशिप सेल की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर की बिजनेस माडल पिचिंग प्रतियोगिताएं दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में कराई जाएंगी। स्टार्टअप संस्थापकों को सिर्फ अपने बारे में बताने का अवसर नहीं मिलेगा, बल्कि विशेषज्ञों की सीधी सलाह और मेंटरशिप से अपने बिजनेस माडल को मजबूत करने का मौका भी मिलेगा।

आइआइटी के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के प्रभारी प्रो. दीपू फिलिप के अनुसार प्रतियोगिता का पहला चरण 10 अक्तूबर को दिल्ली में होगा। इसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। स्क्रीनिंग एक से तीन अक्टूबर तक होगी। बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 अक्टूबर को प्रतियोगिता कराई जाएगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। स्क्रीनिंग 16 से 18 अक्टूबर के दौरान होगी। मुंबई में पांच दिसंबर को आयोजन, 26 नवंबर तक आवेदन और 28 से 30 नवंबर तक स्क्रीनिंग होगी। अपस्टार्ट-2026 में 18 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि रखी गई है। चयनित स्टार्टअप को मौके पर फंडिंग के साथ संस्थागत इनक्यूबेशन, उद्योग जगत से नेटवर्किंग,मीडिया एक्सपोजर का मौका मिलेगा। फिनटेक, हेल्थटेक, डीपटेक, वेब, साइबर सुरक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों के शुरुआती चरण के स्टार्टअप इसमें भाग ले सकते हैं। चुने गए प्रतिभागियों को कई सप्ताह की विशेषज्ञ मेंटरशिप दी जाएगी। 23 जनवरी 2027 को आइआइटी परिसर में फिनाले होगा।

बाघ के अवशेष व पैंगोलिन संग छह गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, गरियाबंद

महाराष्ट्र-तेलंगाना सीमा पर वन्यजीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संयुक्त टीम ने छह संदिग्धों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र के आलापल्ली स्थित जिमेला क्षेत्र में 26 सितंबर को की गई कार्रवाई के दौरान एक जीवित मादा पैंगोलिन और उसका नवजात शिशु बरामद किया गया। टीम ने बाघ की 43 संदिग्ध हड्डियां, दो कैनाइन दांत और तीन मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं।

यह कार्रवाई वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के पश्चिमी क्षेत्र, राजस्व खुफिया निदेशालय के मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व और आलापल्ली वन विभाग की संयुक्त टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर की। हिरासत में लिए गए संदिग्ध महाराष्ट्र के जिमेला, आलापल्ली, कोकोपाड़ा, गोमनीटोला व कोंसरी क्षेत्र के निवासी हैं। जब्त वन्यजीव अवशेषों को फारेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है।

तस्करी नेटवर्क की कड़ियां खंगालने में जुटी एजेंसियां : जांच एजेंसियां वन्यजीव तस्करी के स्रोत, इसमें शामिल हैंडलरों, परिवहनकर्ताओं, बिचौलियों की पहचान में जुट गई हैं। यह अभियान उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के आपरेशन सेफ पैसेज 3.0 के तहत चलाया जा रहा है। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरपोल के आपरेशन थंडर 2026 से भी जोड़ा गया है। 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चल रहे इस अभियान का उद्देश्य वन्यजीव और वानिकी अपराधों से जुड़े संगठित नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करना तथा विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना है।

2025 में 134 देशों ने लिया था हिस्सा : उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 के आपरेशन थंडर में 134 देशों ने भाग लिया था। अभियान के दौरान 4,640 जब्तियां हुई थीं और करीब 1,100 संदिग्धों की पहचान की गई थी।

बाघ की 43 हड्डियां व दो दांत जब्त। नईदुनिया

विद्यालय के छात्रावास में अव्यवस्था के विरोध में 18 किमी पैदल चले छात्र

जासं, बक्सर

- बक्सर में सड़क जामकर लगाए प्रशासन विरोधी नारे, डीएम ने गठित की जांच समिति
- जिलाधिकारी के समझाने के बाद बच्चे माने, सभी को पांच बसों से वापस भेजा गया

बिहार में बक्सर जिले के रामपुर स्थित डा. भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय के छात्रावास में अव्यवस्था के खिलाफ छात्रों का आक्रोश रविवार को चरम पर पहुंच गया। पेयजल, बिजली, भोजन, पढ़ाई और सुरक्षा की समस्याओं को लेकर डेढ़ सौ छात्र 30 किलोमीटर की दूरी तय कर बक्सर जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान छात्र 18 किलोमीटर पैदल चले। छात्रों ने जिला कल्याण पदाधिकारी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग को लेकर आंबेडकर चौक पर धरना देकर नारेबाजी की। बाद में स्टेशन रोड भी जाम कर दिया।

जिलाधिकारी के समझाने के बाद सभी बच्चे मान गए। रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे सभी को पांच बसों से वापस छात्रावास भेज दिया गया। वार्ता के दौरान छात्रों ने विद्यालय में शिक्षकों की कमी, भोजन की गुणवत्ता, थाली की कमी, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था न होने, सुरक्षा और वार्डन की अनुपस्थिति तथा भेदभाव समेत कई शिकायतें रखीं। छात्रों ने छात्रावास को बक्सर जिला मुख्यालय में स्थानांतरित किए जाने की मांग भी की।

जिलाधिकारी साहिला ने मामले की जांच के लिए उप विकास आयुक्त निहारिका छवि की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया है। समिति जिले के सभी छात्रावासों का निरीक्षण कर आधारभूत सुविधाओं, पेयजल, बिजली, भोजन, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की जांच करेगी। जिला कल्याण पदाधिकारी से भी इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

संपादकीय

दुष्काळ जाहीर; मदतीचे काय ?

अखेर राज्यातील दुष्काळ सरकारी कागदावर आला. ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उशिरा का होईना, पण वास्तवाची दखल घेणारा आहे. राज्याच्या जवळपास ७४ टक्के तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे, हे आकडेच संकटाची व्याप्ती सांगतात. मात्र, दुष्काळ जाहीर करणे ही संकटाची समाप्ती नव्हे; ती मदतीच्या सुरुवातीची घोषणा असते. त्यामुळे आता सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष किती आणि केव्हा पैसा पोहोचतो, हा प्रश्न यापुढच्या काळात सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा असेल. सरकारने जाहीर केलेल्या १२ कलमी पॅकेजमध्ये जमीन महसूल माफी, शेती कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषिपंपांच्या वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे, टँकरने पाणीपुरवठा, अन्नधान्याची उपलब्धता, चाऱ्याची व्यवस्था आणि जलसंधारणाची कामे अशा उपायांचा समावेश आहे. ही सर्व पावले आवश्यक आहेत. दुष्काळ हा केवळ पिकांचा प्रश्न नसतो; तो पाणी, पशुधन, रोजगार, शिक्षण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न असतो. त्यामुळे या सवलतींचे महत्त्व कमी लेखता येणार नाही; पण या सगळ्यात एक मूलभूत प्रश्न अजून अनुत्तरित आहे - ज्याच्या शेतातले उभे पीक हातचे गेले, त्याच्या हातात आज किती पैसा आहे? कारण, कर्जाची वसुली थांबवणे म्हणजे उत्पन्न निर्माण करणे नव्हे. कर्जाचे पुनर्गठन म्हणजे कर्ज माफ करणे नव्हे. वीजबिलात सवलत म्हणजे घरखर्च भागवण्यासाठी रोख रक्कम मिळणे नव्हे. महसूल माफी स्वागतार्ह असली, तरी शेतकऱ्याच्या घरातील चूल महसूल माफीने पेटत नाही. दुष्काळात सर्वांत आधी अन्न, औषध, मुलांचे शिक्षण, जनावरांचा चारा आणि पुढील हंगामासाठी बियाणे-खत यासाठी पैसा लागतो. त्यामुळे थेट आर्थिक मदतीची अपेक्षा ही अवाजवी मागणी नाही. म्हणूनच, सरकारचे पॅकेज अपुरे वाटते. विशेषतः गेल्या काही दिवसांत शेतकरी आणि विरोधकांकडून तातडीने थेट मदत देण्याची मागणी होत आहे. काही राजकीय पक्षांनी प्रत्येक दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याला ५० हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली आहे. सरकारने मात्र सध्या प्रत्यक्ष पीक नुकसानाचे पंचनामे करून त्यानंतर मदतीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून मदत मिळवण्यासाठी पंचनामे आवश्यक आहेत; पण पंचनाम्यांची प्रक्रिया हा मदतीचा पर्याय होऊ शकत नाही. जिओ टॅगिंग, जीपीएस आणि छायाचित्रांसह पंचनामे करून एकूणच सगळ्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न योग्य आहे. मात्र, आधीच धीर खचून गेलेल्या शेतकऱ्याला या तंत्रज्ञानाच्या प्रक्रियेत अडकवून ठेवणे योग्य ठरणार नाही. दुष्काळाची तीव्रता सरकारनेच मान्य केली आहे. मग मदतीची प्रक्रिया पुन्हा कागदोपत्री पुराव्यांच्या भूलभूलय्यात का अडकावी? याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारी मदत आणि प्रत्यक्ष नुकसान यातील तफावत. सध्या आपत्ती निवारण निकषांनुसार नैसर्गिक आपत्तीतील पीक नुकसानासाठी कोरडवाहू पिकांना हेक्टरी ८ हजार ५०० रुपये आणि सिंचित/बागायती पिकांना हेक्टरी १७ हजार रुपयांपर्यंत मदत आहे, तीही जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत. ही रक्कम 'नुकसानभरपाई' नसून तातडीची मदत असल्याचे केंद्र सरकारनेही स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच, शेतकऱ्याचे प्रत्यक्ष नुकसान आणि सरकारी मदत यांच्यातील अंतर कायम राहते. आजच्या परिस्थितीत सरकारने म्हणूनच दोन पातळ्यांवर निर्णय घेण्याची गरज आहे. एक म्हणजे, दुष्काळ जाहीर झालेल्या २६५ तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत थांबवून न ठेवता तातडीची अंतरिम रोख मदत द्यावी आणि दुसरे म्हणजे, पंचनाम्यांनंतर प्रत्यक्ष नुकसानानुसार अतिरिक्त मदतीचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा दुष्काळ जाहीर करण्याचा मोठा निर्णय केवळ सरकारी कागदावरील शिक्का ठरण्याचा मोठा धोका आहे. दुष्काळात शेतकऱ्याला केवळ सहानुभूतीचे शब्द नकोत; त्याला जगण्यासाठी आधार हवा आहे. शक्य त्या सवलती हव्यात, कर्जवसुलीला स्थगिती हवी, पाणी हवे, चारा हवा; पण त्याबरोबर हातात रोख पैसा आणि पुढील हंगाम उभा करण्याची ताकदही हवी. दुष्काळाची घोषणा झाली आहे. आता सरकारने मदतीची घोषणाही तातडीने करावी; कारण शेतकऱ्याला आज सर्वांत मोठी चिंता दुष्काळाची नाही; दुष्काळानंतर घर कसे चालवायचे, ही आहे.

हा चीनचा सन्मान की सन्मानाचे फक्त राजकारण ?

संपूर्ण जगाचे लक्ष शी जिनपिंग आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे लागले होते. जिनपिंग यांच्यासाठी ट्रम्प यांनी प्रोटोकॉल मोडणे ही सामान्य घटना नव्हे!

डॉ. विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि त्यांच्या पत्नी पेंग लियुआन यांच्या स्वागतासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या पत्नी मेलानिया जॉइंट बेस अँड्रयूज येथे स्वतः पोहोचले, तेव्हा जग आश्चर्यचकित झाले. एखाद्या परदेशी पाहुण्याच्या स्वागतासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष स्वतः विमानतळावर पोहोचले, हे १९६२ नंतर प्रथमच घडत होते. त्यामुळे सगळ्यांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला : हा खरोखर चीनच्या वाढत्या दबदब्याचा सन्मान आहे की, अमेरिकेच्या राजकारणातील नवी चाल?

परदेशी पाहुणा आला की, विमानतळावर त्याचे स्वागत करण्याची जबाबदारी उपराष्ट्राध्यक्ष, परराष्ट्रमंत्री किंवा प्रोटोकॉल अधिकाऱ्याची, ही त्या देशाची राजनैतिक परंपरा. राष्ट्राध्यक्ष परदेशी पाहुण्यांचे स्वागत व्हाइट हाऊसमध्ये करतात. अपवाद अगदी निवडक. १९६२ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी अँड्रयूज एअर फोर्स बेसवर ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान हॅरोल्ड मॅकमिलन यांचे स्वतः स्वागत केले होते. अमेरिका आणि ब्रिटनमधील धोरणात्मक भागीदारी आणि मैत्रीचे जगासमोर प्रदर्शन करण्यासाठी केनेडी यांनी असे केल्याचे मानले जाते.

माझे मित्र आणि खासदार शशी थरूर यांनी अलीकडेच आणखी एक माहिती समोर आणली आहे. १९४९ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू अमेरिकेत पोहोचले, तेव्हा तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हॅरी एस. ट्रुमन यांनी विमानतळावर त्यांचे स्वागत केले होते. १९६१ मध्येही पंडित नेहरूंच्या स्वागतासाठी जॉन एफ. केनेडी विमानतळावर उपस्थित होते. पंचशीलचे प्रणेते म्हणून त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पंडितजींना आदराचे स्थान होते.

आता प्रश्न असा की, ट्रम्प यांनी शी जिनपिंग यांच्या स्वागतासाठी प्रोटोकॉल का मोडला? अमेरिका आता चीनच्या अग्रस्थानाला मान्यता देत आहे का? चीनने आपला एक दबदबा निश्चितच निर्माण केला आहे आणि त्याची जाणीव अमेरिकेलाही आहे. पण त्यासाठीच ट्रम्प थेट विमानतळावर पोहोचले असतील, असे वाटत नाही.

ट्रम्प हे मुळात पक्के व्यावसायिक. राजकारणाकडेही व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनच पाहतात. शी जिनपिंग यांचे भव्य स्वागत केले, तर कदाचित ते मैत्रीचा हात पुढे करतील, असा त्यांचा होरा असावा. प्रत्येकाला आपल्याशी मैत्री करण्याची इच्छा आहे, असे अमेरिकेला वाटत असते. पण चीन त्याला बधणारा नाही. शी जिनपिंग यांनी चीनला जगातील सर्वांत मोठी व्यापारी शक्ती म्हणून उभे केले आहे. त्यामुळे हा सगळा मामला व्यापार आणि राजकीय कूटनीतीचा आहे. आपल्या डावपेचांमध्ये समोरच्याला जितके अधिक गुंतवून ठेवता येईल, तितका फायदा आपलाच होणार.

शी जिनपिंग यांच्या अमेरिका दौऱ्याचे व्हिडीओ,

दोघांची देहबोली बारकाईने पाहा. ट्रम्प उत्साही दिसतात; तर शी जिनपिंग मात्र अलिप्त आणि गंभीर. आपली प्रगती रोखण्यासाठी अमेरिका हरतऱ्हेचे प्रयत्न करत आहे आणि ट्रम्प आपल्याला आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, याची चीनला नेमकी जाणीव आहे.

जिनपिंग खुश व्हावेत म्हणून तैवानला १४ अब्ज डॉलरची शस्त्रास्त्रे देण्याची प्रक्रिया ट्रम्प यांनी तूर्त थांबवली आहे. पण तैवान ही चीनची दुखरी नस. अमेरिका ती नस आपल्या हातात ठेवू इच्छिते. चीनही आक्रमक पवित्रा घेण्याची एकही संधी सोडत नाही. अमेरिकेने सुरू केलेल्या व्यापारयुद्धाला चीननेही तितक्याच कडकपणे प्रत्युत्तर दिले आहे. व्यापारयुद्धाबाबत नोव्हेंबरपर्यंत असलेला संघर्षविराम अमेरिकेने आणखी दोन महिन्यांसाठी वाढवला आहे. चीनची इच्छा होती की, तो किमान एका वर्षासाठी वाढवावा. ट्रम्प यांचा कार्यकाळ कसातरी संपून जावा, अशीच त्यांची इच्छा दिसते. पुढचे पुढे पाहू!

रेअर अर्थ मिनरल्सच्या बाबतीत चीनने काही सवलती द्याव्यात, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. मात्र, चीननेही आपली मूठ आवळून ठेवली आहे. अमेरिकेसमोर कोणत्याही परिस्थितीत झुकण्याची त्याची तयारी नाही. अमेरिकेला आव्हान दिल्याशिवाय जगातील सर्वोच्च शक्ती बनण्याच्या दिशेने पुढे जाता येणार नाही, हेही चीनला ठाऊक आहे. त्यामुळे चीन अत्यंत सावधपणे प्रत्येक पाऊल टाकत आहे.

एआय : दोघे दोन टोकांवर!

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच 'एआय'च्या मुद्द्यावर चीन आणि अमेरिकेचे एकमत नाही. एआय भविष्यात मानवावरच नियंत्रण मिळवेल का? या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, असे तज्ज्ञ परोपरीने बजावत आहेत. त्यावरून जगभरात चर्चा सुरू आहे. 'एआय'वर मानवी नियंत्रण असलेच पाहिजे, असा जिनपिंग यांचा आग्रह. याउलट, 'एआय'मुळे मानवजातीचाच विनाश होईल, ही शक्यता ट्रम्प यांनी थेट फेटाळूनच लावली आहे.

केवळ या दोन महासत्तांनीच नव्हे, तर संपूर्ण जगाने या गंभीर प्रश्नावर एकमताने विचार करण्याची गरज आहे. कारण शेवटी प्रश्न मानवजातीच्या अस्तित्वाचा आहे.

तुर्कीला काश्मीरची उठाठेव कशाला?

तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत पुन्हा एकदा काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. हा माणूस विचित्रच आहे. २०२४ मध्ये ब्रिक्समध्ये प्रवेश करण्याचा तुर्कीचा प्रयत्न चालू असताना त्यांनी महासभेत काश्मीरच्या मुद्द्यावर मौन बाळगले होते. मात्र, इस्लामी जगताचा नेता बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या एर्दोगान यांना अधूनमधून काश्मीरची कळ काढावीशी वाटते. तुर्कीच्या एकूण लोकसंख्येच्या दुप्पटपेक्षा अधिक संख्या भारतातील मुस्लिमांची आहे, हे या एर्दोगान महाशयांनी विसरू नये. काश्मीरच्या विषयावर ते गप्पच बसतील तर बरे!

vijaydarda@lokmat.com
डॉ. विजय दर्डा यांचे समग्र लेखन वाचण्यासाठी स्कॅन करा :

प्रासंगिक

डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे महाराष्ट्रातील पर्यटनाला नवी दिशा

महाराष्ट्रातले पर्यटन अधिक सुखकर व्हावे यासाठी पर्यटन विभागातर्फे नवनव्या डिजिटल व्यवस्था कार्यान्वित होत आहेत. जागतिक पर्यटन दिनाच्या निमित्ताने...

विकास पानसरे
संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र

जागतिक पर्यटन क्षेत्राचा सातत्याने विकास होत असताना डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे पर्यटनाच्या भविष्याचे महत्त्वाचे घटक ठरत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे पर्यटकांना माहिती व सेवा सहज उपलब्ध होत असून पर्यटनाचे नियोजन आणि व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होत आहे. जागतिक पर्यटन दिन २०२६ची 'डिजिटल अजेंडा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे पर्यटनाची पुनर्कल्पना' ही संकल्पना या बदलांचे महत्त्व अधोरेखित करते.

या दृष्टिकोनाशी सुसंगतपणे महाराष्ट्र पर्यटन विभाग डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून पर्यटकांना अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि वैयक्तिक स्वरूपाचा अनुभव देण्यासाठी कार्यरत आहे. डिजिटल डॅशबोर्ड, स्मार्ट तिकीटिंग, 'महाअतिथी' संकेतस्थळ, महाराष्ट्र टुरिझम मोबाइल ॲप, एआय आधारित 'महामुनी' चॅटबॉट, स्मार्ट पार्किंग आणि डिजिटल क्षमता-विकास कार्यक्रम अशा विविध उपक्रमांद्वारे पर्यटन व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे.

महाराष्ट्र पर्यटन विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळ राज्यातील पर्यटनस्थळे, जिल्हे, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा, समुद्रकिनारे, निसर्गरम्य ठिकाणे, धार्मिक स्थळे, साहसी पर्यटन आणि इतर आकर्षणांची माहिती एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देते. आगामी काळात संकेतस्थळावर डिजिटल डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येणार असून, पर्यटनस्थळांची स्थिती आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे निर्णय घेणे अधिक सुलभ होईल.

'महाअतिथी' हा पर्यटक आणि पर्यटन क्षेत्रातील भागधारकांमधील महत्त्वाचा डिजिटल दुवा आहे. यावर टूर, होमस्टे, बेड अँड ब्रेकफास्ट, हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, कृषी पर्यटन केंद्रे, फार्मस्टे आणि पर्यटन व्हिला यांची माहिती तसेच थेट आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे. एकाच डिजिटल व्यासपीठावर पर्यटनविषयक माहिती व सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोबाइल ॲप विकसित करण्यात येणार आहे. पर्यटनस्थळे, नकाशे व मार्गदर्शन, प्रवास नियोजन, हॉटेल्स व पर्यटन सेवा, तिकीट आरक्षण, कार्यक्रम, स्थानिक अनुभव, आपत्कालीन संपर्क आणि अभिप्रायाची सुविधा या ॲपमध्ये असेल.

जागतिक पर्यटन दिनाच्या संकल्पनेशी सुसंगत 'महामुनी' एआय चॅटबॉटद्वारे पर्यटकांना जलद, वैयक्तिक आणि बहुभाषिक माहिती मिळू शकते. पर्यटनस्थळे, धार्मिक व आध्यात्मिक स्थळे, पर्यटन सर्किट, प्रवासमार्ग, तिकिटे, निवास, कार्यक्रम आणि स्थानिक अनुभव यांची माहिती देतानाच पर्यटकांची आवड, उपलब्ध वेळ, अंदाजित बजेट आणि प्रवासाचा उद्देश लक्षात घेऊन वैयक्तिक प्रवास नियोजनास मदत केली जाईल.

डिजिटल युगातील आवश्यक कौशल्यांसाठी पर्यटन क्षेत्रातील मनुष्यबळ, स्थानिक उद्योजक, व्यावसायिक आणि सेवा पुरवठादारांसाठी डिजिटल क्षमता-विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. डिजिटल विपणन, समाजमाध्यम व्यवस्थापन, ऑनलाइन बुकिंग, डिजिटल पेमेंट, पर्यटकांशी संवाद, एआय, आशय निर्मिती, सायबर सुरक्षा आणि माहिती-आधारित पर्यटन व्यवस्थापन यांचा त्यात समावेश असेल. मोबाइल ॲप किंवा क्यूआर कोडद्वारे पार्किंगची उपलब्धता तपासणे, योग्य जागा शोधणे व आगाऊ आरक्षण करणे शक्य आहे. उपलब्ध जागांची माहिती रिअल टाइममध्ये अद्ययावत होत असल्याने पर्यटक व भाविकांना प्रवासाचे नियोजन सुलभ होते.

पर्यटनाशी संबंधित परवानग्या, नोंदणी आणि प्रमाणपत्रे अधिक सुलभ व पारदर्शक करण्यासाठी पर्यटन विभागाच्या १० सेवा MAITRI 2.0 पोर्टलवर ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. यात पर्यटन आस्थापनांचे वर्गीकरण प्रमाणपत्र, MSME पर्यटन प्रकल्पांचे पात्रता प्रमाणपत्र, मेगा व अल्ट्रा मेगा पर्यटन प्रकल्पांना मान्यता, साहसी व कारवाँ पर्यटन नोंदणीचा समावेश आहे. व्हिला, अपार्टमेंट, होम स्टे आणि B&B नोंदणीची सुविधाही ऑनलाइन उपलब्ध आहे. पर्यटकांचा अनुभव अधिक सुलभ होतानाच पर्यटन क्षेत्रातील सेवा, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक सहभाग यांना डिजिटल माध्यमातून अधिक सक्षम करण्याची दिशा निश्चित होत आहे.

जगभर

भंगारातून हे दाम्पत्य कमावतं लाखो रुपये!

आपल्याकडील पैसे वाचवण्यासाठी बचत हा उत्तम उपाय वाटतो अनेकांना. कोंड्याचा मांडा करत पै न पै साठवायचा आणि अडीअडचणीला तो वापरायचा अशी अनेकांची जगण्याची रीत असते. पण हीच सवय एखाद्याला श्रीमंतही करते. इंग्लंडमधील डॉर्चेस्टर येथे राहणारे अमीर जार्डन आणि त्याची पत्नी रुथ हे बचतीच्या सवयीतून, लोकांनी फेकून दिलेल्या वस्तू गोळा करून वर्षभरात लाखो रुपये कमावतात.

३९ वर्षांचा जार्डन आधी फायर अलार्म तंत्रज्ञ म्हणून काम करायचा. या कामातून त्याला जेमतेम पैसे मिळायचे. त्यामुळे घरखर्च कसा चालवायचा हा त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न असायचा. त्यातूनच असलेले पैसे जपून खर्च करण्याची सवय त्यांना लागली. या सवयीतूनच त्याला मग पैसे मिळवण्याची एक युक्तीही सुचली.

अनेक दुकानांच्या बाहेर कचरा आणि भंगार म्हणून वस्तू फेकून दिलेल्या असतात. त्या वस्तू दुरुस्त करून वापरता येतील असं त्याला वाटलं. कचऱ्यातून तो एक-एक वस्तू उचलून आणू लागला. नंतर तर हेच त्याचं काम झालं. भंगार वस्तू भंगार नसतेच हा दृष्टिकोन त्याला दिला तो एका कपाटाने. त्याला फर्निचरच्या एका दुकानाबाहेर निरुपयोगी म्हणून टाकून दिलेलं एक कपाट दिसलं. त्याने ते नीट निरखून पाहिलं. तेव्हा त्याला दिसलं की त्या कपाटाचे फक्त काही स्क्रू पडलेले होते. ते कपाट त्याने उचलून आणलं. नंतर त्याला समजलं की एका व्यक्तीने त्याच कपाटाचं नवीन मॉडेल ३३० पौंड (४३ हजारांपेक्षाही जास्त रुपये) मोजून विकत घेतलं होतं. जार्डनने ते उचलून आणलेलं कपाट स्क्रू वगैरे बसवून दुरुस्त केलं आणि तो ते वापरू लागला.

जार्डन आणि रुथ यांनी लोकांनी, दुकानदारांनी टाकून दिलेल्या वस्तू गोळा करणे, त्या दुरुस्त करून स्वतःसाठी वापरण्यासाठी ठेवणे, काही वस्तू विकणे हे काम सुरू केलं. त्यात त्याला एक एक मौल्यवान गोष्टी सापडत गेल्या. या जोडप्याला डम्पस्टर डायव्हिंगमधून १,००० पौंडांचा (१ लाख २९ हजार रुपये) लॅपटॉप , २०० पौंडांची (२५,८५२ रुपये) डिझायनर बॅग, दागिने, फर्निचर, महागड्या घरगुती वस्तू सापडल्या. कचरा म्हणून टाकून दिलेल्या वस्तूंचा शोध घेतला तर हाती खूप काही लागतं हे लक्षात आल्यावर जार्डनने आठवड्यातला एक दिवस खास याच कामासाठी ठेवला. जार्डन या कामातून आता वर्षाला ५०,००० पौंड म्हणजे ६४ लाख ६३ हजार १९० रुपये) कमावतो. कचऱ्यातून संपत्ती शोधण्याचा आपला हा अनुभव इतरांना सांगणं जार्डन आणि रुथ यांना आवश्यक वाटलं. त्यामुळे त्यांनी 'कपल ऑफ डम्पस्टर्स' हे यूट्यूब चॅनेल सुरू केलं.

कचऱ्यातून उचलून आणलेल्या सर्वच वस्तू जार्डन स्वत: वापरतो आणि विकतो असं नाही. तर सापडलेल्या वस्तूंचा उपयोग बघून त्या वापरायच्या, विकायच्या की दान करायच्या हे ठरवतो. जार्डनने आतापर्यंत अनेक गरजू लोकांना, गटांना आणि सामाजिक संस्थांना कचऱ्यातून उचलून आणलेल्या वस्तू, कपडे दुरुस्त करून दान म्हणून दिले आहेत. भंगार सामानातून या दाम्पत्यानं आपलं तर आयुष्य सुधरवलंच, पण अनेकांना त्यांचं आयुष्यही उभारून दिलं..

करनीती

पूर्वजांच्या मालमत्तेवरील कराचे नियम

अर्जुन (काल्पनिक पात्र): वारसांनी पूर्वजांच्या मालमत्तेबाबत कोणते नियम लक्षात ठेवावेत?

कृष्ण (काल्पनिक पात्र): वारसांना आयकराचे नियम माहीत असले, तर मालमत्ता सुखाने वापरता येते.

अर्जुन : वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे काय?

कृष्ण : स्वतःच्या कमाईतून घेतलेली मालमत्ता ही स्वतःची असते. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर ती वारसांना मिळाली की ती वडिलोपार्जित मालमत्ता होते. उदा. वडिलांनी घेतलेले घर मुलाला मिळाले. ही मालमत्ता दोन प्रकारची असते: चल (बँक ठेवी, रोख, शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि अचल (जमीन, प्लॉट, घर).

अर्जुन : ही मालमत्ता वारसांना कशी मिळते?

कृष्ण : १. मृत्युपत्र: मोठ्या मालमत्तेवरून घरात भांडणे होतात आणि कोर्टात केस वर्षानुवर्षे चालते. हे टाळण्यासाठी प्रत्येकाने मृत्युपत्र करावे. त्यात कोणती मालमत्ता कोणाला द्यायची ते लिहावे. नोंदणी केलेले मृत्युपत्र चांगले.

२. वारसा हक्क: मृत्युपत्र नसेल, तर 'हिंदू वारसा कायदा'नुसार सर्व वारसांना समान वाटा मिळतो. मुलीलाही वडिलांच्या मालमत्तेत समान हक्क आहे. मालमत्तेसोबत कर्ज असेल, तर ते वारसांनाच फेडावे लागते.

अर्जुन : वारसांना या मालमत्तेवर कर भरावा लागतो का?

कृष्ण : नाही. आयकर कायदा २०२५ चे कलम ७०(१) (जुन्या १९६१ च्या कायद्याचे कलम ४७-iii) नुसार वारसाने मिळालेल्या मालमत्तेवर कर नाही. पण त्यातून कमाई झाली, तर कर लागतो.

- **उमेश शर्मा**, चार्टर्ड अकाउंटंट

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : janman@lokmat.com

जेन झी

शब्द आणि तालातून उमटणारी समाजाच्या रंगरूपांची प्रतिबिंबं...

नवी रॅप गाणी आज जात, भांडवलशाही, पितृसत्ता आणि दडपशाहीच्या विरोधातल्या आवाजांना आपल्या शब्दांमधून ताकद देत आहेत.

राही श्रु. ग.
सीनिअर रिसर्च फेलो
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ

आपल्या मनातले विचार, भावना, विचारधारा आणि आपल्या स्व-ओळखीच्या अभिव्यक्तीसाठी लोक गाणी ऐकतात आणि ऐकवतात. सोशल मीडियाच्या जगात जगासमोरच्या या अभिव्यक्तीसाठी रोजचा आपला 'मूड', भावना, एखाद्या सामाजिक राजकीय मुद्द्यावरची भूमिकासुद्धा कितीतरी तरुण आपल्या 'स्टोरी'वरच्या गाण्यातून मांडत असतात.

आपण कोण आहोत, आपल्या आवडीनिवडी, आपली ओळख काय, हे सांगण्यासाठी गेली अनेक दशकं 'हिपहॉप' संस्कृतीतून लोक व्यक्त झाले आहेत. अमेरिकेतला वंशवाद, आर्थिक विषमता, शोषण आणि राजकीय हिंसेला उत्तर म्हणून जन्माला आलेली रॅप गाण्यांची परंपरा आज कितीतरी देशांमध्ये निरनिराळ्या रूपात दिसते. १९८०च्या दशकात ही रॅप गाणी भारतात आली आणि हळूहळू इथल्या मातीत त्यांची मुळं खोल खोल जाऊ लागली.

आपल्या लोकगीतांच्या अनेक परंपरांशी रॅपचं नातं आहे. या गाण्यांचा आत्मा म्हणजे शब्द आणि ताल. त्याच्या वेग आणि ठेक्यामुळे रॅप गाणी चावतात आणि मग पिच्छा सोडत नाहीत. या गाण्यांचा जन्म जरी शोषणाला, वर्चस्वाला उत्तर देण्यातून, आंदोलनांमधून झाला असला तरी आता जाहिरातींमध्ये, व्यावसायिक सिनेमांचं विक्रीमूल्य वाढवण्यासाठी, डीजेवर नाचण्यासाठी म्हणून तयार केलेली ही रॅप गाणी सगळीकडे ऐकू येतात. त्यांचा आशयसुद्धा गेल्या तीन-चार दशकांमध्ये बदलत गेला आहे. शोषित समूहांच्या अस्मितेवर झोकात भाष्य करताना 'आमचा नाद करायचा नाही' अशा टोनमधली रॅप गाणी जेव्हा सर्व जातीवर्गातले लोक ऐकू, गाऊ लागतात तेव्हा या गाण्यांचा राजकीय आशय पार खाली डोकं वर पाय, असा होतो.

१९९०च्या दशकात भारतीय भाषांमध्ये रॅप गाणी लिहिली जाऊ लागली आणि २०१०च्या सुरुवातीला यो यो हनी सिंगसारख्या रॅप गायकांनी प्रचंड लोकप्रियता मिळवत रॅप गाण्यांना 'डिस्को गाणी' म्हणूनच प्रसिद्ध करत नेलं. यातल्या बऱ्याच गाण्यांमध्ये पैसा, संपत्तीची जाहिरात, स्त्रियासुद्धा पुरुषांच्या इतर वस्तुंसारखीच मालमत्ता असणं, प्रसिद्धी, दारू, एका आक्रमक पुरुषीपणाबद्दल, व्यभिचाराबद्दल कौतुक असे विषय होते. संपत्ती, चैन, व्यक्तिगत 'सक्सेस' हे रॅपमध्ये इतर देशांमध्येही दिसणारे विषय भारतात आणखीच आक्रमक झालेले दिसले. गेल्या दशकभरात तर हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा प्रचार करणारी गाणीही पुढे आली.

मात्र त्याचवेळी या गेल्या दशकात रॅपची एक वेगळी परंपरासुद्धा आपल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पाहायला मिळाली. वेगवेगळ्या प्रकारच्या सत्तेला आव्हान देणारी रॅप गाणी लिहिली, गायली जाऊ लागली आणि ती वेगाने लोकप्रियसुद्धा होऊ लागली. बेरोजगारी, वर्गाची विषमता, भेदभाव आणि स्थलांतरांवर तरुण रॅप लिहू लागले. यातले बरेचसे रॅप कवी-गायक कष्टकरी वर्गाची पार्श्वभूमी असलेले आहेत. मुंबईतल्या धारावीमधली रॅप संस्कृती यावर गेल्या काही वर्षांत बरंच लिहिलं गेलं. 'गली बॉय' हा चित्रपटही येऊन गेला. आज आपली मराठी जेन झी रॅपर माही जी तिच्या गाण्यांमधून वेगवेगळ्या सामाजिक विषमतांवर परखड भाष्य करते आहे. आसामी, पंजाबी, ओडिया, तेलुगू, तमिळ, कश्मिरी अशी ही नवी रॅप गाणी आज जात, भांडवलशाही, पितृसत्ता, धर्माच्या आधारावर होणारं राजकारण आणि दडपशाहीच्या विरोधातल्या आवाजांना आपल्या शब्दांमधून झोकदार ताकद देत आहेत.

raheeshrutiganesh@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय** : लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय** : वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय** : पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

चिंतन

शांति की चाह, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं

भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है। उसकी विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता यही रही है कि वह शांति और स्थिरता को महत्व देता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को उसकी कीमत नहीं बनने देता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में इसी संतुलन को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत शांति चाहता है। किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता कभी नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि यदि पड़ोसी देश आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा तो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के सभी विकल्प खुले रहेंगे। दरअसल, भारत के सामने चुनौती केवल सीमा की सुरक्षा की नहीं, बल्कि आतंकवाद के उस पूरे तंत्र से निपटने की है जो हिंसा को जन्म देता है। आतंकवाद की फंडिंग, हथियारों की आपूर्ति, कट्टरपंथ, भर्ती और सुरक्षित ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। केवल किसी आतंकी हमले के बाद प्रतिक्रिया देना पर्याप्त नहीं हो सकता। स्थायी शांति के लिए उन परिस्थितियों को भी रोकना होगा जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 'मन की बात' की 138वीं कड़ी में आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख किया। उन्होंने 28-29 सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के दस वर्ष पूरे होने के संदर्भ में कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयरस्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति का स्पष्ट संदेश दिया है। मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य युद्ध को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता, नागरिकों और सीमाओं की रक्षा करना है। जब सीमा पार से हिंसा और आतंकवाद का खतरा बढ़ता है तो बातचीत की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी सुरक्षा को मजबूत रखने के साथ-साथ कूटनीतिक स्तर पर भी संवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के रास्ते खुले रखे। आतंकवाद और वार्ता साथ-साथ नहीं चल सकती है। इसे भी ध्यान रखना होगा। आज की सुरक्षा चुनौतियां भी बदल चुकी हैं। युद्ध केवल सीमा पर आमने-सामने की लड़ाई तक सीमित नहीं है। साइबर हमले, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना युद्ध और अन्य गैर-पारंपरिक माध्यम सुरक्षा के नए आयाम बन चुके हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सैन्य क्षमता के साथ तकनीकी और साइबर क्षमता बढ़ाना भी जरूरी है। रक्षा मंत्री ने बदलते युद्ध के स्वरूप और आधुनिक तकनीक के अनुरूप रक्षा तैयारियों की जरूरत पर जोर दिया है। आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है। इसके वित्तीय नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों को रोकने के लिए देशों के बीच सूचना साझा करना और सहयोग बढ़ाना जरूरी है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शांति को कमजोरी समझने की भूल न हो और सुरक्षा को केवल सैन्य शक्ति तक सीमित न किया जाए। भारत का हित एक ऐसे वातावरण में है जहां सीमाएं सुरक्षित हों, आतंकवाद पर प्रभावी रोक हो, पड़ोसी देशों के साथ तनाव कम हो और विकास की प्रक्रिया बिना बाधा आगे बढ़े। इसलिए शांति की चाह बनी रहनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। संवाद के रास्ते खुले रहें, कूटनीतिक प्रयास जारी रहें और क्षेत्रीय शांति की कोशिश होती रहे, लेकिन देश की सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे।

पुण्य स्मरण

नरेंद्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री

लोक कल्याण के लिए समर्पित 'युगपुरुष'

हम स्वर्गीय अशोक सिंघल का जन्म-शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। यह एक महान विभूति के सम्मान का सुअवसर है। सिंघल जी ने अपने जीवन में हर क्षण इस महान राष्ट्र के उत्कर्ष का ही स्वप्न देखा था। उनके आदर्शों से आज भी हमें ये प्रेरणा मिलती है। उनकी जन्मशती के इस पावन अवसर पर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक से अधिक युवा उनके विराट व्यक्तित्व और महानता से परिचित हों। आइए, हम अपने राष्ट्र और देशवासियों के लिए सिंघल जी के सपनों को साकार करने के संकल्प को एक बार फिर दोहराएं।

एक बहुत सुंदर सुभाषित है- वृक्ष कबहुं नहिं फल भखै, नदी न संचै नीर। परमारथ के कारने, साधुन धरा शरीर।- इसका मतलब है कि पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल अपने पास नहीं रखती। इसी तरह, संत स्वभाव के लोग भी स्वयं को प्राथमिकता न देते हुए, सदैव दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। सदियों से हमारे ऋषियों ने हमें यही सिखाया है कि मानवता के कल्याण के लिए समर्पित जीवन का महत्व व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक होता है। श्रद्धेय अशोक सिंघल का जीवन इस भावना का पुण्य उदाहरण है। हम स्वर्गीय सिंघल जी का जन्म-शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। यह एक महान विभूति के सम्मान का सुअवसर है। उन्होंने आध्यात्मिक साधना, सांस्कृतिक जागरण और दशकों तक समर्पित भाव से समाज एवं संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाया। मैंने उन्हें कई दशकों तक दिन-रात काम करते देखा। वे देश के दूर-दराज के क्षेत्रों की लंबी और कई बार कठिन यात्राएं किया करते थे। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में जाना उन्हें विशेष रूप से प्रिय था।

वे लगातार इस पर चिंतन करते थे कि समाज के वंचित और अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए और क्या किया जा सकता है। जब भी देश में कहीं प्राकृतिक आपदा आती, तो सिंघल जी सबसे पहले वहां पहुंचने वालों में होते या फिर प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते। 2001 में कच्छ में आए भूकंप के बाद उनके साथ का मेरा अनुभव अविस्मरणीय बन गया। अशोक जी अत्यंत प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार से थे। लेकिन, शुरू से ही अशोक जी का झुकाव बिल्कुल अलग दिशा में था। प्रयागराज में पले-बढ़े अशोक जी कई घंटे संगम के तट पर बैठा करते थे। इससे भारत के सांस्कृतिक लोकाचार की उनकी समझ और समृद्ध हुई। समाज के लिए कुछ करने का उनका संकल्प भी और दृढ़ हुआ। दूसरों के लिए जीने की यही ललक उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ले आई। उनको जो भी जिम्मेदारी मिली, उसे उन्होंने पूरे उत्साह, अनुशसन और कर्तव्यभाव से निभाया।

सिंघल जी ने अपने निरंतर प्रयास और अथक परिश्रम से अनेक संस्थाओं और आंदोलनों को मजबूत किया। अपनी ओजस्वी वाणी और अभिव्यक्ति की अद्भुत शैली से वे पूरी सभा को मंत्रमुग्ध कर देते थे। अपने साथी कार्यकर्ताओं के प्रति वे अत्यधिक स्नेह रखते थे। जो भी उनके संपर्क में आता, वह उनकी सादगी से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। संत समाज के साथ उनके संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। देशभर के साधु-संतों के बीच भी उनका काफी सम्मान था। संतगण उनके परामर्श को महत्व देते थे और उनकी बातों को पूरे आदरभाव से सुनते थे। मेरी स्मृति में ऐसी दो घटनाएं उभर रही हैं, जिनसे सिंघल जी के विराट व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। पहली घटना 1993 की है। विश्व हिंदू परिषद ने स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो संबोधन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमेरिका में एक सम्मेलन आयोजित किया था। विदेश में ऐसे भव्य सम्मेलन का विजन, उसकी प्लानिंग और विभिन्न समूहों को एक मंच पर लाने का भगीरथ प्रयास अशोक जी के अद्वितीय संगठनात्मक कौशल का परिचायक था। दूसरी घटना

वर्ष 2000 की है, जब त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन में विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उस समय मैं भी वहीं था। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि सिंघल जी की उपस्थिति ने अन्य प्रतिनिधियों में कितना उत्साह भर दिया था। मेरे संबोधन के बाद उन्होंने जिस तरह मेरी सराहना की, वो मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला अनुभव था।

मैंने एक बार फिर अनुभव किया कि उनका प्रोत्साहन किस तरह हर कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता था। राम जन्मभूमि आंदोलन में सिंघल जी की ऐतिहासिक भूमिका का स्मरण किए बिना उनका कोई भी उल्लेख अधूरा है। वर्ष 1991 की बोट क्लब रैली में दिए गए उनके ओजस्वी संबोधन को कौन भूल सकता है? या आंदोलन के चरम पर लहूलुहान और घायल अवस्था में अशोक जी की वह ऐतिहासिक तस्वीर भला किसकी स्मृति से मिट सकती है? आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर है, तो इसके पीछे अशोक जी जैसी विभूतियों का निस्वार्थ समर्पण है, जिन्होंने इसे संभव बनाने के प्रयास में स्वयं को पूरी तरह खपा दिया। आज यदि अशोक जी हमारे बीच होते तो अयोध्या में राम मंदिर को देखकर वो सबसे अधिक भावुक एवं प्रसन्न होते। सिंघल जी के विचार बहुत सुलझे हुए थे। वे स्पष्ट रूप से मानते थे कि समाज में समरसता के साथ ही भाईचारे का संदेश मजबूत होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक एकता और समानता के लिए निरंतर कार्य किया। उनका साफ मत था कि समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समान गरिमा व सम्मान का अधिकारी है। यही वजह थी कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने को लेकर अपने विचार को स्पष्ट रूप से रखा।

उन्होंने ही कहा था कि यह पुनीत कार्य बिहार के वीएचपी कार्यकर्ता और वंचित वर्ग से आने वाले कामेश्वर चौपाल के हाथों से हो। काशी में एक धर्म संसद के दौरान उन्होंने डोम राजा को सम्मानित करने का फैसला किया और कई सामुदायिक अभियानों में उनके साथ मिलकर काम किया। राष्ट्र-निर्माण के साथ ही सिंघल जी के दो ऐसे प्रिय क्षेत्र थे, जो उनके हृदय के अत्यंत निकट थे। शिक्षा (विशेषकर वैदिक शिक्षा) और संगीत, इन दोनों से उनका गहरा लगाव था। वाराणसी के सांसद के रूप में मुझे इस बात पर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उस शाश्वत काशी ने सिंघल जी के जीवन में एक अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने बीएचयू से शिक्षा प्राप्त की थी और वे एक मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे। वे एकल विद्यालय की पहल से भी गहराई से जुड़े थे, जिसने दूर-दराज के गांवों, खासकर जनजातीय समुदायों तक बुनियादी शिक्षा पहुंचाने का कार्य किया। वे जितने गहरे अध्येता और उत्साही पाठक थे, उतने ही अच्छे श्रोता भी थे। वे युवा कार्यकर्ताओं को सदैव पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। अशोक जी को निकट से जानने वालों को पता है कि वे कितना सुंदर गाते थे। मुझे नागपुर की उन बैठकों की याद आती है, जिसमें वे एकल गीत गाया करते थे। उनका गायन सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था और पूरी बैठक में नई ऊर्जा भर जाती थी।

वर्ष 2015 में उनके 90वें जन्मदिवस समारोह का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने 'हे मातृभूमि मेरी, हे पितृभूमि मेरी' गाकर सभी को चौंका दिया था। सिंघल जी ने अपने जीवन में हर क्षण इस महान राष्ट्र के उत्कर्ष का ही स्वप्न देखा था। उनके आदर्शों से आज भी हमें ये प्रेरणा मिलती है। उनकी जन्मशती के इस पावन अवसर पर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक से अधिक युवा उनके विराट व्यक्तित्व और महानता से परिचित हों। आइए, हम अपने राष्ट्र और देशवासियों के लिए सिंघल जी के सपनों को साकार करने के संकल्प को एक बार फिर दोहराएं।

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

मंथन

राज कुमार सिन्हा

चुनाव आयोग में विवाद से मतदाताओं में टूटता भरोसा

भारतीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद को लेकर आई एक रिपोर्ट के बाद देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, नाम हटाने और बहाल करने, फार्म-6 में बदलाव और मतदाता डेटा के प्रबंधन जैसे मामलों पर सवाल उठाए हैं। दोनों आयुक्तों ने मतदाता डेटा और चुनावी सॉफ्टवेयर के केंद्रीकरण को लेकर भी चिंता जताई थी। सीमा खन्ना चुनाव आयोग में आईटी और डिजिटल सिस्टम की प्रमुख अधिकारी हैं। चुनाव आयोग में विवाद ईसीआईनेट और ईआरओनेट के जरिए मतदाता सूची के प्रबंधन को लेकर है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने सवाल उठाया है कि सीमा खन्ना के नेतृत्व वाले आईटी विभाग ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स (ईआरओएस) की पहुंच और उनके वैधानिक अधिकारों को सीमित कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा में 97 मतदाताओं के मामलों की स्थानीय ईआरओ स्तर पर जांच हुई और उन्हें मतदाता सूची में शामिल किए जाने के योग्य पाया गया। लेकिन संबंधित नामों को अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने में सॉफ्टवेयर और डेटाबेस एक्सेस से जुड़ी समस्या सामने आई। ईआरओ इसे मतदाता सूची सिस्टम में डाल ही नहीं पा रहे थे। गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर ने इस समस्या के समाधान और रोलबैक फैसलिटी उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग को आठ बार ईमेल भेजा था। परन्तु केन्द्रीय चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस मामले में दोनों चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा था। हाल के दिनों में निर्वाचन आयोग को लेकर दो स्तरों पर बहस तेज हुई है। पहला सवाल आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर और दूसरा मतदाता सूचियों के एसआईआर को लेकर है। इसके साथ ही आयोग के भीतर निर्णयों पर मतभेद की खबरों ने भी संस्था की आंतरिक कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर चर्चा को बढ़ाया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो संविधान के अनुच्छेद 324, वैधानिक नियमों और स्थापित संस्थागत परंपराओं के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। जो एक बहुसदस्यीय संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। चुनाव कराने वाली संस्था पर उठते सवाल के कारण उसकी विश्वसनीयता कमजोर हुई है। लोकतंत्र में चुनाव केवल मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है। चुनाव की पूरी व्यवस्था पर नागरिकों का भरोसा लोकतंत्र की वास्तविक ताकत है। दो चुनाव आयुक्तों द्वारा उनकी जानकारी के बिना लिए गए विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर संबंधी निर्णयों पर कई आपत्तियां दर्ज कराई थी। विगत कई वर्षों तक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद द्वारा कोई अलग कानून नहीं बनाया था। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि जब तक संसद इस विषय में कानून नहीं बनाती, तब तक नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर होनी चाहिए। न्यायालय ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना था। इसके बाद संसद ने 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित कानून बनाया। इस कानून में चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। लोकतंत्र में चुनाव कराने वाली संस्था की निष्पक्षता का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की राजनीतिक वैधता दांव पर होती है। यदि किसी चुनाव प्रक्रिया पर समाज के एक बड़े हिस्से का भरोसा कमजोर पड़ता है, तो चुनाव परिणाम संवैधानिक रूप से वैध होने के बावजूद उनकी सार्वजनिक स्वीकार्यता पर बहस शुरू हो सकती है। इसलिए निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता किसी एक दल की सुविधा या किसी दूसरे दल की शिकायत का विषय नहीं होना चाहिए। यह प्रत्येक मतदाता का प्रश्न है, क्योंकि लोकतंत्र की विश्वसनीयता केवल इस बात से तय नहीं होती कि चुनाव समय पर हुआ या परिणाम घोषित हो गया। उसकी बुनियाद इस विश्वास पर टिकी होती है कि हर पात्र नागरिक का वोट दर्ज हो, हर वोट का समान मूल्य हो और चुनाव कराने वाली संस्था किसी राजनीतिक सत्ता से ऊपर संविधान के प्रति जवाबदेह हो। यही विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

प्रेम क्या है?

संकलित

दर्शन

प्रेम कोई क्रिया नहीं है। 'मैं' भी प्रेम है और 'तुम' भी प्रेम हो। प्रेम वह तत्त्व है जिससे हम सब बने हैं। यह एक अवस्था है, कोई कार्य नहीं। जब हम वर्तमान में होते हैं, तब हमारा मन स्वच्छ होता है-न क्रोध, न चिंता, बस प्रेम होता है। छोटे बच्चों को देखो-उनके चेहरे पर कितना निर्मल प्रेम होता है! बच्चे आकर्षक क्यों होते हैं? क्योंकि वे अपने भीतर के प्रेम को बिना किसी अवरोध के बाहर लाने देते हैं। यही कारण है कि यीशु ने कहा था- "जब तक तुम बच्चों जैसे नहीं बनते, तब तक स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए नहीं खुलते।" बच्चे एक पल रोते हैं, और अगले ही पल हँस पड़ते हैं – यह है वर्तमान में जीने की कला। हम सबमें यह क्षमता है लेकिन जैसे-जैसे हम 'बुद्धिमान' होते जाते हैं, हम अपनी मासूमियत खो देते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है-मासूमियत को बनाए रखते हुए ज्ञान में बढ़ना। एक अज्ञानी व्यक्ति मासूम हो सकता है, लेकिन उसकी मासूमियत का कोई मूल्य नहीं होता। एक चतुर व्यक्ति चालाक हो सकता है, पर उसकी बुद्धिमत्ता में करुणा न हो तो वह भी व्यर्थ है। जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है-जब व्यक्ति बुद्धिमान हो, लेकिन फिर भी भीतर से मासूम बना रहे। यह जीवन में बहुमूल्य है। जीवन की सबसे सुंदर अवस्था यह है कि हम बुद्धिमान बनें, पर भीतर से बच्चे जैसे सरल और निष्कलुष बने रहें। आज की भागदौड़ भरी जीवन में हम सब सफल, समझदार, प्रभावशाली बनना चाहते हैं लेकिन इस दौड़ में कहीं हमारी सरलता, सहजता और वह निर्मल मुस्कान पीछे छूट गई है।

लक्ष्मी जी कहां निवास करतीं हैं

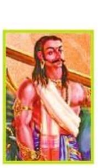

संकलित

प्रेरणा

एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकान्त स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इन्द्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इन्द्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया। साथ ही उन्हें तत्वज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इन्द्र ने पूछा- दैत्यराज! यह स्त्री कौन है? देवी, मानुषी अथवा आसुरी शक्ति में से कौन-सी शक्ति है? राजा बलि बोले- देवराज! ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं हैं। आप स्वयं पूछ लें। इन्द्र के पूछने पर वे शक्ति बोलीं- देवेन्द्र! मुझे न तो दैत्यराज बलि जानते हैं और न ही तुम या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं। जैसे- श्री, लक्ष्मी आदि। इन्द्र बोले- देवी! आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी जी बोलीं- देवेन्द्र! मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता है। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती-जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। अर्थात मैं समयानुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूं। इन्द्र बोले- देवी! आप असुरों के यहां निवास क्यों नहीं करतीं? लक्ष्मी जी बोलीं- देवेन्द्र! मेरा निवास वहीं होता है जहां सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

मतदाता सूचियों में काट छांट कितनी जायज?

विपक्ष और केंद्र सरकार के विरोधी राजनीतिक दल एक बार फिर से एसआईआर के विरोध में उतर आए हैं। कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर हो हल्ला कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी से सवाल है कि जब से देश आजाद हुआ है, तब से अब तक लगभग 70 वर्षों तक कांग्रेस जो जीतती आई है, क्या वो भी चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुआ है? दूसरी चीज अगर किसी का नाम मतदाता सूची में गलत है या किसी के पिता या पति का नाम मिसमैच है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है लेकिन फिर भी उसका नाम मतदाता सूची में है, या कोई कहीं शिफ्ट हो गया है तो क्या ऐसी स्थिति में सुधार नहीं होना चाहिए? हालांकि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना है कि किसी के नाम गलत ढंग से न कटें। - *शंकर चंद्राकर, मुंगेली*

X ट्रेंड

'मैच-फिक्सिंग'

सबसे पहले, ज्ञानेश कुमार - जो उस समय एक कार्यरत आईएएस अधिकारी थे - का इस्तेमाल बीजेपी के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में 'मैच-फिक्सिंग' करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी।

-राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

गर्व का पल

एथलेटिक्स में भारत के लिए एक और गर्व का पल! एशियाई खेल 2026 में महिलाओं की लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतने पर एंसी सोजन एडप्पिली और पुरुषों की डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर तेजस्विन शंकर को बधाई।

- योगी आदित्यनाथ, सीएम, उत्तरप्रदेश

लास्ट-माइल कनेक्टिविटी

DEVI बसों के जरिए, दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उन इलाकों तक पहुंचा रही है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' को आसान, साफ सुथरा और ज्यादा सुलभ बना रही है। बेहतर कनेक्टिविटी वाली दिल्ली का संकल्प।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

चुनाव आयोग

पहले जब भी संवैधानिक संस्थाओं में कोई समस्या आती थी, तो सभी राजनीतिक दल उन्हें सुलझाने के लिए एक सुर में बात करते थे। पहली बार ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां दो चुनाव आयुक्त खुद ही आयोग के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं।

- अशोक गहलोत, पूर्व सीएम, राजस्थान

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

श्रीलंका पुलिस ने जाफना में लिट्टे नेता की प्रतिमा हटाई

श्रीलंका पुलिस ने रविवार को जाफना के नल्लूर में प्रतिबंधित संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के नेता रासैया पार्थिपन उर्फ थिलीपन की प्रतिमा हटा दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता एफ. टी. वूटलर ने बताया कि शिकायत मिली थी कि लिट्टे से जुड़े एक व्यक्ति की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके बाद कांस्य की प्रतिमा हटा दी गई। लिट्टे भारत समेत कई देशों में भी प्रतिबंधित है। थिलीपन के नाम से जाने जाने वाले पार्थिपन को तमिल प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वह श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में अलगाववादी संघर्ष के दौरान लिट्टे के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से एक थे। दस दिन तक अनशन करने के बाद 26 सितंबर, 1987 को उनकी मौत हो गई थी। जाफना के नल्लूर में 18 सितंबर से उनकी याद में एक समारोह शुरू हुआ था। इससे पहले, कार्यक्रम स्थल पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पुलिस की रोक के खिलाफ समारोह में शामिल लोगों ने प्रदर्शन किया था। थिलीपन की मूल प्रतिमा को अतीत में कई बार नुकसान पहुंचाया गया था और इसके लिए सरकारी सैनिकों को जिम्मेदार ठहराया गया था। श्रीलंका ने पहली बार 1998 में लिट्टे पर प्रतिबंध लगाया था।

ऑफ बीट

बायोएक्टिव ही सब्जियों के कड़वे स्वाद का कारण

यह विकास की एक दुर्भाग्यपूर्ण विचित्रता है कि सब्जियाँ हमारे लिए बहुत अच्छी हैं लेकिन वे हम सभी के लिए तुरंत स्वादिष्ट नहीं होती हैं। हम उच्च ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थों के मीठे या उम्दा स्वाद का आनंद लेने के लिए विकसित हुए हैं, क्योंकि भुखमरी दीर्घकालिक स्वास्थ्य की तुलना में अधिक तात्कालिक जोखिम है। सब्जियाँ विशेष रूप से उच्च ऊर्जा वाली नहीं होती हैं, लेकिन वे आहार फाइबर, विटामिन और खनिजों और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले यौगिकों से भरपूर होती हैं जिन्हें बायोएक्टिव कहा जाता है। ये बायोएक्टिव ही सब्जियों के कड़वे स्वाद का कारण बनते हैं। पादप बायोएक्टिव, जिन्हें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, पौधों द्वारा पर्यावरणीय तनाव और शिकारियों से खुद को बचाने के लिए बनाए जाते हैं। वही चीज़ें जो पौधों के खाद्य पदार्थों को कड़वा बनाती हैं, वही चीज़ें उन्हें हमारे लिए अच्छा बनाती हैं। दुर्भाग्य से, कड़वा स्वाद हमें जहरों से और संभवतः एक ही पौधे को अधिक खाने से बचाने के लिए विकसित हुआ, तो एक तरह से, पादप खाद्य पदार्थों का स्वाद जहर जैसा हो सकता है। हममें से कुछ के लिए, यह कड़वी अनुभूति विशेष रूप से तीव्र है, और दूसरों के लिए यह इतनी बुरी नहीं है। यह आंशिक रूप से हमारे जीन के कारण है।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

भारत का जवाब

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के झूठ और बड़बोलेपन का जिस मजबूती और तार्किकता के साथ जवाब दिया है, उससे इस्लामाबाद एवं उसके खैरख्वाहों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नई दिल्ली पाकिस्तान को किसी किस्म की रियायत देने नहीं जा रही है। भारतीय विदेश मंत्री ने उचित ही कहा है कि आतंकवाद के प्रति भारत की 'जीरो टॉलरेंस' की नीति आगे भी जारी रहेगी और सीमा पार की कोई भी सरकार इसे पाल-पोस रही है, तो उसे जवाबदेह ठहराना ही होगा। यह जिम्मेदारी पूरी विश्व बिरादरी की है, क्योंकि दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जयशंकर की इस दलील को भला कोई देश कैसे नकार सकता है कि दोस्ती और दहशतगर्दी साथ-साथ नहीं चल सकती और आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार हर देश को हासिल है? पाकिस्तानी हुक्मरानों को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि वे जब तक आतंकियों को पोसने की अपनी नीति से तौबा नहीं करते, तब तक भारत से उनके रिश्ते बहाल नहीं हो सकते, मगर वे आदतन हर वैश्विक मंच पर नई दिल्ली के खिलाफ विषवमन करते रहते हैं। यह इस्लामाबाद की अदूरदर्शी कूटनीति का ही नतीजा है कि भारत को अपने पड़ोसी देश के खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़े।

जयशंकर के संबोधन से ठीक एक दिन पहले महासभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी वजीरे-आजम ने न सिर्फ कश्मीर के बारे में झूठ का पिटारा खोला, बल्कि प्रकारांतर से भारत को चेतावनी देने का दुस्साहस भी कर डाला कि सिंधु नदी के पानी को रोकने या मोड़ने की कार्रवाई को उनका मुल्क 'युद्ध की कार्रवाई' मानेगा। विडंबना देखिए, जो पाकिस्तान आजादी के बाद हर जंग में मुंह की खाता रहा है, वह अब भी गफलत में जी रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस अंदाज पर सिर्फ तरस खाया जा सकता है। जहां तक कश्मीर का सवाल है, तो शहबाज शरीफ को यह पता होना चाहिए कि झेलम, चिनाब, सिंधु में बहुत पानी बह चुका है। अपने सदाबहार दोस्त चीन की मदद से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में दो से अधिक बार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, मगर हर बार वे नाकाम हुए। पाकिस्तानी वजीरे-आजम ने अपने भाषण में जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप और अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शान में कसीदे पढ़े, उससे उन्होंने अपनी ही हैसियत पर सवालिया निशान लगा लिया।

एस जयशंकर की इस दलील को कोई देश नहीं नकार सकता कि दोस्ती और दहशतगर्दी साथ-साथ नहीं चल सकती। आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा हमारा अधिकार है।

पाकिस्तान के आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं हैं। वहां का आम अवाम भारी महंगाई से आक्रोशित है। दूसरी ओर, पीओके से लेकर बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों तक बगावत के सुर बुलंद हैं। ऐसे में, घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के रहनुमा यही फॉर्मूला आजमाते रहे हैं कि भारत के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया जाए। मगर दुनिया अब पाकिस्तान की दलीलों पर यकीन करने को तैयार नहीं। बेशक बीजिंग और वाशिंगटन अपने रणनीतिक हितों के लिए उसका इस्तेमाल करते रहें, मगर वे भी यह बखूबी जानते हैं कि भारत अपने हितों से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। एस जयशंकर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों से लगातार यह बात कहते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने दुनिया को दोटूक बता दिया है कि भारत अपनी रक्षा करना अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान और उसके नीति-नियंताओं को यह बात जितनी जल्द समझ में आएगी, यह उनके देश के हक में और इस पूरे उप-महाद्वीप के लिए अच्छा होगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 28 सितंबर, 1951

उम्मीदवारों की पसंदगी

कांग्रेस ने आम चुनावों के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस को ये चुनाव भिन्न परिस्थितियों में लड़ने होंगे। अब उसका मार्ग पहले जितना सरल नहीं रह गया है। जब कांग्रेस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, उस समय उसे देश की जनता का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हार्दिक समर्थन प्राप्त था। सरकार के तमाम विरोध, आतंक और भय के बावजूद कांग्रेस की ओर से खड़ा होने वाला कोई भी उम्मीदवार पैसे वाले और योग्य से योग्य उम्मीदवार के मुकाबले भी कामयाब हो जाता था। यह स्वीकार करना होगा कि सत्तारूढ़ होने के बाद कांग्रेस अपनी पुरानी लोकप्रियता को ज्यों का त्यों नहीं रख सकी। कुछ तो आर्थिक परिस्थितियां प्रतिकूल रहीं और कुछ शासन तंत्र लोगों की आशा के अनुकूल कार्यक्षम साबित नहीं हुआ। कांग्रेसजनों के आपसी झगड़ों ने भी कांग्रेस की लोकप्रियता को घटाया। अब कांग्रेस के मुकाबले अनेक पार्टियां मैदान में आ गयी हैं। उनमें से कुछ वामपक्षी दल हैं, जो कांग्रेस से अधिक प्रगतिशील होने का दावा करते हैं और कुछ साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी दल हैं, जो लोगों की धार्मिक और जातीय भावनाओं को भड़काकर मैदान मार लेने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चय ही कांग्रेस को आम चुनावों में विरोधी दलों से जबर्दस्त मुकाबला करना होगा।

देश का शासन तंत्र कांग्रेस के हाथ में है। सत्तारूढ़ दल का समाज में खास असर होता है। कांग्रेस को उसका लाभ मिलेगा। किन्तु कांग्रेस की जीत मुख्यतः इस बात पर निर्भर करेगी कि वह आम लोगों के हृदयों को कितना प्रभावित कर सकती है। सत्तारूढ़ दल को शासनतंत्र का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से चुनावों के समय अपने हक में उपयोग नहीं करना चाहिए। सरकार की घोषणा तो यही है कि शासन तंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की योजना करेगा। केन्द्रीय और इससे अधिक राज्य सरकारों को चुनाव के मामलों में पूर्णतया निष्पक्ष रहना चाहिए और किसी भी पक्ष को सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होने की शिकायत करने का अवसर नहीं देना चाहिए। देश में स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए यह आवश्यक और उचित है कि शासन तंत्र को पार्टीबाजी के दलदल से अछूता रखा जाये। कांग्रेस के सामने सबसे पहला काम यह था कि वह अपने घर की हालत को ठीक करती। कांग्रेस को अपनी शिथिलता को दूर करना था।

राष्ट्र-निर्माण के रामभक्त सेनानी

यहां स्कैन करें

नरेंद्र मोदी | प्रधानमंत्री, भारत

आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर है, तो इसके पीछे अशोक सिंघल जैसी विभूतियों का निःस्वार्थ समर्पण है, जिन्होंने इसके लिए स्वयं को खपा दिया। उनकी जन्मशती पर विशेष :

एक बहुत सुंदर सुभाषित है, *वृक्ष कबहुं नहिं फल भखै, नदी न संचै नीर। परमारथ के कारने, साधुन धरा शरीर।* इसका मतलब है कि पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल अपने पास नहीं रखती। इसी तरह, संत स्वभाव के लोग भी स्वयं को प्राथमिकता न देते हुए, सदैव दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। अपना जीवन लोक-कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। सदियों से हमारे ऋषियों ने हमें यही सिखाया है कि मानवता के कल्याण के लिए समर्पित जीवन का महत्व निजी उपलब्धियों से कहीं अधिक होता है। अशोक सिंघल का जीवन इस भावना का पुण्य उदाहरण है।

रविवार, 27 सितंबर से हम स्वर्गीय अशोक सिंघल का जन्म-शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। यह एक महान विभूति के सम्मान का अवसर है। उन्होंने आध्यात्मिक साधना, सांस्कृतिक जागरण और दशकों तक समर्पित भाव से समाज एवं संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाया। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे उनके साथ लंबे समय तक कार्य करने, उनसे सीखने, संवाद करने और उनका स्नेह प्राप्त करने का अवसर मिला।

मैंने उन्हें कई दशकों तक दिन-रात काम करते देखा है। वह देश के दूर-दराज के क्षेत्रों की लंबी और कई बार कठिन यात्राएं किया करते थे। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में जाना उन्हें विशेष रूप से प्रिय था। वह लगातार इस पर चिंतन करते थे कि समाज के वंचित लोगों के लिए और क्या किया जा सकता है। जब भी देश में कहीं प्राकृतिक आपदा आती, अशोक जी सबसे पहले वहां पहुंचने वालों में होते या फिर प्रभावित लोगों की मदद के लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते। वर्ष 2001 में कच्छ में आए भूकंप के बाद उनके साथ का मेरा अनुभव अविस्मरणीय बन गया।

अशोक जी अत्यंत प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार से थे, लेकिन शुरू से ही उनका झुकाव बिल्कुल अलग दिशा में था। बहुत कम उम्र में ही उनके व्यवहार में दूसरों के प्रति करुणा और सेवा की अद्भुत भावना दिखने लगी थी। प्रयागराज में पले-बढ़े अशोक जी कई घंटे संगम के तट पर बैठा करते थे। नदी के प्रति उनका स्वाभाविक आकर्षण था। वहां आने वाले साधु-संत और श्रद्धालुओं से उनकी बहुत आत्मीयता थी। इससे भारत के सांस्कृतिक लोकाचार की उनकी समझ और समृद्ध हुई। समाज के लिए कुछ करने का उनका संकल्प भी दृढ़ हुआ। दूसरों के लिए जीने की यही ललक उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ले आई। अशोक जी को जो भी जिम्मेदारी मिली, उसे उन्होंने उत्साह, अनुशासन और कर्तव्य-भाव से निभाया।

अपने निरंतर प्रयास और अथक परिश्रम से अशोक जी ने अनेक संस्थाओं और आंदोलनों को मजबूत किया। अपनी अभिव्यक्ति की अद्भुत शैली से वह पूरी सभा को मंत्रमुग्ध कर देते थे। जो भी उनके संपर्क में आता, वह उनकी सादगी से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। संतगण उनके परामर्श को महत्व देते थे और उनकी बातों को पूरे आदर भाव से सुनते थे।

मेरी स्मृति में ऐसी दो घटनाएं उभर रही हैं, जिनसे अशोक जी के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। पहली घटना 1993 की है। विश्व हिंदू परिषद ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो संबोधन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमेरिका में एक सम्मेलन आयोजित किया था। विदेश में ऐसे भव्य सम्मेलन का 'विजन' और विभिन्न समूहों को एक मंच पर लाने का भगीरथ प्रयास उनके अद्वितीय संगठनात्मक कौशल का परिचायक था। दूसरी घटना वर्ष 2000 की है, जब त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन में विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उस समय मैं भी वहीं था। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि अशोक जी की उपस्थिति ने अन्य प्रतिनिधियों में कितना उत्साह भर दिया था।

राम जन्मभूमि आंदोलन में अशोक सिंघल की ऐतिहासिक भूमिका का स्मरण किए बिना उनका कोई भी उल्लेख अधूरा है। वर्ष 1991 की बोट क्लब रैली में दिए गए उनके ओजस्वी संबोधन को कौन भूल सकता है? या आंदोलन के चरम पर लहूलुहान उनकी तस्वीर भला किसकी स्मृति से मिट सकती है? आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर है, तो इसके पीछे अशोक जी जैसी विभूतियों का निःस्वार्थ समर्पण है, जिन्होंने इसे संभव बनाने के प्रयास में स्वयं को पूरी तरह खपा दिया। आज यदि वह हमारे बीच होते, तो राम मंदिर को देखकर सबसे अधिक भावुक और प्रसन्न होते।

अशोक जी के विचार बहुत सुलझे हुए थे। उनका साफ मत था कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समान गरिमा और सम्मान का अधिकारी है। यही वजह थी कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने को लेकर अपने विचार को स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने ही कहा था कि यह पुनीत कार्य बिहार के वीएचपी कार्यकर्ता और वंचित वर्ग से आने वाले कामेश्वर चौपाल के हाथों से हो। काशी में एक धर्म संसद के दौरान उन्होंने डोम राजा को सम्मानित करने का फैसला किया और कई सामुदायिक अभियानों में उनके साथ मिलकर काम किया।

राष्ट्र-निर्माण के साथ ही अशोक जी के दो ऐसे प्रिय क्षेत्र थे, जो उनके हृदय के अत्यंत निकट थे- शिक्षा (विशेषकर वैदिक शिक्षा) और संगीत। इन दोनों से उनका गहरा लगाव था। वाराणसी के सांसद के रूप में मुझे इस बात पर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उस शाश्वत काशी ने अशोक जी के जीवन में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बीएचयू से शिक्षा प्राप्त की थी। वह जितने गहरे अध्येता और उत्साही पाठक थे, उतने ही अच्छे श्रोता भी थे। युवा कार्यकर्ताओं को वह सदैव पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे।

अशोक जी को निकट से जानने वालों को पता है कि वह कितना सुंदर गाते थे। मुझे नागपुर की उन बैठकों की याद आती है, जिनमें वह 'एकल गीत' गाया करते थे। उनका गायन सभी को मुग्ध कर देता था और पूरी बैठक में नई ऊर्जा भर जाती थी। वर्ष 2015 में उनके 90वें जन्मदिवस समारोह का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने *हे मातृभूमि मेरी, हे पितृभूमि मेरी* गाकर सभी को चौंका दिया था।

अशोक सिंघल ने अपने जीवन में हर क्षण इस महान राष्ट्र के उत्कर्ष का स्वप्न देखा था। उनकी जन्मशती के पावन अवसर पर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक से अधिक युवा उनके विराट व्यक्तित्व और महानता से परिचित हों। आइए, हम अपने राष्ट्र के लिए अशोक सिंघल के सपनों को साकार करने के संकल्प को एक बार फिर दोहराएं।

अर्थव्यवस्था के लिए त्योहारी मौसम एक कठिन इम्तिहान

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

अंग्रेजी में 'फेस्टिव सीजन' और हिंदी या भारतीय भाषाओं में त्योहारी मौसम की शुरुआत हो रही है। जन्माष्टमी और गणेश पर्व के साथ जो उत्साह और उमंग का दौर शुरू होता है, वह पितृपक्ष के एक पखवाड़े को छोड़कर नववर्ष ही नहीं, होली तक चलता रहता है। कुछ तो सामाजिक प्रथाएं व आग्रह हैं और कुछ बाजार का रसूख। कोई न कोई बहाना निकलता ही रहता है। जहां बहाना न निकलता हो, वहां माहौल बनाने का ही तो नाम है मार्केटिंग।

यह फेस्टिव सीजन भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार के लिए सबसे जरूरी ईंधन है। रोजमर्रा के जरूरी खर्चे तो इंसान किसी भी तरह से करता ही है, लेकिन जश्न के मौके पर लोग कितना खुलकर खर्च करते हैं, इसी से तय होता है कि अर्थव्यवस्था की आगे की चाल कितनी तेज या हल्की रहेगी। इसीलिए न सिर्फ माल बेचने वाली कंपनियों और व्यापारियों, बल्कि शेयर बाजार और अर्थशास्त्रियों को भी इंतजार रहता है यह देखने का कि इस बार त्योहारी सीजन कैसा रहने वाला है? इस वक्त भारत के तमाम बाजारों में खरीदारी की उम्मीद बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल से लेकर टीवी, मोबाइल, कपड़े और एफएमसीजी तक की कंपनियां बेहतर बिक्री की तैयारी कर रही हैं, पर इसी समय रसोई का हिसाब परेशान करने वाला है- दाल, प्याज, अदरक, लहसुन और खाने-पीने की कई चीजों की कीमतें उछल चुकी हैं। ऊपर से अमेरिका की नए टैरिफ की धमकी और रूस से तेल खरीद पर ट्रंप सरकार का दबाव एक अलग खतरे की घंटी बजा रहे हैं।

क्या हमारी घरेलू मांग अब भी इतनी मजबूत है कि अंतरराष्ट्रीय उठा-पटक के बावजूद वह निवेश और रोजगार को ताकत दे सके?

इस बार त्योहारी सीजन के खासी उम्मीद के साथ शुरू होने के सारे तत्व मौजूद है। अप्रैल से जून के बीच भारत की जीडीपी में 7.8 फीसदी की बढ़त आई। देश-विदेश से आ रहे अनुमानों में इस साल भी देश की तरक्की की रफ्तार खासी तेज रहने की उम्मीद जताई जा रही है। एचएसबीसी का पीएमआई (पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स) भी अर्थव्यवस्था में बढ़त के संकेत दे रहा है। इस बुनियाद पर त्योहारी मौसम से उम्मीद तो बनती है। जीएसटी में पिछले एक साल के दौरान हुई कटौती का असर भी मांग में बढ़ोतरी से दिख रहा है। पिछले अक्तूबर से इस अगस्त तक के 11 महीनों में देश में करीब 2.9 करोड़ गाड़ियां (ऑटोमोबाइल) बिकी हैं। पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी ज्यादा। ओणम, रक्षा बंधन और गणेश चतुर्थी के शुरुआती दौर में ही कई चीजों की बिक्री नए रिकॉर्ड बनाती दिख रही है। इसीलिए कंपनियों को उम्मीद है कि दशहरा और दीपावली तक यह रफ्तार बनी रहेगी।

हालांकि, कुछ बड़े सवाल भी सामने खड़े हो चुके हैं, जिनसे आशंकाएं पैदा हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो महंगाई के मोर्चे पर ही दिख रहा है। डर है कि महंगाई से उपभोक्ताओं के उत्साह पर कहीं पानी न फिर जाए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर 6.13 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 5.64 फीसदी दर्ज की गई है। इनसे भी बड़ी चिंता वाली बात यह है कि रेस्तरां और खान-पान सेवाओं की महंगाई दर 8.41 प्रतिशत तक पहुंच गई है, मतलब बाहर खाना या त्योहारों पर मिठाई-स्नैक्स खरीदना अब बहुत महंगा हो गया है।

मानसून इस बार काफी आंख-मिचौली खेलता रहा है। शुरुआती अनुमान है, सिर्फ ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ही दस हजार एकड़ से ज्यादा फसल प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में, आग में घी डालने का काम कच्चे तेल के दाम भी कर रहे हैं। अगर कच्चे तेल का दाम लंबे समय तक ऊपर रहा, तो देश में और चीजों के महंगा होने का डर हो सकता है। अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दम यही है कि घरेलू मांग और निवेश अंतरराष्ट्रीय झटकों के सामने डटकर खड़े हैं, सवाल यह है कि कब तक घरेलू बाजार अपने दम पर अर्थव्यवस्था को सहारा दे पाएगा? क्या घरेलू मांग अब भी इतनी मजबूत है कि अंतरराष्ट्रीय उठा-पटक के बावजूद वह निवेश और रोजगार को ताकत दे सके? यह त्योहारी मौसम इस बात का इम्तिहान भी होगा।

मौसम की मार के बाद भी गांवों में मांग सुधरती है और शहरों में खपत कम नहीं होती, तब तो त्योहारी मौसम अर्थव्यवस्था के लिए च्यवनप्राश बन सकेगा, पर अगर महंगाई बेकाबू हुई, तो फिर हालात बिगड़ने का भी डर है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

गांधीजी का चरखा ध्यान

शुक्रवार को महात्मा गांधी की जयंती है। अब समय इतना बदल गया है कि साल में सिर्फ एक दिन उनका स्मरण करना काफी लगता है, लेकिन गांधी जैसा व्यक्तित्व किन आध्यात्मिक मूल्यों से बनता है, इसे जानने-समझने की कोशिश सबको करनी चाहिए। एक महान व्यक्ति की महानता छोटी-छोटी बातों में झलकती है। हालांकि, इन छोटी बातों को इतिहास दर्ज नहीं करता, वे तो उसके निकट रहने वाले सहयोगियों के संस्मरणों द्वारा जानी जाती हैं।

यह प्रसिद्ध है कि गांधीजी रोज चरखा कातते थे और अपने कपड़ों के लिए पर्याप्त सूत बना लेते थे। इसके बारे में एक कहानी ओशो कहते हैं। उन दिनों विनोबा जी भी चरखा कातते थे, सो उन्होंने इतनी अच्छी पोनी बनाई कि गांधीजी दंग रह गए। फिर विनोबा जी ने चरखे में काफी सुधार किए और वह सूत भी महीन कातने लगे। यह सब होने के बावजूद विनोबा जी ने एक दिन गांधीजी से पूछा, मैंने चरखे में इतनी अच्छी व्यवस्था कर ली है, लेकिन मेरा धागा टूट-टूट जाता है और आपका धागा खराब पोनी में भी नहीं टूटता। इसकी क्या वजह है?

गांधीजी ने कहा, इसका संबंध चरखे से नहीं, चित्त से है, इसे स्मरण रखना। जब तुम सजगता खो दोगे, तभी धागा टूट जाएगा। धागा बहुत नाजुक होता है, उसे हल्के हाथों से पकड़ना होता है। मन का धागा भी ऐसा ही है, बड़ी जल्दी एकाग्रता टूट जाती है। मान लो, तुम धागे को चला रहे हो, तुम्हारा चित्त कहीं और चला गया, तो धागा टूट जाएगा। मैं अमूर्च्छित होकर कातता हूं। जब कात रहा हूं, तो चित्त में कुछ और विचार ही नहीं है। बस कातने की क्रिया भर के प्रति जागरूकता रह गई है। न चित्त कुछ सोच रहा है; न कोई स्मृति आ रही है; न कोई और भविष्य की कल्पना बन रही है, बस चरखे के उस कतते धागे के अतिरिक्त मेरे चित्त में उस समय कुछ भी नहीं है। सिर्फ धागा कत रहा है और मैं हूं; धागा नीचे जा रहा है और मैं हूं; धागा ऊपर जा रहा है और मैं हूं। मैं केवल एक देखने वाला मात्र रह गया हूं, और धागे की क्रिया चल रही है। क्रिया है बाहर और भीतर है जागरूकता, इसलिए धागा नहीं टूटता। यह बात इतनी गहरी होती चली गई कि बाद में गांधीजी अपने चरखा कातने को प्रार्थना कहने लगे, ध्यान कहने लगे।

सतत जागरूकता आत्म-शक्ति के जागने से आती है। यह सभी के भीतर है, लेकिन कोई उसे जगाता नहीं। यदि इसे जगा दें, तो छोटे से छोटा काम भी आलोकित हो उठेगा।

सवाल यह नहीं है कि आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं, सवाल यह है कि आप अपने भीतर कितने जागरूक हैं? अगर कोई भी काम कर रहे हैं और मन इधर सोच-विचार में डूबा है, तो हाथ यंत्रवत काम करते रहेंगे। ऐसे काम से थकान भी होगी और काम सुघड़ नहीं होगा। सतत जागरूकता आत्म-शक्ति के जागने से आती है। यह सभी के भीतर है, लेकिन कोई उसे जगाता नहीं। यदि इसे जगा दें, तो छोटे से छोटा काम आलोकित हो उठेगा।

अमृत साधना

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

दुनिया को एक ऐसे संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है, जो वैश्विक समस्याओं का सामना करने में पूर्णतः सक्षम हो और विश्व को वैसा बनाने में समर्थ हो, जैसा उसे होना चाहिए।

पहचान-पत्र बनाने में बढ़ रहा उत्पीड़न

यह राष्ट्र-हित में है कि हरेक नागरिक की नागरिकता के संबंध में विभिन्न प्रकार के पहचान-पत्र बनाए जाएं, फिर भी आधार, मतदाता, विवाह, जन्म-मृत्यु, स्थायी निवास, मूल निवास, पासपोर्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक योजनाओं से संबंधित पहचान-पत्रों को बनाने के लिए देश भर में जितने भी संबंधित संस्थान हैं, वे पहचान-पत्रों की हर स्तर पर एकरूपता बनाए रखने के लिए परस्पर समन्वय नहीं बना पा रहे हैं। केंद्रीय एवं प्रादेशिक शासन के अंतर्गत जन सेवा केंद्र तो अवश्य खोले गए हैं, पर अब ये केंद्र भी किसी काम के नहीं रह गए। अब इनको केवल पहचान के लिए प्रस्तावित नाम से लेकर उसके अन्य विवरणों को अपडेट, यानी अद्यतन करके ऑनलाइन अपलोड करने के कार्य-दायित्व तक सीमित कर दिया गया है।

दिक्कत यह है कि जब से आधार प्राधिकरण ने आधार पहचान-पत्र को नागरिकों के बैंक खातों और खातों में सूचीबद्ध मोबाइल नंबर से जोड़ा है, तब से आधार पत्र, मोबाइल नंबर और बैंक खातों में होने वाली किसी भी अनियमितता व त्रुटि के लिए केवल और केवल नागरिकों को दोषी ठहराकर, त्रुटि-निवारण के लिए उनसे तरह-तरह के प्रमाण-पत्र मांगे जा रहे हैं। चाहे पहचान-पत्र में त्रुटियां संबंधित संस्थान अथवा प्राधिकरण के कारण हुई हों, पर उनको ठीक करने के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र धारक नागरिक को ही उपलब्ध कराने पड़ रहे हैं। इस क्रम में सामान्य नागरिकों को अत्यंत कष्ट और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। साफ है, पहचान सिद्ध करने के लिए जटिल कर दी गई शासकीय कार्यप्रणालियों के कारण लोग परेशान हो रहे हैं।

इसके निवारण के लिए एक व्यापक कार्यनीति की आवश्यकता है। संभव हो, तो केंद्रीय शासन को अपने अधीन एक नागरिक प्रलेख एवं प्रमाणन विभाग खोलकर देश के प्रत्येक जनपद में इसके कार्यालय खोलने चाहिए। यह देश में बेरोजगारी कम करने की दिशा में भी एक सही कदम होगा। इन विभागों के कर्मचारी प्रत्येक नागरिक के घर जाकर पूर्व-निर्धारित समुचित शुल्क के भुगतान पर उनका हर प्रकार का पहचान, परिचय एवं नागरिकता पत्र बनाएं। पहचान पत्र बनाने के लिए निर्धारित शर्तों में से अधिसंख्य अथवा किसी शर्त की पूर्ति न होने पर नागरिक को उसे पूरी करने के अवसर दिए जाएं। यदि शासन का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक की नागरिकता प्रमाणित कर देश में मौजूद अवैध लोगों की पहचान उजागर करना है, तो वह ऐसा जरूर करे! मगर इस काम को पूरा करने में जो चुनौतियां हैं, उनको भी दूर करे। लोगों की समस्याओं का हर हाल में निराकरण आवश्यक है।

विकेश कुमार बडोला, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

पहचान-पत्र

आम लोगों के अधिकारों की हो रही रक्षा

डिजिटल शासन के इस दौर में आधार, मतदाता पहचान-पत्र, पैन, राशन कार्ड, आयुष्मान जैसे पहचान-पत्र नागरिक और राज्य के बीच विश्वास का आधार बन चुके हैं। समय-समय पर यह आरोप लगाया जाता है कि इन दस्तावेजों की अनिवार्यता से आम नागरिकों का उत्पीड़न होता है, लेकिन व्यापक दृष्टि से देखें, तो इनका उद्देश्य नागरिकों को सुविधाओं से जोड़ना और फर्जीवाड़ा रोकना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) है। सरकार के अनुसार, तमाम कल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। इससे बिचौलियों की भूमिका घटी है और गैस सब्सिडी, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन व मनरेगा जैसी योजनाओं में वास्तविक लाभार्थियों तक पैसा पहुंचने में पारदर्शिता आई है। यदि पहचान का विश्वसनीय माध्यम न हो, तो फर्जी लाभार्थियों के कारण सरकारी धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गलत हाथों में जा सकता है।

राशन व्यवस्था भी इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' योजना के तहत प्रवासी मजदूर देश के किसी भी राज्य में अपना राशन पा सकते हैं। पहले स्थान बदलने पर राशन का अधिकार लगभग समाप्त हो जाता था, जबकि अब इस पहचान-पत्र ने अधिकार को व्यक्ति से जोड़ दिया है, न कि उसके निवास स्थान से। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत डिजिटल पहचान ने गरीब परिवारों के लिए उपचार को आसान बनाया है। अस्पतालों में मरीज की पहचान और पात्रता का सत्यापन शीघ्र होने से उपचार प्रक्रिया तेज हुई है। इसी प्रकार मतदाता पहचान पत्र लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा करता है और चुनाव में फर्जी मतदान पर अंकुश लगाने का माध्यम बनता है।

न्यायपालिका ने भी इस बाबत संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आधार की वैधता बनी रहेगी, लेकिन उसे हर सेवा के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। अर्थात, समस्या पहचान पत्र में नहीं, बल्कि उसके अनुचित या अत्यधिक प्रयोग में हो सकती है। यह ठीक है कि कभी-कभी दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि या बायोमेट्रिक त्रुटियों के कारण लोगों को असुविधा होती है, पर ऐसी समस्याएं सामान्य खामियां हैं, जिनको दूर किया जा सकता है। सरकार ने आधार अपडेट केंद्र, ऑनलाइन सुधार, मोबाइल सेवा शिविर और दस्तावेज संशोधन जैसी व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिनसे नागरिकों को राहत मिल रही है और वे इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। इस तरह देखें, तो गड़बड़ियां दूर हुई हैं, बढ़ी नहीं हैं।

गणेश कुमार, टिप्पणीकार

खुद से नाराज रहना ठीक नहीं

अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन हर समय खुद को परखते रहना भीतर से थका देता है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी। कुछ सपने पूरे होंगे, तो कुछ अधूरे रह जाएंगे। यह जरूरी है कि खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में हम खुद को स्वीकारना सीखें। दूसरों के साथ जितनी नरमी बरतते हैं, उतनी अपने लिए भी रखें।

मार्क मैनसन
लेखक और ब्लॉगर। आत्म सुधार के गैर पारंपरिक तरीकों पर इनकी किताबें काफी चर्चित हैं।

हम सभी से गलतियां होती हैं। हम सभी के भीतर कुछ ऐसे पहलू होते हैं, जिन्हें हम बदलना चाहते हैं। अपनी किसी कमी पर शर्मिंदगी या किसी फैसले का पछतावा होना सामान्य है। समस्या तब शुरू होती है, जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करने के बजाय, हर समय उनके लिए खुद को कोसते रहते हैं। किसी एक गलती या असफलता के आधार पर खुद को असफल और नाकारा मान लेते हैं। अगर ऐसा है, तो धीरे-धीरे खुद से हमारी यह असंतुष्टि हमारे व्यवहार और रिश्तों पर भी असर डालने लगती है।

खुद के प्रति कठोर होना हमें हमेशा बेहतर नहीं बनाता। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी कमियों को पहचानें, उनसे सीखें। खुद को थोड़ा समय दें। खुद से निराश होने के बावजूद, अपने प्रति सम्मान बनाए रखें।

खुद से नाराजगी क्यों?

भावनाएं हमें संकेत देती हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। खुशी बताती है कि कुछ अच्छा हो रहा है, वहीं दुख, डर या नाराजगी यह संकेत दे सकते हैं कि कहीं कुछ ऐसा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।

खुद से नाराजगी भी एक तरह का संकेत है। हमारे कुछ सपने पूरे नहीं हो पाते। कई बार हम अपनी ही उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। कुछ फैसलों का पछतावा होता है। कभी लगता है कि काश हमने कुछ अलग किया होता।

इन भावनाओं का होना असामान्य नहीं है। परेशानी तब होती है, जब हम इन्हें समझने के बजाय उनसे बचने लगते हैं या इन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। गलती करना और गलती को अपनी पहचान बना लेना, दो अलग बातें हैं।

अपनी नाराजगी को पहचानिए

- आपको बार-बार लगता है कि आप दूसरों से कमतर हैं।
- आपको डर रहता है कि कहीं दूसरों को आपकी कमियां पता न चल जाएं।
- आप दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी जरूरतों को पीछे कर देते हैं।
- अपनी परेशानियों पर ध्यान देने के बजाय खुद को लगातार किसी न किसी काम में व्यस्त रखते हैं।
- तनाव या खालीपन से बचने के लिए खाने, मनोरंजन या तात्कालिक खुशी देने वाली चीजों का सहारा लेते हैं।।
- दूसरों की परेशानियों को समझना या उनके प्रति संवेदनशील रहना मुश्किल लगने लगता है।

इनमें से कुछ बातें अगर आपको अपने भीतर दिखाई देती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। यह अपने बारे में थोड़ा ठहरकर सोचने का संकेत हो सकता है।

खुद से नाराजगी दूर करने के नौ तरीके

1. जरूरत पड़ने पर 'नहीं' कहें : जब हम खुद को कम आंकते हैं, तो दूसरों की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर भी उनकी बातें मान लेते हैं। ऐसे में अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है। उन कामों के लिए मना करें, जो आपके लिए जरूरी नहीं हैं। उन लोगों के लिए सीमा तय करें, जो आपके समय और ऊर्जा का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।

साथ ही खुद को भी नहीं कहना सीखें। हर इच्छा तुरंत पूरी करना या हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं।

2. तात्कालिक सुखों को जीवन का केंद्र न बनाएं : जब हम हर असहज भावना से बचने के लिए तात्कालिक खुशियों का सहारा लेने लगते हैं, तो समस्या बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग गलत खानपान और नशीली चीजों का सेवन भी करने लगते हैं। खुद से पूछें-क्या मैं सच में ऐसा करना चाहता हूं या किसी भावना से बच रहा हूं? आराम व मनोरंजन जरूरी है, पर उन्हें सब कुछ न मानें।

3. अपनी कमजोरियों को छिपाते न रहें : जिन बातों को हम खुद में नापसंद करते हैं, अक्सर उन्हें दूसरों से छिपाते हैं। डर रहता है कि हमारी कमजोरियां सामने आने पर लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। सच यह है कि हर व्यक्ति के भीतर ऐसी असुरक्षाएं होती हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना हमें छोटा नहीं बनाता। इससे रिश्तों में ईमानदारी और भरोसा बढ़ सकता है। हालांकि, अपनी हर निजी बात हर किसी से साझा नहीं करें।

4. दूसरों को और खुद को माफ करना सीखें : माफी का मतलब गलत को सही मानना नहीं है। इसका अर्थ है गलती को स्वीकार कर उसके बोझ से आगे बढ़ना। अपनी गलतियों को समझना, हमें दूसरों की गलतियों के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। अगर हम खुद को हर गलती के लिए दोष देते रहेंगे, तो दूसरों को भी आसानी से माफ नहीं कर पाएंगे। जिन कसौटियों पर हम खुद को परखते हैं, उन्हीं से हम दूसरों को परखेंगे।

5. कभी-कभी बस आराम करें : हर समय व्यस्त रहना जरूरी नहीं। लगातार काम, जिम्मेदारियां और चिंता मन को थका सकती हैं। ऐसे में पर्याप्त नींद लेना, थोड़ा आराम करना या कुछ समय बिना किसी लक्ष्य के बिताना भी जरूरी है। हर समस्या का समाधान तुरंत खोजना जरूरी नहीं। कई बार थोड़ा ठहरने के बाद वही समस्या आसान नजर आने लगती है।

6. खुद को असफल होने की इजाजत दें: खुद से प्यार का मतलब हर काम में सफल होना नहीं है। कुछ फैसले गलत होंगे, कुछ प्रयास अधूरे रहेंगे, लेकिन इन्हीं अनुभवों से सीख मिलती है। किसी एक प्रयास में मिली हार को अपनी पहचान न बनाएं। उसे अपने अनुभव का हिस्सा मानें। अपनी गलतियों से सीखते हुए ही आगे बढ़ा जा सकता है।

7. बड़े सपने देखें, लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनाएं : अच्छी नौकरी, पैसा, पहचान, सफलता या कोई खास रिश्ता हमें खुशी दे सकता है, लेकिन इनके हासिल होने से जिंदगी हमेशा पूरी नहीं हो जाती। कई बार लक्ष्य पाने के बाद भी खालीपन महसूस होता है। तब समझ आता है कि जीवन का अर्थ केवल उपलब्धियों में नहीं है। रिश्तों को समय देना, दूसरों के काम आना और छोटी खुशियों को महसूस करना भी जरूरी है।

8. अपने बारे में अपनी हर राय को सच नहीं मानें : कभी हम खुद को बहुत कमतर समझते हैं, तो कभी अपनी खूबियों को जरूरत से ज्यादा बड़ा करके देखते हैं। दोनों ही आकलन हमेशा सही नहीं होते। मन में आने वाला हर विचार सच नहीं होता। आपको हर समय खुद को साबित करने या असाधारण बनने की भी जरूरत नहीं है।

9. किसी बच्चे की नजर से अपनी जिंदगी को देखें : अपनी किसी बड़ी चिंता या असफलता के बारे में किसी छोटे बच्चे से बात कीजिए। हो सकता है, वह आपकी समस्या पर चर्चा करने के बजाय आपको खेलने के लिए बुला ले। शायद यही हमें याद रखने की जरूरत है कि हम सिर्फ अपनी उपलब्धियों और असफलताओं का जोड़ नहीं हैं। जिंदगी में हंसने, खेलने, जुड़ने और छोटी खुशियों के लिए भी जगह होनी चाहिए।

markmanson.net

विविध

भावनाएं हावी हों तो खुद को कैसे संभालें

हर भावना अपने साथ एक प्रतिक्रिया लेकर आती है। गुस्सा तुरंत जवाब देने के लिए उकसाता है, डर पीछे हटने के लिए और चिंतित मन कुछ अच्छा नहीं सोच पाता। भावनाओं के इस बहाव में हम कई बार बिन सोचे-समझे प्रतिक्रिया दे बैठते हैं। डीबीटी और एसीटी तकनीक के जरिये कैसे भावनात्मक संतुलन बनाएं, आइए जानें -

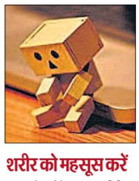

शरीर को महसूस करें

भावना तेज होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकें। खुद से पूछें- मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? शरीर में क्या हो रहा है? दिल तेज धड़क रहा है या पेट में कसाव है? मन में कौन से विचार चल रहे हैं? डीबीटी (डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी) में माइंडफुलनेस के जरिये व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को पहचानने का अभ्यास कराया जाता है।

सूत्र : रुकें, अपने शरीर को महसूस करें, विचारों को पहचानें और फिर प्रतिक्रिया दें।

भावना को नाम दें

सिर्फ यह कहने के बजाय कि 'मैं बहुत परेशान हूं', यह पहचानने की कोशिश करें कि वास्तव में क्या महसूस हो रहा है-गुस्सा, डर, दुख, शर्म, निराशा या चिंता। भावना को सही नाम देने से हम उस स्थिति को थोड़ा ठहरकर देख पाते हैं और विचार तथा वास्तविक घटना के बीच फर्क समझने में मदद मिलती है। उदाहरण-

विचार : 'सब मेरे खिलाफ हैं।'
भावना : डर/अकेलापन।
तथ्य : किसी एक व्यक्ति ने संदेश का जवाब नहीं दिया।

विचार को सच न मानें

किसी ने आपके संदेश का जवाब नहीं दिया, तो मन तुरंत कह सकता है-'वह मुझसे नाराज है।' हालांकि, यह सिर्फ एक संभावना या विचार है। जरूरी नहीं कि सच भी हो। एसीटी में ऐसे विचारों को उनसे दूरी बनाकर देखने का अभ्यास कराया जाता है। मसलन, एक गलती होने पर 'मैं असफल हूं' सोचने के बजाय खुद से कहें- 'मेरे मन में असफल होने का विचार आ रहा है।' इस छोटे से बदलाव से विचार और व्यक्ति के बीच थोड़ी दूरी बनती है। इससे विचार को सच मानकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचते हैं।

स्वयं को स्वीकारें

अप्रिय स्थिति या नाराजगी से बचने के लिए हम कई बार अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। भावना को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकारें। डीबीटी में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है- भावना को पहचानना, तुरंत प्रतिक्रिया देने से रुकना और फिर सोच-समझकर अगला कदम तय करना। अगली बार गुस्सा आए, तो पहले अपने गुस्से को पहचाने और फिर तय करें कि स्थिति में क्या करना आपके लिए उचित होगा।

अपने मूल्यों से जुड़ें

भावना कह सकती है-'बहस करो', तुरंत जवाब दो या 'सब छोड़ दो।' ऐसे समय में खुद से पूछें-'मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है?' तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने मूल स्वभाव और मूल्यों से जुड़ते हुए प्रतिक्रिया दें। उदाहरण के लिए, आपके लिए रिश्ता जरूरी है, तो बहस के बजाय बातचीत चुनें। सम्मान जरूरी है, तो अपमान का जवाब शांति से दें।

भोजन करते समय कुछ और न करें

हाथ में फोन, सामने टीवी और दिमाग में कई तरह के विचार ... क्या भोजन करते समय आपका ध्यान भी कई जगह बंटा रहता है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भोजन भी जल्दबाजी में निपटाया जाने वाला काम बनकर रह गया है। भोजन के जरिये खुद को वर्तमान पल से कैसे जोड़ें, आइए जानें ...

हम अपने ज्यादातर काम बेध्यानी में कर रहे होते हैं। काम कुछ कर रहे होते हैं, मन कहीं और ही उलझा होता है। हम खाने की मेज पर बैठे होते हैं, पर दिमाग दफ्तर की किसी बात में अटका होता है। हाथ में फोन, सामने खाना है और नजर कभी संदेश पर या टीवी पर। कब प्लेट खाली हो जाती है, खाने का स्वाद कैसा था, हमें पूरी तरह कुछ नहीं पता होता। बात केवल भोजन की नहीं है। अपने जीवन के छोटे-बड़े खुशनुमा पलों को हम आधे-अधूरे ढंग से जीते हैं।

हम एक साथ कई काम करते रहने के आदी बनते जा रहे हैं। हार्वर्ड हेल्थ के एक लेख में विशेषज्ञ रोनाल्ड डी. सीगल, वर्तमान से जुड़ने के लिए माइंडफुल ईटिंग का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। इसके लिए खाते समय हम बस खाने पर ध्यान दें। अपनी सभी इंद्रियों से भोजन के रंग, गंध और स्पर्श का अनुभव करते हुए भोजन करें।

ध्यान भटके तो नाराज न हों

माइंडफुलनेस का आशय यह नहीं कि हम अपने विचारों को रोक लें या मन को पूरी तरह खाली कर लें। यह बस इतना ही है कि जब ध्यान भटके, तो हम उसे पहचानकर धीरे से खुद को वर्तमान में वापस ले आएं।

भोजन करते समय हो सकता है कि आपको अचानक किसी पुराने विवाद की याद आ जाए। वहां से ध्यान हटा, तो किसी जरूरी काम को पूरा करने की चिंता सताने लगे या फोन देखने का मन होने लगे। ऐसे में, बस आपको बार-बार खुद को वापस भोजन की ओर लाना है।

एक समय के भोजन से करें शुरुआत

शुरुआत किसी एक समय के भोजन से करें। उस दौरान फोन दूर हो। टीवी या दूसरी स्क्रीन बंद कर दें। भोजन शुरू करने से पहले कुछ क्षण रुकें। भोजन को देखें। उसका रंग और गंध महसूस करें। अब छोटे-छोटे निवाले धीरे-धीरे चबाकर खाएं। बीच-बीच में चम्मच या कांटा नीचे रख दें। कुछ मिनट बाद खुद से पूछें-'क्या अभी भी भूख है?' माइंडफुल ईटिंग से आशय कैलोरी गिनना नहीं है, यह सजग होकर भोजन करने की कला है।

कृतज्ञता का भाव रखें

आज भी बहुत से घरों में भोजन से पहले प्रार्थना की जाती है। परम सत्ता के प्रति आभार जाहिर किया जाता है। अपने भोजन से जुड़ने का एक तरीका और भी है। खाने से पहले कुछ पल ठहरकर यह भी सोच सकते हैं कि यह भोजन हम तक कैसे पहुंचा। इसे उगाने वाले किसान से लेकर इसे तैयार करने वाले व्यक्ति तक, कितने लोगों के श्रम से यह हमारे सामने आया है। इसके लिए किसी औपचारिक प्रार्थना की जरूरत नहीं। मन में कुछ क्षण का आभार भी पर्याप्त है। ऐसा करना, भोजन को केवल पेट भरने की चीज के बजाय जीवन की एक अनमोल देन के रूप में देखने का मौका देता है।

वर्तमान में लौटने का अभ्यास

माइंडफुल ईटिंग का मकसद खाने का तरीका बदलना नहीं है, यह भोजन की प्रक्रिया को अनुभव करना है। यह अभ्यास सिखाता है कि जब मन वर्तमान से दूर चला जाए, तो उसे धीरे से वापस ले आएं। धीरे-धीरे इस अभ्यास को दूसरे कामों पर भी लागू करें। किसी से बात करते समय पूरी तरह उसकी बात सुनना, चलते हुए आसपास की आवाजों पर ध्यान देना- ये सभी वर्तमान में लौटने के छोटे अवसर हैं। अक्सर हमारी जिंदगी बड़े पलों की तलाश में निकल जाती है, जबकि सुकून कई बार उन्हीं साधारण पलों में छिपा होता है, जिन्हें हम बिना महसूस किए पार कर देते हैं।

एकदा

अच्छा-बुरा

चीन की एक प्रसिद्ध लोककथा है। एक बूढ़ा किसान गांव के किनारे रहता था। उसके पास एक घोड़ा था, जिससे वह खेतों में काम करता था और सामान ढोता था। एक दिन अचानक घोड़ा बाड़ तोड़कर जंगल की ओर भाग गया।

यह देखकर पड़ोसी उसके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, 'बहुत बुरा हुआ। अब खेती कैसे करोगे?'

बूढ़े किसान ने शांत स्वर में कहा, 'कौन जानता है, अच्छा हुआ या बुरा?'

कुछ दिनों बाद उसका घोड़ा लौट आया। उसके साथ जंगल के कुछ जंगली घोड़े भी थे। पड़ोसी बोले, 'आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपके पास तो कई घोड़े हो गए।'

किसान ने फिर कहा, 'कौन जानता है, अच्छा हुआ या बुरा?'

कुछ दिन बाद सवारी के दौरान किसान के बेटे को एक जंगली घोड़े ने जोर से पटक दिया और उसके पैर में चोट लग गई।

पड़ोसियों ने कहा, 'कितनी बड़ी मुसीबत आ गई।'

किसान ने फिर वही जवाब दिया। कुछ समय बाद देश में युद्ध छिड़ गया। सेना के अधिकारी के जवान लड़कों को सेना में ले जाने लगे। किसान के बेटे को उसकी चोट के कारण छोड़ दिया गया।

एक बार फिर पड़ोसी उसके पास आए, 'आपका बेटा बच गया। आप भाग्यशाली हैं।'

किसान मुस्कराया और बोला, 'कौन जानता है, यह अच्छा हुआ या बुरा?'

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी रहेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। यात्रा लाभप्रद रहेगी।

वृष : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। मित्र के सहयोग से कारोबार में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता भी बनाए रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर भी बनेंगे। भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्च बढ़ेंगे।

कर्क : आत्मविश्वास भरपूर तो रहेगा, परंतु धैर्यशीलता भी बनाए रखने का प्रयास करें। परिवार का साथ मिलेगा। पढ़ाई के कार्यों में सुधार होगा। सफल रहेंगे।

सिंह : मन परेशान रहेगा। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा।

कन्या : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। कारोबार में लाभ मिलेगा। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। लाभ में बढ़ोतरी होगी।

तुला : आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी के लिए परीक्षा व साक्षात्कारादि कार्यों में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।

वृश्चिक : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। कारोबार में बाधा आ सकती है। भागदौड़ अधिक रहेगी। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है।

धनु : मन परेशान रहेगा। संतान व माता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन बाधित रहेगा। पिता से धन मिल सकता है।

मकर : आत्मसंयत रहें। बेकार के क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलित रहें। लेखनादि कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि होगी।

कुंभ : मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता में कमी रहेगी, परंतु वाणी में मधुरता रहेगी। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार के लिए यात्रा लाभप्रद रहेगी।

मीन : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। पढ़ाई के कार्यों में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

28 सितंबर, सोमवार, **शक संवत्** : 06 आश्विन (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 12 आश्विन मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 16 रबि-उल्सानी, 1448, **विक्रमी संवत्** : आश्विन कृष्ण द्वितीया तिथि सायं 07.14 बजे तक पश्चात तृतीया तिथि, चंद्रमा मीन राशि में प्रातः 10.17 मिनट तक उपरांत मेष राशि में। **सूर्य दक्षिणायन**। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। भद्रा सूर्योदय पूर्व 06.13 मिनट से। पंचक समाप्त प्रातः 10.17 मिनट। द्वितीया का श्राद्ध।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

बिजनेस बढ़ाने के लिए और ऑफिस की एनर्जी सही करने के लिए करें ये उपाय :

- ऑफिस की चारों दीवारों के मध्य में स्वस्तिक लगाएं।
- पूर्व दिशा में कॉपर का, उत्तर में चांदी का, दक्षिण में कॉपर का एवं पश्चिम दिशा में पीतल का स्वास्तिक लगाएं। ऑफिस की उत्तर पूर्व दिशा में एक शंख का चित्र लगाएं।
- ऑफिस की उत्तर दिशा में एक काले रंग की मोमबत्ती जलाएं।
- अपनी टेबल पर प्रतिदिन फ्रेश फ्लॉवर्स रखें। महत्वपूर्ण फाइल्स को दायीं ओर रखें।
- जब भी अपनी कुर्सी पर बैठें, तो कुर्सी को प्रणाम करें और अपने ईश्वर को याद करते हुए कुर्सी पर बैठें।

वर्ग पहेली : 8465

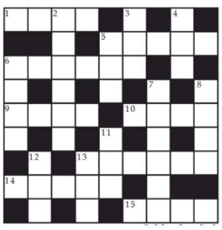

बाएं से दाएं

1. चित्त प्रसन्न करना; बहकाना; भुलावा देना (4)
5. जिसकी तारीफ की जा सके; सराहना के योग्य; प्रशंसनीय (5)
6. सोचना; संकल्प करना; ध्यान करना; मनन करना (3,3)
9. आगे की ओर करना; आगे की ओर बढ़ाना; छितराना; फैलाना (4)
10. पौधा जिसकी जड़ की गांठें दवा, चटनी, अचार आदि के रूप में खाई जाती हैं (4)
13. अवरोध उत्पन्न करना; चलते हुए काम में रुकावट डालना; बाधा डालना; रोकना (3,3)
14. छल प्रपंच रचना; स्वार्थ साधन हेतु कोई युक्ति करना; शतरंज में अपना मोहरा चलना (2,3)
15. एकाएक; बैठे बिठाए; सहसा (4)

ऊपर से नीचे

2. अक्षम करना; कातर करना; बेबस करना; (3,3)
3. बहुत दिनों का; प्राचीन; अप्रचलित, खराब (3)
4. नम्र; विनयी; शिष्ट; सुशील (3)
5. निश्छल; निष्कपट; सच्चा; सहज; आसान (3)
6. इश्तिहार; प्रकाशित की गई सूचना (4)
7. अभ्यास करना; प्रकृति परिवर्तित करना; स्वभाव बदलना (3,3)
8. चकित हो जाना; भ्रमित होना; घूमना (4)
11. सहना; हजम करना; पचाना (3)
12. धीरे-धीरे रगड़ना; मसलना; मालिश करना (3)
13. अप्रिय मालूम होना; चुभना; बुरा लगना (3))

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8464

■	1 व	2 म	न	3 का	र	4 क	■	5 श
6 से	ह	त	■	य	■	सू	■	र्म
■	शि	■	7 वा	र	क	र	वा	ना
8 प्र	या	9 स	■	ता	■	क	■	क
■	10 ना	म	क	■	11 प	र	12 त	■
13 मे	■	झ	■	14 भ	■	15 ना	य	क
16 ल	ह	र	मा	र	ना	■	क	■
म	■	ख	■	स	■	17 त	र	ल
ल	■	18 ना	क	क	ट	वा	ना	■

सुडोकू : 8419

*आसान

		7				9		
2			7		9			8
	3	5	4		1	2	7	
5			3		8			2
1			2		4			7
	6	3	9		2	5	4	
7			1		6			3
		2				7		

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8418

3	7	2	6	4	1	9	5	8
4	1	5	8	7	9	2	3	6
6	9	8	2	5	3	4	7	1
8	6	9	7	2	4	5	1	3
1	3	7	5	9	6	8	2	4
5	2	4	3	1	8	7	6	9
9	5	1	4	6	2	3	8	7
2	4	3	1	8	7	6	9	5
7	8	6	9	3	5	1	4	2

कल्पमेधा

जब तक जीना, तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।

– स्वामी विवेकानंद

भरोसे का संकट

एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि शासन की दिशा तय करने और राष्ट्र निर्माण में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर भी होता है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बेहद जरूरी है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में इस जिम्मेदारी का प्रमुख संस्थागत दायित्व चुनाव आयोग के पास है। मगर जब इस संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली ही संदेह के घेरे में आ जाए, तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आयोग के भीतर मतभेद और असहमति हाल ही में जिस रूप में सामने आई है, उसको लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भरोसे का संकट पैदा हो गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है और सत्तारूढ़ भाजपा बचाव की मुद्रा में है। मगर राजग के कुछ सहयोगी दलों के सुर अब अलग नजर आ रहे हैं। इस सब के बीच यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग खुद आगे आकर तमाम सवालों के संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है!

खबरों के मुताबिक, दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले दस माह में निर्वाचन आयोग के फैसलों पर चौदह बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और फार्म-6 में बदलावों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। हालांकि, यह पहली दफा नहीं है, जब आयोग के भीतर मतभेद सामने आए हैं, लेकिन इस बार असहमति का संबंध सीधे तौर पर मतदाताओं के अधिकार से जुड़ा है। यह विवाद ऐसे वक्त में उजागर हुआ है, जब विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से शनिवार को बयान जारी कर कहा गया कि एसआइआर से जुड़े सभी आदेश आम सहमति से जारी किए गए थे और मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फार्म-6 में किए गए बदलावों को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। इससे पहले विपक्ष ने दावा किया था कि फार्म-6 में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में सवाल यह भी है कि फिर चुनाव आयोग ने क्यों और किस शक्ति का इस्तेमाल करके फार्म-6 में संशोधन किया? मतदाताओं को इसका स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है।

चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ी भाजपा का तर्क है कि विचार-विमर्श के दौरान निर्वाचन आयुक्तों की ओर से अलग-अलग राय व्यक्त करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। मगर यहां सवाल वैचारिक मतभेदों का नहीं, बल्कि नियम-कानूनों से जुड़े प्रावधानों का है। जब कोई निर्णय मतदान के अधिकार से संबंधित हो, तो क्या मतदाताओं को यह जानकारी नहीं होनी चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई? पुनरीक्षण प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लाखों लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया और अब अपीलों पर सुनवाई के दौरान नब्बे फीसद से अधिक मतदाताओं की सूची में बहाली भी कई सवाल खड़े करती है। देश भर में अब तक एसआइआर के तहत तेरह करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। अगर सभी राज्यों में मतदाताओं की बहाली का यही अनुपात रहे, तो क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाएगा? लाखों की संख्या में जो पात्र मतदाता विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार से वंचित रह गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब चुनाव आयोग को ही देना होगा।

नाकामी का सिरा

करीब तीन साल से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद आज भी मणिपुर में जो हालात हैं, उससे यही लगता है कि या तो सरकार को समस्या के समाधान का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है या फिर स्थिति की जटिलता को लेकर शासन-प्रशासन उदासीन है। वरना इतने वक्त में सभी पक्षों को संवाद की मेज पर लाकर कोई सर्वमान्य हल निकालने के बजाय आखिर ऐसा क्यों है कि संकट का स्तर ज्यों का त्यों बना हुआ है। आज भी अलग-अलग जातीय समुदाय कई जगहों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और आए दिन निर्दोष लोगों की जान जा रही है। स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सरकार को एक बार फिर से कुछ इलाकों को छोड़ कर मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित करने की जरूरत पड़ गई। जाहिर है, राज्य में हिंसा पर काबू पाने में शुरुआती लापरवाही का सिरा अब भी कायम है और सरकार एक तरह से लाचार दिख रही है। क्या यह राज्य में कानून-व्यवस्था को संभाल पाने में सरकार की नाकामी का सबूत नहीं है?

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नगालैंड के कुछ जिलों के साथ-साथ मणिपुर में तेरह थाना क्षेत्रों को छोड़ कर समूचे राज्य को फिर से अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब इन इलाकों में एक अक्तूबर के बाद अगले छह महीनों तक यह नियम लागू रहेगा। दूसरी ओर, मणिपुर के कामजोंग जिले में तांगखुल नगा समुदाय के चार लोगों के गोलियों से छलनी शव मिले। दरअसल, मणिपुर में हिंसा के एक जटिल दुश्चक्र में पहुंच जाने की वजह सरकार की वह अनदेखी है, जो सामान्य दिनों में की गई। मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के सवाल पर उपजे विवाद ने कुकी-जो समुदाय के साथ टकराव का रूप ले लिया और मई 2023 में हिंसा की शुरुआत हुई। उससे पहले ही अगर सरकार ने जरूरी सजगता दिखाई होती, तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। आज भी न केवल कुकी-जो और मैतेई समुदायों के बीच हिंसक टकराव जारी है, बल्कि उस हिंसा का विस्तार अन्य समुदायों तक भी हो गया है। सवाल है कि अक्सर सब कुछ ठीक हो जाने का दावा करती केंद्र और राज्य सरकार के भीतर इस समस्या को खत्म करने और टकराव के मोर्चे पर खड़े अलग-अलग पक्षों के बीच संवाद कायम कर एक हल तक पहुंचने की इच्छाशक्ति क्यों नहीं दिखती!

युगपुरुष अशोक सिंघल

अपने निरंतर प्रयास और अथक परिश्रम से अनेक संस्थाओं और आंदोलनों को अशोक सिंघल ने मजबूत किया। अपनी ओजस्वी वाणी और अभिव्यक्ति की अद्भुत शैली से वे पूरी सभा को मंत्रमुग्ध कर देते थे।

नरेंद्र मोदी

जन्म शताब्दी वर्ष

एक बहुत सुंदर सुभाषित है, 'वृक्ष कबहुं नहिं फल भखै, नदी न संचै नीर। परमारथ के कारने, साधुन धरा शरीर।' इसका मतलब है कि पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल अपने पास नहीं रखती। इसी तरह, संत स्वभाव के लोग भी स्वयं को प्राथमिकता ना देते हुए, सदैव दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। सदियों से हमारे ऋषियों ने हमें यही सिखाया है कि मानवता के कल्याण के लिए समर्पित जीवन का महत्त्व व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक होता है। अशोक सिंघल का जीवन इस भावना का पुण्य उदाहरण है।

हम 27 सितंबर से अशोक सिंघल का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। यह एक महान विभूति के सम्मान का सुअवसर है। उन्होंने आध्यात्मिक साधना, सांस्कृतिक जागरण और दशकों तक समर्पित भाव से समाज एवं संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाया।

यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे उनके साथ लंबे समय तक कार्य करने, उनसे सीखने, उनसे संवाद करने और उनका स्नेह प्राप्त करने का अवसर मिला। मुझे 1981 का एक प्रसंग याद आता है। तब मैं एक युवा कार्यकर्ता के तौर पर संगठन की ओर से मिली जिम्मेदारियां निभा रहा था। मुझे उनका एक पत्र मिला। उन्होंने पत्र में एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी दी थी और मुझे कुछ जिम्मेदारियां सौंपी थीं। उस समय अशोक सिंघल से पत्र पाना, मेरे लिए बहुत विशेष और यादगार क्षण बन गया था।

मैंने उन्हें कई दशकों तक दिन-रात काम करते देखा। वे देश के दूर-दराज के क्षेत्रों की लंबी और कई बार कठिन यात्राएं किया करते थे। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में जाना उन्हें विशेष रूप से प्रिय था। वे लगातार यह चिंतन करते थे कि समाज के वंचित और अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए और क्या किया जा सकता है। जब भी देश में कहीं प्राकृतिक आपदा आती, तो वे सबसे पहले वहां पहुंचने वालों में होते या फिर प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते। वर्ष 2001 में कच्छ में आए भूकंप के बाद उनके साथ का मेरा अनुभव अविस्मरणीय बन गया।

वे अत्यंत प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार से थे। उनके पिता महावीर की एक प्रशासक के रूप में पहचान थी। उनके एक भाई बीपी सिंघल पुलिस अधिकारी बने और बाद में संसद सदस्य भी रहे। दूसरे भाई वीपी सिंघल त्रिपुरा के तब मुख्य सचिव बने, जब यह नया राज्य बना था। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी कामर्स और कृषि के क्षेत्र में सफलता हासिल की।

शुरू से ही अशोक सिंघल का झुकाव बिल्कुल अलग दिशा में था। बहुत कम उम्र में ही उनके व्यवहार में दूसरों के प्रति करुणा और सेवा की अद्भुत भावना दिखने लगी थी। वे चाहते थे कि भारत का पुनरुत्थान हो और मां भारती की संतान गौरवशाली उपलब्धियां हासिल करें। प्रयागराज में पले-बढ़े थे। वे कई घंटे संगम के तट पर बैठा करते थे। नदी के प्रति उनका स्वाभाविक आकर्षण था। वहां आने वाले साधु-संत और श्रद्धालुओं से भी उनकी बहुत आत्मीयता थी। इससे भारत के सांस्कृतिक लोकाचार की उनकी समझ और समृद्ध हुई। समाज के लिए कुछ करने का उनका संकल्प भी और दृढ़ हुआ। दूसरों के लिए जीने की यही ललक उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ले आई। उनको जो भी जिम्मेदारी मिली, उसे उन्होंने पूरे उत्साह, अनुशासन और कर्तव्यभाव से निभाया। अशोक सिंघल ने अपने निरंतर प्रयास और अथक परिश्रम से अनेक संस्थाओं और आंदोलनों को मजबूत किया। अपनी ओजस्वी वाणी और अभिव्यक्ति की अद्भुत शैली से वे पूरी सभा को मंत्रमुग्ध कर देते थे। अपने साथी कार्यकर्ताओं के प्रति वे अत्यधिक स्नेह रखते थे। जो भी उनके संपर्क में आता, वह उनकी सादगी से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। संत समाज के

> अशोक सिंघल के विचार बहुत सुलझे हुए थे। वे स्पष्ट रूप से मानते थे कि समाज में समरसता के साथ ही भाईचारे का संदेश मजबूत होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक एकता और समानता के लिए निरंतर कार्य किया। उनका साफ मत था कि समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समान गरिमा व सम्मान का अधिकारी है। यही वजह थी कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने को लेकर अपने विचार को स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने ही कहा था कि यह पुनीत कार्य बिहार के विहिप कार्यकर्ता और वंचित वर्ग से आने वाले कामेश्वर चौपाल के हाथों से हो। काशी में एक धर्म संसद के दौरान उन्होंने डोम राजा को सम्मानित करने का फैसला किया और कई सामुदायिक अभियानों में उनके साथ मिलकर काम किया।

साथ उनके संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। देश भर के साधु-संतों के बीच उनका काफी सम्मान था। संतगण उनके परामर्श को महत्त्व देते थे और उनकी बातों को आदरभाव से सुनते थे।

मेरी स्मृति में ऐसी दो घटनाएं उभर रही हैं, जिनसे अशोक सिंघल के विराट व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। पहली घटना 1993 की है। विश्व हिंदू परिषद ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो संबोधन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमेरिका में एक सम्मेलन आयोजित किया था। विदेश में ऐसे भव्य सम्मेलन का विजन, उसकी प्लानिंग और विभिन्न समूहों को एक मंच पर लाने का भगीरथ प्रयास अशोक सिंघल के अद्वितीय संगठनात्मक कौशल का परिचायक था।

दूसरी घटना वर्ष 2000 की है, जब त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट आफ स्पेन में विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तब मैं भी वहीं था। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि अशोक सिंघल की उपस्थिति ने अन्य प्रतिनिधियों में कितना उत्साह भर दिया था। मेरे संबोधन के बाद उन्होंने जिस तरह मेरी सराहना की, वह मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला अनुभव था। मैंने एक बार फिर अनुभव किया कि उनका प्रोत्साहन किस तरह हर कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता था।

राम जन्मभूमि आंदोलन में अशोक सिंघल की ऐतिहासिक भूमिका का स्मरण किए बिना उनका कोई भी उल्लेख अधूरा है। वर्ष 1991 की बोट क्लब रैली में दिए गए उनके ओजस्वी संबोधन को कौन भूल सकता है? या आंदोलन के चरम पर लहूलुहान और घायल अवस्था में अशोक सिंघल की वह ऐतिहासिक तस्वीर भला किसकी स्मृति से मिट सकती है? आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर है तो इसके पीछे उनके जैसी विभूतियों का निस्वार्थ समर्पण है, जिन्होंने इसे संभव बनाने के प्रयास में स्वयं को पूरी तरह खपा दिया। आज यदि वे हमारे बीच होते तो अयोध्या में राम मंदिर को देखकर वो सबसे अधिक भावुक एवं प्रसन्न होते।

अशोक सिंघल के विचार बहुत सुलझे हुए थे। वे स्पष्ट रूप से मानते थे कि समाज में समरसता के साथ ही भाईचारे का संदेश मजबूत होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक एकता और समानता के लिए निरंतर कार्य किया। उनका साफ मत था कि समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समान गरिमा व सम्मान का अधिकारी है। यही वजह थी कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने को लेकर अपने विचार को स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने ही कहा था कि यह पुनीत कार्य बिहार के विहिप कार्यकर्ता और वंचित वर्ग से आने वाले कामेश्वर चौपाल के हाथों से हो। काशी में एक धर्म संसद के दौरान उन्होंने डोम राजा को सम्मानित करने का फैसला किया और कई सामुदायिक अभियानों में उनके साथ मिलकर काम किया।

राष्ट्र-निर्माण के साथ ही अशोक सिंघल के दो ऐसे प्रिय क्षेत्र थे, जो उनके हृदय के अत्यंत निकट थे। शिक्षा (विशेषकर वैदिक शिक्षा) और संगीत, इन दोनों से उनका गहरा लगाव था। वाराणसी के सांसद के रूप में मुझे इस बात पर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उस शाश्वत काशी ने अशोक सिंघल के जीवन में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बीएचयू से शिक्षा प्राप्त की थी और वे एक मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे। वे एकल विद्यालय की पहल से भी गहराई से जुड़े थे, जिसने दूर-दराज के गांवों, खासकर जनजातीय समुदायों तक बुनियादी शिक्षा पहुंचाने का कार्य किया। वे जितने गहरे अध्येता और उत्साही पाठक थे, उतने ही अच्छे श्रोता भी थे। वे युवा कार्यकर्ताओं को सदैव पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे।

उन्हें निकट से जानने वालों को पता है कि वे कितना सुंदर गाते थे। मुझे नागपुर की उन बैठकों की याद आती है, जिसमें वे 'एकल गीत' गाया करते थे। उनका गायन सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था और पूरी बैठक में नई ऊर्जा भर जाती थी। वर्ष 2015 में उनके 90वें जन्मदिवस समारोह का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने 'हे मातृभूमि मेरी, हे पितृभूमि मेरी' गाकर सभी को चौंका दिया था।

अशोक सिंघल ने अपने जीवन में हर क्षण इस महान राष्ट्र के उत्कर्ष का ही स्वप्न देखा था। उनके आदर्शों से आज भी हमें ये प्रेरणा मिलती है। उनकी जन्मशती के इस पावन अवसर पर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक से अधिक युवा उनके विराट व्यक्तित्व और महानता से परिचित हों। आइए, हम अपने राष्ट्र और देशवासियों के लिए अशोक सिंघल के सपनों को साकार करने के संकल्प को फिर दोहराएं।

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

इंतजार की अर्थव्यवस्था

अमित कुमार

दुनिया मेरे आगे

किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे मूल्यवान पूंजी केवल धन, प्राकृतिक संसाधन या बुनियादी ढांचा नहीं होती। उससे भी अधिक मूल्यवान संसाधन उसके नागरिकों का समय होता है। धन की भरपाई की जा सकती है, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसके बावजूद भारत में सार्वजनिक नीति पर होने वाली बहसों में नागरिकों के समय की आर्थिक कीमत शायद ही कभी चर्चा का विषय बनती है। सरकारी अस्पतालों की कतारें, प्रशासनिक कार्यालयों के अंतहीन चक्कर, सार्वजनिक परिवहन का अनिश्चित इंतजार और साधारण सरकारी सेवाओं के लिए घंटों की प्रतीक्षा हमारे दैनिक जीवन का सामान्य अनुभव बन चुके हैं। इस सामान्यीकरण ने एक गहरी आर्थिक समस्या को लगभग अदृश्य बना दिया है।

अर्थशास्त्री गैरी बेकर के मुताबिक, प्रत्येक घंटे की अपनी अवसर लागत होती है। अगर करोड़ों नागरिक प्रतिदिन कार्यस्थल, व्यवसाय, शिक्षा या घरेलू उत्पादक गतिविधियों से समय निकालकर केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, तो अर्थव्यवस्था प्रतिदिन लाखों उत्पादक श्रम-घंटे खो देती है। इस क्षति का उल्लेख न तो बजट दस्तावेजों में मिलता है और न ही आर्थिक विकास के आंकड़ों में, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक और स्थायी होता है।

अर्थशास्त्र में पूंजी के निष्क्रिय पड़े रहने को अक्षमता माना जाता है। यही सिद्धांत नागरिकों के समय पर भी लागू होता है। जिस प्रकार बंद पड़ा कारखाना उत्पादन घटाता है, उसी प्रकार अनावश्यक प्रतीक्षा में फंसे करोड़ों लोग राष्ट्रीय उत्पादकता को कम करते हैं। दिहाड़ी मजदूर की एक दिन की आय समाप्त हो जाती है। छोटा व्यापारी अपनी दुकान देर से खोलता है। स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति ग्राहकों से दूर रहता है। वेतनभोगी कर्मचारी अवकाश लेने को विवश होता है। विद्यार्थी पढ़ाई का समय खो देते हैं। प्रतीक्षा का आर्थिक प्रभाव व्यक्तिगत स्तर से आगे बढ़कर श्रम बाजार और राष्ट्रीय आय तक पहुंचता है। प्रतीक्षा सामाजिक असमानता का भी एक स्वरूप है। आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति निजी अस्पताल, भुगतान आधारित सेवाएं, पेशेवर एजंट या डिजिटल सहायता के माध्यम से समय खरीद लेते हैं। सीमित आय वाले परिवारों के पास यह विकल्प नहीं होता। गरीब परिवारों के लिए समय दुर्लभ संपत्ति है। जीविका और सरकारी सेवाओं के बीच संतुलन बनाना उनके लिए निरंतर संघर्ष का विषय रहता है। इसी कारण कई विद्वान प्रतीक्षा को 'टाइम टैक्स' कहते हैं। इसका भुगतान सबसे अधिक वही लोग करते हैं, जिनकी आय सबसे कम होती है।

> प्रतीक्षा सामाजिक असमानता का भी एक स्वरूप है। आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति निजी अस्पताल, भुगतान आधारित सेवाएं, पेशेवर एजंट या डिजिटल सहायता के माध्यम से समय खरीद लेते हैं। सीमित आय वाले परिवारों के पास यह विकल्प नहीं होता। गरीब परिवारों के लिए समय स्वयं एक दुर्लभ संपत्ति है।

इसका एक लैंगिक आयाम भी है। परिवार के बच्चों, बुजुर्गों और बीमार सदस्यों को अस्पताल, राशन की दुकान या सरकारी कार्यालय ले जाने की जिम्मेदारी प्रायः महिलाओं पर आती है। प्रतीक्षा का प्रत्येक अतिरिक्त घंटा उनके अवैतनिक देखभाल कार्य को बढ़ाता है। परिणामस्वरूप शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और औपचारिक श्रम बाजार में उनकी भागीदारी प्रभावित होती है। समय का असमान वितरण आर्थिक असमानता को और गहरा कर देता है।

व्यावहारिक अर्थशास्त्र इस समस्या को एक अलग दृष्टि से देखता है। लोग केवल उपलब्ध सेवाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि उस प्रक्रिया की अनुमानित कठिनाई को भी ध्यान में रखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को विश्वास हो जाए कि सरकारी अस्पताल में पूरा दिन लग जाएगा, तो वह उपचार टाल सकता है। किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, तो पात्र नागरिक भी आवेदन करने से बच सकते हैं। इस तरह प्रतीक्षा सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को भी सीमित कर देती है।

यह प्रश्न लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता से भी जुड़ा है। नागरिक जब बार-बार अस्पष्ट प्रक्रियाओं और प्रशासनिक विलंब का सामना करते हैं, तब सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति उनका विश्वास धीरे-धीरे कम होने लगता है। सार्वजनिक विश्वास किसी भी अर्थव्यवस्था की अदृश्य पूंजी होता है। संस्थाओं पर भरोसा जितना अधिक होता है, नीतियों का अनुपालन उतना सहज होता है और शासन की लागत भी उतनी कम रहती है।

एस्टोनिया, सिंगापुर इत्यादि देशों में प्रशासनिक सफलता का एक महत्त्वपूर्ण पैमाना यह है कि किसी व्यक्ति को अपना वैध कार्य पूरा करने में कितनी कम ऊर्जा और कितना कम समय व्यय करना पड़ता है। भारत को भी समय को सार्वजनिक संसाधन के रूप में स्वीकार करना होगा। आर्थिक प्रगति की चर्चा तब तक अधूरी रहेगी, जब तक नागरिकों के समय को भी राष्ट्रीय संपदा के रूप में महत्त्व नहीं दिया जाएगा।

अधिकारों का सवाल

चुनाव आयोग को लेकर देश की राजनीति में फिर टकराव होता दिखाई दे रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कथित गड़बड़ियों और मतदाता अधिकारों से जुड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य होने का दावा किया है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया को कानून और निर्धारित नियमों के अनुरूप होने की बात कहता रहा है। ऐसे में इस विवाद को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़ाकर तथ्यों और प्रमाणों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव जनता के विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर उठने वाले प्रत्येक सवाल को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन गंभीर आरोपों के साथ ठोस प्रमाण भी सामने आने चाहिए। विपक्ष को अपनी आपत्तियां संस्थागत प्रक्रिया के भीतर प्रमाणों के साथ रखना चाहिए और आयोग को भी उठ रहे सवालों का स्पष्ट,और विश्वसनीय उत्तर देना चाहिए।

– कांतिलाल मांडोत, लखनऊ

साख का संकट

निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में उसके भीतर मतभेदों की खबरें स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा करती हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले दस महीनों में आयोग के फैसलों और प्रक्रियाओं पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। ये आपत्तियां मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने, फार्म-6 में बदलाव और चुनावी आंकड़ों तक पहुंच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ी हैं। आयोग ने इन खबरों पर कहा है कि अलग-अलग राय संस्थागत विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं और पिछले एक वर्ष में उसके सभी निर्णय पूर्ण आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। फिर भी लोकतांत्रिक संस्था के लिए केवल निर्णयों की वैधता पर्याप्त नहीं, निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही भी जरूरी है।

-प्रसिद्ध यादव, फुलवारीशरीफ, पटना

जानलेवा विकास

'हादसों की सड़क' (संपादकीय, 25 सितंबर) पढ़ा। इसमें जिन कमियों को उजागर किया गया है, वास्तव में वह सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार है। सड़क विकास का प्रतीक है लेकिन अगर सफर में सुरक्षा न हो तो यही विकास जानलेवा साबित हो जाता है। हाल ही में यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए हादसे ने एक बार फिर सड़क यातायात प्रबंधन और लापरवाही की गंभीर तस्वीर पेश की है। बस में आग लगने का संदेह जताने के बावजूद चालक द्वारा यात्रियों की चेतावनी को नजरअंदाज करना संवेदनहीनता को दर्शाता है। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि एक ही वाहन के दस्तावेज अलग-अलग राज्यों से जारी थे फिर भी वह बिना किसी रोक-टोक के सड़कों पर दौड़ रहा था। यह प्रशासनिक निगरानी और आरटीओ व्यवस्था में मौजूद बड़ी कमियों को उजागर करता है।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

न्याय का दायरा

खाद्य सुरक्षा के नाम पर मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, लेकिन यह कार्रवाई कानून, प्रक्रिया और न्याय के दायरे में होनी चाहिए। इंदौर में गोदाम से मूंगफली तेल और कच्ची घानी सरसों तेल के नौ नमूने लेकर 10,500 लीटर तेल जब्त किया गया। दूसरे कारोबारी से दो नमूने लिए गए। यदि नमूने मानकों पर खरे उतरते हैं, तो कारोबारी को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

– विभुति बुपकिया, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

धर्म दीक्षा
जनसत्ता | 28 सितंबर 2026

व्रत त्योहार

28 सितंबर : द्वितीया श्राद्ध, अशून्य शयन व्रत।
02 अक्तूबर : गांधी जयंती।
03 अक्तूबर : अष्टमी श्राद्ध, जीवित्पुत्रिका (जितिया) व्रत।
04 अक्तूबर : नवमी श्राद्ध।
06 अक्तूबर : इंदिरा एकादशी व्रत।
08 अक्तूबर : गुरु प्रदोष व्रत।
10 अक्तूबर : महालया पितृ पक्ष का समापन।
11 अक्तूबर : शारदीय नवरात्रि प्रारंभ / घटस्थापना।

पूर्वजों की पदचाप सुनने का पर्व है पितृपक्ष

शास्त्री कोसलेन्द्रदास

मनुष्य असंख्य पीढ़ियों से प्राप्त जीवन, संस्कार और संस्कृति का उत्तराधिकारी है। उसके अस्तित्व में पूर्वजों की देहधारा से बहकर आया प्राण प्रवाहित है। इसी बोध से पितरों की पूजा करने की वह उदात्त वैदिक व पौराणिक संकल्पना उदित हुई, जिसमें श्रद्धा, कृतज्ञता, स्मृति और दायित्व एकाकार होते हैं। अतिप्राचीन शास्त्र परंपरा के अनुसार मनुष्य तीन ऋणों के साथ ही जन्म लेता है। ये हैं – ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पितृ-ऋण। ज्ञान और अध्ययन से ऋषि-ऋण, यज्ञादि से देव-ऋण तथा संतानोत्पत्ति से पितृ-ऋण से उऋण होने की भावना रही है। संतान केवल वंशवृद्धि नहीं, जीवन की अविच्छिन्न कड़ी का संरक्षण है। यज्ञ में पति का साथ देकर वह देव-ऋण को चुकाने में सहभागी होती है। संतान को जन्म देकर वंश-परंपरा को आगे बढ़ाती है। वंश परंपरा द्वारा पितरों के स्मरण और उनके पूजन का अनुष्ठान किया जाता है।

पितृयज्ञ से श्राद्ध की परंपरा

पितृ-ऋण की चेतना श्राद्ध तर्पण आने पर मूर्त होती है। इसमें पितरों के निमित्त जल, अन्न आदि का श्रद्धापूर्वक अर्पण होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों के सम्मान में श्राद्ध संपन्न होते हैं। इनमें मुख्यतः तीन पीढ़ियों पिता, दादा और परदादा के साथ ही माता, दादी और परदादी का स्मरण होता है और उन्हें जलांजलि दी जाती है। वहीं, मातृपक्ष के पूर्वजों यानी नाना और नानी के साथ ही परनाना और परनानी के लिए भी श्राद्ध करने का उल्लेख शास्त्रों में है। पितृ शब्द का अर्थ केवल पिता नहीं है। शास्त्रों में पितर शब्द निकटवर्ती मृत पूर्वजों के साथ-साथ मानव-परंपरा के आदिपूर्वजों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, जो विशिष्ट लोक में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार पितरों की अवधारणा परिवार की सीमा लांघकर समूची पूर्वज-परंपरा को अपने भीतर समेटती है।

पितर हैं वसु, रुद्र और आदित्य

मनु और याज्ञवल्क्य ने पितरों को दैवी व्यवस्था से संबद्ध किया है। पिता, पितामह और प्रपितामह वसु, रुद्र और आदित्य के स्वरूप हैं। श्राद्ध केवल किसी मृत व्यक्ति के निमित्त अन्न या जल अर्पित करने का बाह्य कर्म नहीं है। उसके पीछे धारणा है कि पितरों के दैवी अधिष्ठाता अर्पित पदार्थ से संतुष्ट होकर पितरों की तृप्ति का माध्यम बनते हैं और श्राद्धकर्ता को आयु, संतति, संपत्ति तथा कल्याण के फल प्रदान करते हैं।

शास्त्रों में श्राद्ध की महिमा

नंद पंडित के श्राद्धकल्पलता ग्रंथ में श्राद्ध के औचित्य पर उठने वाली आपत्तियों का विस्तारपूर्वक समाधान है। वहां प्रश्न किया गया है कि यदि मृत व्यक्ति अपने कर्मानुसार किसी अन्य लोक में चला गया अथवा पुनर्जन्म प्राप्त कर चुका हो तो उसके निमित्त किया गया श्राद्ध उसे कैसे प्राप्त होगा? नंद पंडित की मीमांसा में श्राद्ध का संबंध केवल उस लौकिक शरीर से नहीं माना गया है, जो कभी किसी नाम से जाना जाता था। पितृकर्म में पूर्वज और उनके दैवी अधिष्ठाता दोनों की संकल्पना है। अधिष्ठाता देवता श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितरों की तृप्ति का माध्यम बनते हैं। इस प्रकार श्राद्ध का विधान दृश्य और अदृश्य, लौकिक और पारलौकिक के बीच एक सूक्ष्म सेतु की रचना है।

पितरों तक पहुंचता है तर्पण

मार्कंडेय पुराण श्राद्ध में अर्पित अन्न के पितरों तक पहुंचने की बात एक अत्यंत मार्मिक उपमा से समझाता है। जैसे असंख्य गायों के बीच बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है, वैसे ही श्राद्ध में अर्पित पदार्थ अपने नियत पितरों तक पहुंचते हैं। इस उपमा में उस प्राचीन विश्वास की झलक मिलती है कि श्रद्धापूर्वक किया गया अर्पण अपने नियत आध्यात्मिक गंतव्य तक अवश्य पहुंचता है। शतपथ-ब्राह्मण में पितरों और देवताओं के स्वरूप का एक मनोहर अंतर मिलता है। पितरों के लिए प्रत्येक मास के अंत अर्थात अमावस्या में भोजन की व्यवस्था कही गई है और चंद्रमा को उनका प्रकाश माना गया है। देवताओं के लिए स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा बोला जाता है। ऋग्वेद में पितरों का स्वरूप केवल मृत्यु से संबद्ध नहीं है। उनसे सौमनस्य, आनंद, संपत्ति और संतति की कामना की गई है।

परंपरा

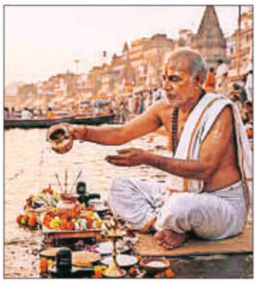

अतीत के प्रति कृतज्ञता

पूर्वज पूजा को केवल कर्मकांड मान लेना उसके गहन सांस्कृतिक आशय को सीमित कर देना होगा। यह उन बुजुर्गों का स्मरण है, जिनसे हमें जीवन और संस्कृति मिली है। यह अतीत के प्रति कृतज्ञता का संस्कार है। पितृपक्ष इसी स्मृति को सामूहिक रूप देता है। जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का नाम लेकर उन्हें जल और अन्न अर्पित करता है, तब वह केवल दिवंगत व्यक्ति का स्मरण नहीं करता। वह अपने अस्तित्व की जड़ों का स्पर्श करता है। स्मृति के उस क्षण में मनुष्य अपने अतीत से संवाद करता है। पितृपक्ष मृत्यु का नहीं, स्मृति का पर्व है। विस्मरण का नहीं, कृतज्ञता का संस्कार है। यह बताता है कि हम जहां खड़े हैं, वहां तक अकेले नहीं पहुंचे हैं। हमारे पीछे अनगिनत जीवनों की पदचाप है।

राम ने पिता की मुक्ति को हरिद्वार के गंगा तट पर किया था श्राद्ध कर्म

सुनील दत्त पांडेय

पितृ पक्ष 26 सितंबर से शुरू हो गया है जो 10 अक्तूबर तक चलेगा। पितृ पक्ष में हम अपने पूर्वजों को यानी पितरों को जल के द्वारा तर्पण देकर उनको हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में राम ने हरिद्वार के कुशावर्त घाट पर आकर पिता दशरथ और अन्य पूर्वजों एवं पितरों की शांति के लिए उनका तर्पण तथा पिंडदान यानी श्राद्ध किया था। कुशावर्त घाट दत्तात्रेय की तपोस्थली भी माना जाता है। द्वापर युग में पांडवों द्वारा भी यहां अपने परिजनों के निमित्त पिंडदान करने का वर्णन मिलता है।

इस पवित्र पावन घाट की यह विशेषता है कि यहां पर गंगा के पावन तट पर कुशा और काले तिलों से तर्पण करने से पितरों को मोक्ष और शांति मिलती है। हरिद्वार में स्थित नारायणी शिला मंदिर पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक पवित्र पावन स्थल है। नारायणी शिला भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाने वाली एक बेहद पवित्र और प्राचीन शिला है, जो विशेष रूप से पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण जैसे पितृ कर्मों के लिए देश-भर में प्रसिद्ध है।

नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित मनोज कुमार त्रिपाठी का कहना है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गया में भगवान विष्णु के चरण, बद्रीनाथ में उनका कपाल यानी शीश और हरिद्वार की नारायणी शिला में उनके कंठ से लेकर नाभि तक का मध्य भाग (धड़) स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस नारायणी शिला मंदिर पर श्रद्धा के साथ पिंडदान या श्राद्ध करने से दिवंगत पूर्वजों और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

हिंदू धर्म में बिहार के गया जी को सबसे बड़ा पितृ तीर्थ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि हरिद्वार की नारायणी शिला पर अनुष्ठान करने से भी गया जी के समान ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। पवित्र पावन नारायणी शिला स्थान का वर्णन स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। इस पवित्र स्थान के दर्शन मात्र करने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। श्राद्ध के दिन भगवदगीता के सातवें अध्याय का माहात्म पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए एवं उसका फल मृतक आत्मा को अर्पण करना चाहिए।

गया, पुष्कर, प्रयाग और हरिद्वार में श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। गोशाला, देवालय और नदी तट पर श्राद्ध करना श्रेष्ठकर माना गया है। श्राद्ध के दिन सोना, चांदी, तांबा और कांसे के बर्तन में अथवा पलाश के पत्तल में भोजन करना-कराना अति उत्तम माना गया है। श्राद्ध के समय अक्रोध रहना, जल्दबाजी न करना और बड़े लोगों को या बहुत लोगों को श्राद्ध में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, नहीं तो इधर-उधर ध्यान बंट जाएगा, तो जिनके प्रति श्राद्ध सद्‌भावना और सत उद्देश्य से जो श्राद्ध करना चाहिए, वो फिर दिखावे के उद्देश्य में सामान्य कर्म हो जाता है।

पिंडदान

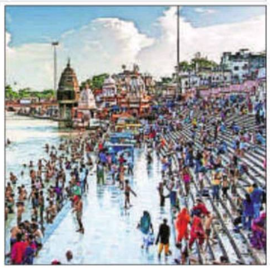

पवित्र पावन घाट की यह विशेषता है कि यहां पर गंगा के पावन तट पर कुशा और काले तिलों से तर्पण करने से पितरों को मोक्ष और शांति मिलती है। हरिद्वार में स्थित नारायणी शिला मंदिर पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक पवित्र पावन स्थल है।

धार्मिक मान्यता है कि हरिद्वार की नारायणी शिला पर अनुष्ठान करने से भी गया जी के समान ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। पवित्र पावन नारायणी शिला स्थान का वर्णन स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। इस पवित्र स्थान के दर्शन मात्र करने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। श्राद्ध के दिन भगवदगीता के सातवें अध्याय का माहात्म पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए एवं उसका फल मृतक आत्मा को अर्पण करना चाहिए।

अनुष्ठान

प्रयागराज में पितृ पक्ष के दौरान गंगा नदी के किनारे अनुष्ठान करते लोग।

देवभूमि की गोद में सुंदरनगर का महामाया मंदिर

प्रत्यूष शर्मा

हिमाचल प्रदेश अनादि काल से ऋषियों की तपोस्थली और शक्ति के साक्षात संचरण की पावन धरा रहा है। पहाड़ों की नीरवता, देवदार के वनों से छनकर आती शीतल पवन और कल-कल बहती सरिताओं के बीच यहां का कण-कण ईश्वरीय चेतना से स्पंदित प्रतीत होता है। मंडी जनपद की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक प्रमुख केंद्र सुंदरनगर है, जिसे कभी सुकेत रियासत के नाम से जाना जाता था। इसी ऐतिहासिक नगर की सुरम्य वादियों में स्थित है महामाया मंदिर। सोमवार के पावन दिवस पर धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से यह स्थल केवल दर्शन मात्र का केंद्र नहीं, बल्कि शक्ति के विभिन्न रूपों और भारतीय स्थापत्य के दुर्लभ समन्वय का साक्षात्कार कराता एक ऐसा तीर्थ है, जहां पहुंचकर सांसारिक कोलाहल स्वतः शांत हो जाता है।

महामाया मंदिर का संबंध तत्कालीन सुकेत रियासत के राजवंश से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक आख्यानों के अनुसार, सुंदरनगर जब सुकेत राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित हुआ, तब शासकों ने राज्य की समृद्धि, प्रजा की रक्षा और आध्यात्मिक चेतना के संरक्षण हेतु कुलदेवी के रूप में मां महामाया की प्रतिष्ठा की। जनश्रुति और रियासती अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि राजा को स्वप्न में मां भगवती के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए थे, जिसके बाद इस टीले पर मां की मूर्ति को विधि-विधान से प्रतिष्ठापित किया गया। सुकेत के राजाओं के लिए मां महामाया केवल कुल की अधिष्ठात्री ही नहीं थीं, बल्कि राज्य की वास्तविक संरक्षिका मानी जाती थीं। किसी भी युद्ध, नीति-निर्धारण या शुभ कार्य से पूर्व राजपरिवार और प्रजा मां की चौखट पर शीश नवाकर आशीष प्राप्त करती थी। रियासतकालीन वैभव के साक्षी के रूप में यह मंदिर आज भी तत्कालीन आस्था और निष्ठा का जीवंत प्रतीक बना हुआ है।

हिमाचल के पारंपरिक मंदिरों की वास्तुकला समूचे विश्व में अपनी विशिष्ट शैली के लिए जानी जाती है और सुंदरनगर का महामाया मंदिर इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर स्थानीय 'काठ-कुणी' और पहाड़ी शिखर शैली का एक संतुलित रूप प्रस्तुत करता है। काष्ठ नक्काशी : मंदिर के मुख्य द्वार, स्तंभों और खिड़कियों पर देवदार की दृढ़ व सुगंधित लकड़ियों पर की गई महीन नक्काशी देखते ही बनती है। इन नक्काशीदार आकृतियों में हिंदू पुराकथाओं, देवी-देवताओं, पुष्प-वल्लरी और मांगलिक प्रतीकों को अत्यंत सूक्ष्मता से उकेरा गया है। गर्भगृह की आभा : मंदिर के गर्भगृह में स्थापित महामाया की पाषाण प्रतिमा अत्यंत तेजोमय और शांत भाव लिए हुए है। मां की आंखों में करुणा और वात्सल्य का ऐसा सजीव भाव झलकता है कि दर्शनार्थी स्वतः नतमस्तक हो जाते हैं। प्रतिमा का शृंगार पारंपरिक पहाड़ी वस्त्रों, आभूषणों और चांदी के छत्र से किया जाता है। प्रांगण और शांति : मंदिर परिसर की बनावट ऐसी है कि चारों ओर फैली हरी-भरी पहाड़ियों और नीचे घाटी के विहंगम दृश्य का सहज अवलोकन होता है। सुबह और शाम के समय जब धूप की सुनहरी किरणें मंदिर की ढलवां छतों पर पड़ती हैं, तो समूचा वातावरण स्वर्णिम आभा से नहा उठता है।

शक्ति उपासना की भारतीय परंपरा में देवी महामाया को आद्यशक्ति का स्वरूप माना गया है। वही महामाया जो सृष्टि के सृजन, पालन और संहार की अधिष्ठात्री हैं। सुंदरनगर के इस मंदिर में शक्ति के दो प्रमुख रूपों-सौम्य व उग्र का अद्‌भुत संतुलन देखने को मिलता है। मंदिर में नित्य पूजन वैदिक और पौराणिक सात्विक विधियों से संपन्न होता है, परंतु नवरात्र अथवा विशेष अवसरों पर यहां प्राचीन तांत्रिक पद्धतियों के प्रतीकात्मक अनुष्ठान भी देखने को मिलते हैं। मंदिर की दैनिक दिनचर्या ब्रह्ममुहूर्त में शंखध्वनि, घंटे-घड़ियालों की गूंज और मां की मंगला आरती के साथ प्रारंभ होती है। धूप और समिधा की सुगंध से पूरा परिसर महक उठता है। हिमाचल के जनजीवन में मंदिरों की भूमिका केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने के केंद्र होते हैं।

आस्था

हिमाचल के पारंपरिक मंदिरों की वास्तुकला समूचे विश्व में अपनी विशिष्ट शैली के लिए जानी जाती है और सुंदरनगर का महामाया मंदिर इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। काष्ठ नक्काशी : मंदिर के मुख्य द्वार, स्तंभों और खिड़कियों पर देवदार की दृढ़ व सुगंधित लकड़ियों पर की गई महीन नक्काशी देखते ही बनती है।

विकारों से दूर रहकर आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता से जीवन जीएं

जनसत्ता धर्म दीक्षा

गीता के 13वें अध्याय का नाम 'क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विभाग योग' है, जिसमें शरीर (क्षेत्र) और आत्मा/परमात्मा (क्षेत्रज्ञ) के बीच के अंतर को समझाया गया है। यह भौतिक शरीर अनुभव का क्षेत्र है। यह पांच महाभूतों (तत्वों), अहंकार, बुद्धि, मन और इंद्रियों से मिलकर बना है। क्षेत्रज्ञ (आत्मा) इस शरीर (क्षेत्र) को जानने वाली चेतन आत्मा या जीवात्मा है। जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस भेद को स्पष्ट रूप से समझ लेता है, वह मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। आज के कार्पोरेट युग, सोशल मीडिया की आभासी दुनिया और मानसिक तनाव से भरे आधुनिक जीवन में इस अध्याय का संदेश बेहद व्यावहारिक और आंखें खोलने वाला है। इस अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर एक क्षेत्र (मैदान या खेत) है और जो इसे जानता है, वह क्षेत्रज्ञ (ज्ञेय) है। हम अपने विचारों, तनाव और भावनाओं (जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, अवसाद) के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि खुद को वही मान बैठते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि आप अपने विचार या भावनाएं नहीं हैं, बल्कि आप उन्हें देखने वाले हैं। जब आप अपने अवसाद या तनाव को एक साक्षी की तरह देखना शुरू करते हैं, तो मानसिक तनाव अपने आप कम होने लगता है।

अध्याय की शुरुआत में अर्जुन कृष्ण से प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय (जानने योग्य) के बारे में पूछते हैं। कृष्ण इन सभी का विस्तार से उत्तर देते हैं। अहंकारहीनता, अमानित्व (मान न चाहना), अहिंसा, सहनशीलता, सरलता और गुरु की सेवा इन गुणों को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति का साधन बताया गया है। इस अध्याय में ज्ञान के लक्षणों को बताया गया है, जिनमें सबसे पहले अमानित्वम् (विनम्रता/घमंड न होना) और अदम्भित्वम् (दिखावा न करना) आते हैं। आज की दुनिया दिखावे पर चल रही है। लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए वो चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। गीता संदेश देती है कि असली मानसिक शांति बाहरी दिखावे या झूठी प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि सादगी और आंतरिक विनम्रता से मिलती है।

विकारों से दूरी और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। आज इंटरनेट और विज्ञापनों के युग में हमारी इच्छाएं असीमित हो गई हैं, जिससे फोमो (फियर आफ मिसिंग आउट) पैदा होता है। गीता हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाती है, जिससे हम तात्कालिक सुखों के पीछे भागना बंद कर सकें और जीवन में एक गहरा संतुलन बना सकें। कृष्ण असक्ति (ममता या मोह न होना) और प्रिय-अप्रिय की प्राप्ति में हमेशा समचित्त रहने को सच्चा ज्ञान कहते हैं। आधुनिक जीवन में छोटी-सी असफलता, ब्रेकअप, या नौकरी का जाना इंसान को तोड़ देता है। यह अध्याय सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहेंगी (कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल)। यदि हम अपनी खुशी को केवल बाहरी नतीजों से नहीं जोड़ेंगे, तो हम हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रह पाएंगे।

गीता का यह अध्याय मनुष्य को 'माइंडफुल लिविंग' और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल हाड़-मांस का शरीर या समाज द्वारा दिया गया कोई 'टैग' (जैसे इंजीनियर, डाक्टर, प्रबंधक, अधिकारी) नहीं हैं, बल्कि हम उससे परे एक शुद्ध चेतना हैं। इस सत्य को जानने से जीवन का हर डर और तनाव समाप्त हो जाता है। मनुष्य पदार्थ और आत्मा का मिश्रण हैं। शरीर, मन और बुद्धि पदार्थ हैं। जो इस जड़ पदार्थ में जीवन का संचार करता है, वह आत्मा है।

गीता सार, अध्याय 13 का संदेश

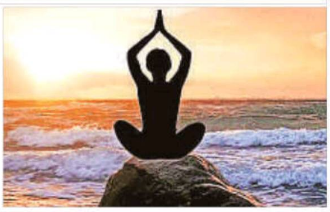

गीता के 13वें अध्याय का नाम 'क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विभाग योग' है, जिसमें शरीर (क्षेत्र) और आत्मा/परमात्मा (क्षेत्रज्ञ) के बीच के अंतर को समझाया गया है। इस अध्याय में गीता संदेश देती है कि असली मानसिक शांति बाहरी दिखावे या झूठी प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि सादगी और आंतरिक विनम्रता से मिलती है। यह अध्याय मनुष्य को 'माइंडफुल लिविंग' और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता सिखाता है।

वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ होकर आप शरीर, मन और बुद्धि की विकृतियों और सीमाओं का दोष स्वयं पर मढ़ते हैं और कष्ट भोगते हैं। पदार्थ होने के कारण शरीर, मन और बुद्धि संसार के प्रभावों से प्रभावित होते हैं। परन्तु आप आत्मा हैं। संसार की कोई भी वस्तु आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आप संसार के स्वामी हैं। फिर भी आज आप संसार के शिकार हैं और कमजोर, शक्तिहीन हैं।

Lifetime Free Newspapers Access

Editorials PDF

📍EnglishEditorialsPDF with International Newspapers Editorials [35-40pages]

📍 Hindi Editorials PDF

📍 Daily Vocabulary PDF

Magazine Channel

National & International [Genaral & Exam related]

International Newspapers

Newspapers around world. Asian, Europian & American

Hindi Newspapers

1) दैनिक जागरण
2) जनसत्ता
3) हरिभूमि
4) हिंदुस्तान

Indian Newspapers Channel

1. The Indian Express
2. The Hindu
3. Business Line
4. Financial Express
5. Times of India
6. Hindustan Times
7. Economic Times
8. Live Mint
9. Business Standard

Click Here